



REGIONAL OFFICE

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur, Ambikapur (C.G.)
No. 272/RO/TS/CECB/2023 Ambikapur, Dt. 26/05/2023

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Sub.: - Action taken report in compliance to the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of O.A. No. 117/2023 dated 27.03.2023, Gavrav Kumar Gupta Vs State of Chhattisgarh & Ors.

Ref.: -1 Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi's Order in O.A. No. 117/2023 dated 27.03.2023.

2 Head Office, C.G. Environment Conservation Board, Nawa Raipur, Attal Nagar, Raipur vide letter no. 9153, dated 31.03.2023

Respected Sir,

With reference to above mentioned order, Joint Committee formed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated 27.03.2023 consisting of (i) Representative of District Administration (ii), Representative of CPCB & (iii) Representative of CECB, in the matter of Order O.A. No. 117/2023 Gavrav Kumar Gupta Vs State of Chhattisgarh & Ors. has visited the all three mines (mining at Khasra No. 299, Area: 0.83 Ha. of Radhika Tiwari and Khasra No. 15, Area: 2.00 Ha. of Krishna Murari Tiwari in the village- Hastinapur, Gram panchayat-Pipriya, Distt.-Korea/Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur (C.G.) & Khasra No. 525, Area: 1.00 Ha. of Harikesh Tiwari, Village-Domnapara, Distt. Manendragarh (C.G.) on dated 26.04.2023 and has taken decision with consensus in regard to the directions of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated 27.03.2023 in O.A. No. 117/2023.

The details action taken report duly signed by the Members of the committee is enclosed for justification of compliance.

Encl: As above.

Ami dora
Regional Officer

Ami dora
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Ambikapur, Dt. 26/05/2023

No. 273 /RO/TS/CECB/2023
Copy to:-

1. Member Secretary, C.G. Environment Conservation Board, Nawa Raipur, Attal Nagar, Raipur for favour of information please.
2. Collector, Manendragarh, Distt.-MCB (C.G.) for favour of information please.
3. Smt. Radhika Tiwari, Shri Krishna Murari Tiwari & Shri Harikesh Tiwari Manendragarh, Distt.-Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur (C.G.) with reference to Hon'ble N.G.T. Order dated 27.03.2023 a copy of the detailed of factual & action taken report are attached.

Ami dora
Regional Officer


Ami dora
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Ambikapur


Inspection Report of the Joint Committee constituted by the Hon'ble NGT vide order dated 27.03.2023 in OA No. 117/2023 in the matter of Gaurav Kumar Gupta Vs State of Chhattisgarh & Ors

INDEX

S.No.	Particulars	Annexure	Page No.
1	Joint Inspection Report	--	01 - 07
2	Hon'ble NGT order dated 27.03.2023	Annexure - I	08 - 09
3	CPCB, nominated Sh S.K.Mukati, Scientist B from Regional Directorate, Bhopal (M.P.)	Annexure -II	10-10
4	CECB nominated Sh PK Rabde, Regional Officer, CECB, Ambikapur	Annexure -III	11-11
5	District Magistrate Korla/Manendragarh nominated to Sh Abhishek Kumar, SDO (Revenue), Manendragarh	Annexure -IV	12-15
6	During the visit made the panchnama at the site	Annexure -V	16-17
7	Photographs taken during the site visit is enclosed	Annexure -VI	18-22
8	Environment Clearance and CTO of all three mines	Annexure -VII	23-38
9	Copy of the details provided by revenue department is enclosed	Annexure -VIII	39-95
10	Authorized blaster Sh. Durgesh Kumar Pandey. Agreement copy enclosed.	Annexure -IX	96-101
11	Production and deposited paid royalty records of 3 mines provided by mining department	Annexure -X	102-105
12	Electricity Bills of M/s Jai Ganesh Stone Crusher	Annexure -XI	106-111
13	Vailidty Notification and office order (extension period)	Annexure -XII	112-116
14	Various expenditure under the CSR Fund	Annexure -XIII	117-130
15	The plantation records are provided by the project proponent for 3 mines and copies are attached	Annexure -XIV	131-133
16	Panchnama of plantation verified by CECB Ambikapur and Secretary Gram Panchayat Hastinapur and Bhalore on 16/05/2023	Annexure - XV	134-135

17	Workers health check up records are provided by the project proponent for 3 mines and copies are attached	Annexure -XVI	136-144
18	Water analysis report	Annexure - XVII	145-145
19	Air monitoring report	Annexure - XVIII	146-146
20	Inspection report of Mining Department, District MCB dated 19/05/2023 submitted to collector Distt.- MCB	Annexure - XIX	147-151
21	A show cause notice has been issued by collector MCB to M/s Radhika Tiwari vide letter क्रमांक/86/खनिज 2023. एम.सी.बी. दिनांक 25/05/2023	Annexure -XX	152-159
22	The Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur has issued a notice vide letter क्रमांक- 270/क्षे. का./छ.ग.प.सं.म./2023 अंबिकापुर दिनांक 26/05/2023 to M/S Radhika Tiwari (Khasra No. 299, area 0.83 hectare, Village- Hastinapur) for environmental compensation.	Annexure - XXI	160-164
23	The Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur has issued a direction vide letter क्रमांक- 268/क्षे.का./छ.ग.प.सं.म./2023 अंबिकापुर दिनांक 26/05/2023 to M/S Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha, Village- Hastinapur)	Annexure - XXII	165-167


 (S. K. Mukati)
 Scientist 'B'
 CPCB, RD, Bhopal (M.P.)



 (Abhishek Kumar)
 SDO (Revenue)
 Manendragarh (C.G.)
 Representative of DM


 (P.K. Rabde)
 Regional Officer
 CECB, Ambikapur

Inspection Report of the Joint Committee constituted by the Hon'ble NGT vide order dated 27.03.2023 In OA No. 117/2023 in the matter of Gaurav Kumar Gupta Vs State of Chhattisgarh & Ors.


Certificate

1. We certify that in compliance of the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi order dated 27/03/2023 In OA No-117/2023. The joint committee has visited the site on 26/04/2023 and inspected/verified the fact raised by the applicant.
2. During the visit, the joint committee has made the panchnama in presence of officers and staff of Revenue department, Mining department, Distt.-MCB (C.G.), Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur (C.G.), Central Pollution Control Board, RD, Bhopal (M.P.) and the owner/proprietor of stone quarries and their staffs.
3. The Joint committee is here by submitting their joint inspection report (Page No. 01 - 07) recording their observations and action taken report. The supporting documents of the report are attached in Annexure-I to XXII (page no. 08 to 167).


(S. K. Mukati)

Scientist: 'B'

CPCB, RD, Bhopal (M.P.)



(Abhishek Kumar)

SDO (Revenue)

Manendragarh (C.G.)

Representative of DM


(P.K. Rabde)

Regional Officer

CECB, Ambikapur

Inspection Report of the Joint Committee constituted by the Hon'ble NGT vide order dated 27.03.2023 in OA No. 117/2023 in the matter of Gaurav Kumar Gupta Vs State of Chhattisgarh & Ors

A. Back Ground

The applicant raised issue of illegal mining at Khasra No. 299(Area: 0.83 Ha) of Radhika Tiwari w/o Krishna Murari Tiwari and Khasra No. 15(Area: 2.00 Ha) of Krishna Murari Tiwari in the village- Hastinapur, Gram panchayat- Pipriya, Distt.- Korea/Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur (CG). It is stated that illegal blasting is also being done in the course of the mining. Mining is without complying with the environmental norms and EC conditions requiring plantation. The activity is also resulting in pollution of river Hasdeo.

It is respectfully submitted that based on the Hon'ble NGT, Principal Bench New Delhi. Order dated 27.03.2020 in OA No-117/2023. *The joint committee of CPCB, state PCB and District Magistrate, Korea look into the allegations and take remedial action. The state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. A factual and action taken report in the matter may be filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF and not in the form of image PDF with advance copy to the project proponent for their response, if any*"

Copy of the Hon'ble NGT order dated 27.03.2023 is enclosed at **Annexure-I**.

In the compliance to the Hon'ble NGT order dated 27.03.2023 in OA No. 117/2023 in the matter of Gaurav Kumar Gupta Vs State of Chhattisgarh & Ors, Central Pollution Control Board, nominated Sh S.K.Mukati, Scientist B from Regional Directorate, Bhopal (**Annexure-II**), Chhattisgarh Environment Conservation Board nominated Sh PK Rabde, Regional Officer, CECB, Ambikapur (**Annexure-III**) and District Magistrate Korla/Manendragarh nominated Sh Abhishek Kumar, SDO(Revenue), Manendragarh (**Annexure-IV**).

In compliance of Hon'ble NGT order the joint committee has visited the site on 26.04.2023 and verified the stone quarries, crusher, plantation etc. during the visit made the panchnama at the site **Annexure-V** and also collected water sample from River Hasdeo which is located about 105 m away from the Mines M/s Radhika Tiwari (Kh. No. 299). During the visit the officials from district administration like revenue department & mining department mining were also present and fugitive joint monitoring of stone crusher done on 11.05.2023 by CPCB and CECB. The photographs taken during the site visit is enclosed at **Annexure-VI**.

C. J.

B. Details of stone quarries (mines) and stone crusher are given below in table: -1

Sl. No.	Name & Address of Mine	Khasra No.	Rakba/ Lease area (in ha.)	Production capacity	Validity of CTO issued by CECB	Remark
1	Smt. Radhika Tiwari (M/s Jai Ganesh Stone Crusher) Village-Hastinapur, Distt. Manendragarh (C.G.)	299	0.83	Stone Boulder-15444 T/A Stone Chips-12356 T/A	26.09.2023	CTO Valid in this rakba mine along with crusher name is M/s Jai Ganesh Stone Crusher
2	Sh. Krishna Murari Tiwari, Village-Hastinapur, Distt. Manendragarh (C.G.)	15	2.00	Stone Boulder-3450 CUM/A	Expired	CTO expired and CECB has issued direction. Details in action taken point E(3).
3	Sh. Harikesh Tiwari, Village-Domnapara, Distt. Manendragarh (C.G.)	525	1.00	Stone Boulder-6540 CUM/A	26.09.2023	CTO Valid

Environment Clearance and CTO of all above three mines are attached at Annexure-VII.

C. During the visit the joint committee has verified the following issues raised in the application by the applicant.

Sl. No.	Issued Raised	Observations of the joint committee
1	पट्टेदार द्वारा माइनिंग क्षेत्र के अलावा पास की शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन किया जाता है। जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। पट्टेदार के क्रशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कंप्रेसर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।	The joint committee has visited all the three quarries given at above table 1 and found installed the demarcation pillars on the boundaries of all the mining lease areas except Smt. Radhika Tiwari mining site has not properly (lease area of 0.83 ha in khasra No.299). As per the information provided by revenue department that Smt. Radhika Tiwari has also done the mining in addition to the allotted lease area and the approximate encroached area is 1.0 Ha. Copy of the details provided by revenue department is enclosed at Annexure-VIII. As Mine owners informed to joint committee all three stone quarry (mines) excavation work through control blasting by authorized blaster having license i.e. Sh. Durgesh Kumar Pandey. The agreement copy attached at Annexure- IX. During the visit committee observed at crusher and mine area and found no blasting material at the site.
2	पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से	* At M/s Radhika Tiwari mine, has manually measured the depth

<p>अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं एनजीटी नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन किया गया है।</p>	<p>of the mining was found in West side approx 8 mtr. • At M/s Krishna Murari Tiwari mine, bas Mining Department has manually measured the depth of the mining was found in North to south side approx 10 - 4.5 mtr. • At M/s Harikesh Tiwari mine, committee has manually measured the depth of the mining was found about approx 8 mtrs in the one side and all other three sides were plane, only 25% mining excavated out of 1.00 Ha.</p>																								
<p>3 पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है जिसका ब्योरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गई रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।</p>	<p>As mining department provided the information of last five years regarding production of the minerals and against deposited paid royalty records of 3 mines attached at Annexure- X The crusher unit is being operated on the electricity. For information about the production of stone chips and the electricity bill of the last 06 months was provided by the proprietor. A Copy of electricity Bills from July, 2022 to Dec. 2022 attached at Annexure-XI</p>																								
<p>4 पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है परंतु क्रशर का संचालन लगातार जारी है।</p>	<p>The issued CTO from CECB Regional Office Ambikapur has been expired for M/s Krishna Murari Tiwari , Khasra No. 15 and rakba 2.0 Hac. The copies of CTO and extension period are enclosed at Annexure-XII and rest of other two mines and crusher CTO are valid as above table no. 1.</p>																								
<p>5 CSR मद में प्रतिवर्ष 50000 रुपये व्यय करने थे जो आज दिनांक तक नहीं किया गया है। जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।</p>	<p>The proprietor has been provided various expenditure under the CSR Fund and the copy of all the expenditure and permission are attached at Annexure-XIII</p>																								
<p>6 मौके जांच पर खदान एवं क्रशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।</p>	<p>During the visit joint committee observed no mining material found at mining areas, whereas 03 tractors of 20 mm stone chips, 03 tractors of 12 mm stone chips and 16 tractors of 0 mm material were found stored near the crusher.</p>																								
<p>7 पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक खनिज उत्खनन किया गया है।</p>	<p>As per the detailed information given at point no.3</p>																								
<p>8 माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।</p>	<p>The year wise permitted quantity and mined quantity details collected from mining department is given below; copy attached at Annexure-X</p> <table border="1" data-bbox="606 1366 1308 1769"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Permitted quantity/year In MTA</th> <th>Production m³</th> <th>Paid Royalty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>M/S Radhika Tiwari (5940 m³)</td> <td>1428.0 m³</td> <td>1,17,000/-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>M/S Radhika Tiwari (5940 m³)</td> <td>892.00 m³</td> <td>1,95,000/-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>M/S Krishan murari tiwari (3450 m³)</td> <td>938.00 m³</td> <td>1,17,000/-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>M/S Krishan murari tiwari</td> <td>0.00</td> <td>0/-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>M/S Hrikesh tiwari (6540 m³)</td> <td>57.00 m³</td> <td>0/-</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Permitted quantity/year In MTA	Production m ³	Paid Royalty	2021	M/S Radhika Tiwari (5940 m ³)	1428.0 m ³	1,17,000/-	2022	M/S Radhika Tiwari (5940 m ³)	892.00 m ³	1,95,000/-	2021	M/S Krishan murari tiwari (3450 m ³)	938.00 m ³	1,17,000/-	2022	M/S Krishan murari tiwari	0.00	0/-	2021	M/S Hrikesh tiwari (6540 m ³)	57.00 m ³	0/-
Year	Permitted quantity/year In MTA	Production m ³	Paid Royalty																						
2021	M/S Radhika Tiwari (5940 m ³)	1428.0 m ³	1,17,000/-																						
2022	M/S Radhika Tiwari (5940 m ³)	892.00 m ³	1,95,000/-																						
2021	M/S Krishan murari tiwari (3450 m ³)	938.00 m ³	1,17,000/-																						
2022	M/S Krishan murari tiwari	0.00	0/-																						
2021	M/S Hrikesh tiwari (6540 m ³)	57.00 m ³	0/-																						

		2022	M/S Hrikesh Tiwari (6540 m ²)	150.00 m ³	39,000/-
9	पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति के अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साठे सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़कर वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।	During the visit of joint committee was observed the plantation at M/s Radhika Tiwari mining area (Khasra No. 299, Rakba- 0.83 ha) was satisfactorily and rest of the two mines area plantation was found, but not survived due to lack of water and hard surface. Along with this, plantation has been done by both the above project proponents from the mine areas to other places like from NH 43 to M/s Jai Ambe stone crusher access road, on both sides of the road, in the crusher premises and surrounding area.			
10	नियमानुसार वृक्षा रोपण नहीं किया गया है	The plantation records are provided by the project proponent for 3 mines and copies are attached at Annexure -XIV The above plantation was verified by CECB Ambikapur and Secretary Gram Panchayat Hastinapur and Bhalore on 16/05/2023, Panchnama is attached at Annexure -XV			
11	खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिए आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है	The joint committee observed that the mines and crusher are located very near. The shelter, toilets and drinking water facility provided at the crusher area of and as per the proprietor if any first aid emergency occurs at mine site, it will be provided from crusher site. Workers health check up records are provided by the project proponent for 3 mines and copies are attached at - Annexure -XVI			
12	नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है	As per the point no 09 & 10.			
13	पट्टेदार द्वारा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही इसका प्रमाण खनिज इंस्पेक्टर द्वारा बनाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज है।	As Mine owners said to committee all three stone quarry (mines) excavation work done through control blasting by authorized blaster having license i.e. Sh. Durgesh Kumar Pandey. The agreement copy attached at Annexure- IX. During the visit committee observed at crusher and mine area and found no blasting material at the site.			

D. Other Observations of the joint committee: -

1. During the visit on 26.04.2023 no mining activities were going on at site Sh. Krishna Murari Tiwari mine, Khasra No. 15, Rakba- 2 ha.
2. The joint committee was also observed plantation has been done surrounding the mines in approx. 5 m. Wide/strips. The survivals rate of plants are very less due to lack of water & hard surface stone. No wire fencing of the mine. The Mining Department has manually measured the depth of the mining was found in North to south side approx. 10 - 4.5 mtr.
3. All three mines are situated sufficient distance from human habitation.
4. The mine excavation done by control blasting by authorized blaster.
5. All three mines not covered with fencing wire.
6. Demarcation pillars were found at the mining lease boundary for all mines except M/s Radhika tiwari mine Khasra no-299 rakba 0.83 hect.
7. During the visit on 26.04.2023 all activities like mining, crushing was not in operation.
8. After crushing stone, produced waste like stone dust is being utilized as bricks manufacturing.

9. The screen of crusher was covered with MS sheets.
10. water sprinkler at jaw crusher area has been installed.
11. As per EC points No. 19, 20 the shelters house and toilets are provided by Proprietor at M/s Radhika Tiwari. Kh No. 299. Rakba 0.83 hac. For workers. Photographs attached at Annexure - VI.
12. As per EC point No. 21 the health checkup data of workers have been provided by Proprietor to the joint committee attached at Annexure - XVI
13. As per EC point No. 35 the CSR fund utilization record provided by project proponent to the joint committee. The Committee inspected to the River Hasdeo behind the mine (Khasra No. 299, Rakba- 0.83 Ha. at Village-Hashtinapur, Tah.-Manendragarh, Distt-MCB (C.G.) and visualized no pollution found in River Hasdeo by Project Proponent. The joint committee also decided to take the sample from River Hasdeo behind the mine of M/s Radhika Tiwari, (Khasra No. 299, Rakba- 0.83 Ha.). The water sample taken by Concern Regional Office, CECB, Ambikapur on 26.04.2023. The results are within the prescribed limit and the analysis report is attached at Annexure - XVII
14. All three mines Over burden (OB) kept at lease area and used in approach road.
15. The joint committee decided to fugitive monitoring should be done of M/s jai Ganesh stone crusher situated at M/s Radhika Tiwari, (Khasra No. 299, Rakba- 0.83 Ha.). The fugitive joint monitoring of stone crusher done on 11.05.2023 by CPCB, RD, Bhopal with CECB, Regional office, Ambikapur and found SPM level is under the limit, the analysis report is attached Annexure - XVIII

CX

E. Action Taken Report: -


1. The Report was submitted by joint inspection team of Revenue Department Report क्रमांक/634/वाचक-3/खनिज/2022-2023, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 15/05/2023 attached in Annexure-VIII and Mining officer, Mining Department, District MCB by letter dated 19/05/2023 attached at Annexure-XIX to the Collector, District- MCB. Based on the report submitted by Revenue Department, M/s Radhika Tiwari has encroached upon 1 ha. area beyond the current mine lease area of 0.83 ha in Khasra No. 299, Village- Hastinapur. Also, as per the report and panchnama of mining department, M/s Radhika Tiwari (Khasra No. 299, area 0.83 hectare, Village- Hastinapur) has illegally mined a total of 4454 cubic meter of stones/boulders in two parts (Point 1 and 2 as shown in the map in the report of mining department Pg no. 89-95) beyond the allotted lease area of 0.83 hectare. Also, M/s Radhika Tiwari has illegally stocked a total of 90 cubic meters of boulders beyond the lease area. (Point no. 3 shown in map in the mining report Pg no. 89-95). The report of the Revenue Department and Mining Department did not find any encroachment and illegal mining beyond the lease area in other two stone quarries i.e. M/s Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha, Village- Hastinapur) and M/s Hrikesh Tiwari (Khasra No. 525, area 1.0 ha, Village - Domanapara).


On the basis of the report submitted by the Revenue Department and the Mining department, the competent Authority, Collector, MCB has initiated action for penalty against M/s Radhika Tiwari (Khasra No. 299, area 0.83 hectare, Village- Hastinapur) for illegal mining and storage beyond the lease area. A show cause notice has been issued to M/s Radhika Tiwari vide letter क्रमांक/86/खनिज 2023, एम.सी.बी., दिनांक 25/05/2023 is attached at Annexure-XX imposing a total penalty of Rs. 20,03,920/- (Rupees twenty Lacs Three Thousand Nine Hundred Twenty Only) under Section 21 - 23 (A) (B) of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 for violations under Section 4(1) Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and Chhattisgarh Minor Minerals Rules, 2015. M/s Radhika Tiwari has been given 15 days to file their reply for the notice. The further proceedings are being done as per the law.

2. Parallely, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur (Nodal agency for the Joint team formed by Hon. National Green Tribunal) has also initiated action against M/S Radhika Tiwari (Khasra No. 299, area 0.83 hectare, Village- Hastinapur) for environmental compensation. The Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur has issued a notice vide letter क्रमांक-270/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2023 अंबिकापुर दिनांक 26/05/2023 is attached at Annexure-XXI to M/S Radhika Tiwari imposing an environmental compensation amounting Rs. 3,74,000/- (Rupees Three Lacs Seventy Four Thousand Only) under Section 33A of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for violations under Section 25/26 of The Water (Prevention and Control of Pollution)

Act, 1974 and Section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 giving 15 days time to file their reply for the notice. The further proceedings are being done as per the environmental provisions.

3. The Consent to Operate (C/O) license for M/S Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha, Village- Hastinapur) has expired. The Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur has issued a direction vide letter क्रमांक- 268/क्षे.का./छ.ग.प.सं.म./2023 अंबिकापुर दिनांक 26/05/2023 is attached at Annexure-XXII to M/S Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha, Village- Hastinapur) under Section 33A of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to not resume mining activities without prior permission and renewal of Consent to Operate. The further proceedings are being done as per the environmental provisions.


(S. K. Mukati)
Scientist 'B'
CPCB, RD, Bhopal (M.P.)


(Abhishek Kumar)
SDO (Revenue)
Manendragarh (C.G.)
Representative of DM


(P.K. Rabde)
Regional Officer
CECB, Ambikapur

Item No. 10

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 117/2023

Gaurav Kumar Gupta

Versus

Applicant

State of Chhattisgarh

Respondent

Date of hearing: 27.03.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Application is registered based on a complaint received by e-mail

ORDER

1. Grievance in this application is against illegal mining in Village Hastinapur, Gram Panchayat Pipariya, Tehsil Manendergarh District Korla, Chhattisgarh at Khasra No. 299 area 0.83 ha. and at Khasra No. 15 area 2.00 ha, beyond the lease area by Radhika Tiwari w/o Krishna Murari Tiwari and Krishna Murari Tiwari. It is stated that illegal blasting is also being done in the course of the mining. Mining is without complying with the environmental norms and EC conditions requiring plantations. The activity is also resulting in pollution of Hasdev river.

2. In view of the above, let a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, Korla look into the allegations and take remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. A factual and action taken report in the matter may be filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form

of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with advance copy to the Project Proponents for their response, if any.

List for further consideration on 12.07.2023.

A copy of this order alongwith complaint be sent to the CPCB, State PCB and District Magistrate, Korla, Chattisgarh by email for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 27, 2023
Original Application No. 117/2023
A

Handwritten signature



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षे.नि.भो./एन.जी.टी. ओ.ए.- 117/2023(CZ)/101-103

दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

प्रति,

सदस्य सचिव
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, सैक्टर-19,
नया रायपुर - 492002
(छ.ग.)

Most urgent

NGT Case

विषय: NGT OA No. 117/2023 (CZ) "Gaurav Kumar Gupta Vs. State of Chhattisgarh & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2023

महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 27.03.2023 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा जिला दण्डाधिकारी, कोरिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।

उपरोक्त समिति द्वारा स्थान का दौरा करने के पश्चात् Factual and Action Taken Report दो माह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रकरण में छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक: 12.07.2023 नियत है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री संजय कुमार मुकाती, वैज्ञानिक 'ख' (मोबाइल नं. 7879488657, ईमेल- skmukati.cpcb@nic.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य हेतु तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि माननीय एन.जी.टी. द्वारा नियत तिथि के पूर्व की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(पी. जैगन)

क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- (1) डिविजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बोर्ड, दिल्ली
- (2) क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.प.सं.मं., सरगुजा (अम्बिकापुर) छ.ग.
- (3) श्री संजय कुमार मुकाती, वैज्ञानिक 'ख', के.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल

- की ओर कृपया सूचनार्थ।
की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पी. जैगन)
क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030



Annexure - III (11)

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 9153/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2023
प्रति,

अटल नगर दिनांक 31/3/2023

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली 110032

विषय :- OA No. 117/2023 Gaurav Kumar Gupta V/S State of Chhattisgarh.

संदर्भ :- प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023 (आदेश की प्रति संलग्न है) का कृपया अवलोकन हो। प्रकरण ग्राम-हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया, जिला-कोरिया में खसरा नं. 299 श्रीमती राधिका तिवारी, खसरा नं. 15 श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, खसरा नं. 525 श्री हरिकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अतिरिक्त अवैध उत्खनन, परिवहन एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेशानुसार समय-सीमा 02 माह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट ई-मेल judicial-ngt@gov.in में पी.डी.एफ./ओ.सी.आर. प्रारूप में प्रेषित किया जाना है। उपरोक्त के संबंध में संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सदस्य हैं। अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रतिनिधि का नामांकन करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 9154/विधि/छ.ग.प.सं.मं./2023
प्रतिलिपि :-

अटल नगर दिनांक 31/3/2023

1. कलेक्टर, जिला- कोरिया की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कलेक्टर महोदय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर आदेश के पालनार्थ समय-सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट मान. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

4/

O/C

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 1834 / शिकायत / 2023

एम0सी0बी0 दिनांक 25/04/23

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- OA No. 117/2023 Gaurav Kumar Gupta V/S State of Chhattisgarh
संदर्भ :- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर - 19 नवा
रायपुर अटल नगर छ.ग.

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया मे खसरा नं. 299 श्रीमती राधिका तिवारी, खसरा नं. 15 श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, खसरा नं. 525 श्री हरिकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अतिरिक्त अवैध उत्खनन, परिवहन एवं शर्तो के उल्लंघन के सम्बंध में शिकायत की गई है। जिसकी जांच हेतु छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण की जांच दिनांक 26.04.2023 को नियत है।

अतः जांचकर्ता अधिकारियों के साथ रहकर सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)
एम0सी0बी0 दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक / / शिकायत / 2023
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

CS

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 452 / शिकायत / 2022

एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
2. जिला खनिज अधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।
संदर्भ :- आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ का आवेदन दिनांक 20.01.2023

विषयान्तर्गत आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

नियमानुसार संयुक्त रूप से जाँच करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठांकन क्रमांक / 453 / शिकायत / 2022
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)
एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

1. आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

CX

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 454 / शिकायत / 2022

एम0सी0बी0 दिनांक 20/01/23

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
2. जिला खनिज अधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ :- आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ का आवेदन दिनांक 20.01.2023

विषयान्तर्गत आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

नियमानुसार संयुक्त रूप से जाँच करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)

एम0सी0बी0 दिनांक 20/01/23

पृष्ठांकन क्रमांक / 455 / शिकायत / 2022
प्रतिलिपि :-

1. आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)

G

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क/ 456 / शिकायत / 2022

एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

प्रति,

- ✓ 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
2. जिला खनिज अधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ :- आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ का आवेदन दिनांक 20.01.2023

विषयान्तर्गत आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

नियमानुसार संयुक्त रूप से जाँच करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

पृष्ठांकन क्रमांक / 457 / शिकायत / 2022
प्रतिलिपि :-

1. आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

दिनांक - 26/04/2023

आज दिनांक 26/04/2023 को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023 प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 के - आदेश के संदर्भ में हत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के 4 रायपुर के पत्र क्रमांक/9153/विधि/द.ग.प.सं.मै/2023 अटल नगर दिनांक 31/03/2023 एवं सरस्य सचिव राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण हत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/2535/ दिनांक 13/03/2023 के परिपालन में गठित समिति क्रमशः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अंचलिक कार्यालय भोपाल के प्रतिनिधि श्री एस.के. मुकाती (केंद्रीय 'ख' क्षेत्रीय निदेशालय सी.पी.सी.बी. भोपाल), क्षेत्रीय कार्यालय हत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल भम्बकापुर के प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. खडे, जिला-मजिस्ट्रेट एम.सी.बी. के प्रतिनिधि श्री अभिषेक कुमार - (अनुविभागीय अधिकारी रा. मनेन्द्रगढ़), खनिज कार्यालय एम.सी.बी. के प्रतिनिधि श्री के.के. बंजारे (सहायक - खनिज अधिकारी) एवं संबंधित उद्योग/खदानों के प्रतिनिधि श्री कृष्ण मुरारी तिवारी खसरा नंबर 15 ग्राम हस्तिनापुर श्री हरकेश तिवारी खसरा नंबर 525 ग्राम डोमनापारा श्री पत्थर खदान एवं खसरा क्रमांक 299 ग्राम हस्तिनापुर श्रीमती राधिका तिवारी पत्थर खदान सह क्रशर आदि का गठित समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वयं पर निरीक्षण किया गया। समिति के द्वारा निरीक्षण के दौरान तीनों संस्थानों/से उद्योग से उत्पादन नहीं पाया गया। निष्कर्षतः तथा शिकायत में उल्लिखित तथ्यों जैसे खदान का सीमांकन, हलास्टिंग की अनुमति, पर्यावरणीय स्वीकृत वृक्षारोपण तथा हसडेव नदी के जल गुणवत्ता हेतु जल का

Abhishek
26/04/23



Shruti
26/04/2023

26/04/23



26.4.23

Handwritten signature/initials

Photographs taken during the visit of joint committee


	
<p>Joint committee at DM office Manendragarh C.G</p>	<p>At the stone quarry in field.</p>
	
<p>Joint committee at M/s Krishna Murari Tiwari stone quarry (mine) , Khasra No. 15. Rakba 2 Ha.</p>	<p>Demarcation pillars at stone quarry</p>

Handwritten signature or initials in blue ink.



Stone quarry M/s Krishna Murari Tiwari Kh. No. 15, Rakba 2 Hac. The mining was within the lease area.



Plantation at the surrounding mining area was not adequate & not survived also at the stone quarry M/s Krishna Murari Tiwari Kh. No. 15, Rakba 2 Hac.



Stone quarry M/s Harikesh Tiwari Kh. No. 225, Rakba 1.0 Hac. The mining was within the lease area.


Plantation at the surrounding mining area was not found at the stone quarry M/s Harikesh Tiwari Kh. No. 525, Rakba 1 Hac.

Handwritten signature or initials.



Stone quarry M/s Radhika Tiwari Kh. No. 225, Rakba 1.0 Hac. Additional mining found other than lease area. As mining/ revenue dept. statement.

Plantation at the surrounding mining area was found at the stone quarry M/s Radhika Tiwari Kh. No. 299, Rakba , 0.83 Hac.



Hopper of stone crusher M/s Ganesh stone crusher, installed at M/s Radhika Tiwari , Kh.No.299, Rakba 0.83 Hac.

View of M/s Ganesh Stone crusher at Kh.No.299, Rakba 0.83 Hac.during the vist day it was closed.


Handwritten signature or initials



Near gate No. 2

Near office building


Fugitive emission monitoring at M/s Ganesh stone crusher which is situated at M/s Radhika Tiwari Mine area, at two locations i.e. (i) Near Gate No. 2, towards river side (ii) Near office Building, during the monitoring the crusher was in operation, date of monitoring was 11.05.2023




Water monitoring at River Hasdeo on
26.04.2023




Toilets facility provided at the Crusher



Shelters/quarters for workers at crusher area



Plantation at boundary of crusher area at M/s Radhika Tiwari mine



plantation by both project proponents (M/s Krishna Murari Tiwari Kh. No. 15, Rakba , 2.0 Hac. and M/s Harikesh Tiwari Kh. No. 525, Rakba , 1.0 Hac.) from the mine areas to other places like from Manendragarh road to M/s Jai Ambe stone crusher access road, on both sides of the road, in the crusher premises and surrounding area.

Handwritten signature or initials in blue ink.

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कोरिया

कार्यालय कलेक्टर कोरिया (07836-232228(कार्य.) E-Mail- miningkorja@gmail.com

(23)

कमाक / 2523/खनिज/डी.ई.आई.ए.ए 6/2017,

कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/11/2017

-:आदेश:-

प्रति,

श्रीमती राधिका तिवारी
नि० ग्राम मनेन्द्रगढ तहसील मनेन्द्रगढ
जिला कोरिया छ०ग०

विषय - ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न० 299 रकबा कुल लीज क्षेत्र 0.89 हे० मे पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता 5940 घ०मी०/वर्ष (15444 टन/वर्ष) को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने के संबंध मे।

सदरभ:- 1) जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मे आनलाईन प्रपोजल नंबर DIA/CG/MIN/11020/2017.
2) इस कार्यालय की बैठक का आनलाईन प्रपोजल नंबर DEAC 06-09.

-:---0---:-

उपरोक्त सदरभित विषयांतर्गत जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया मे प्राप्त आनलाईन प्रपोजल नंबर DIA/CG/MIN/11020/2017 का अवलोकन हो।

प्रस्ताव का विवरण :- यह पुरानी स्वीकृत उत्खनिपट्टा पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान है जो कि 30 वर्ष के दिनांक 13.12.2012 से 12.12.2042 तक लिए प्रस्तावित है। ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न० 299 रकबा कुल लीज क्षेत्र 0.89 हे० मे खनिज शाखा के पत्र कमाक 272-313 दिनांक.15.05.2015 द्वारा आशय पत्र जारी किया गया है।

समिति द्वारा विचार :- जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति के दिनांक 20.11.2017 मे प्रकरण पर विचार किया गया। जिसमे श्री कृष्ण मुरारी तिवारी (प्रतिनिधि) उपस्थित थे। जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण समिति द्वारा उत्खनन योजना का अवलोकन किया गया, जिसमे ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न० 299 रकबा कुल लीज क्षेत्र 0.89 हे० मे पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता 5940 घ०मी०/वर्ष (15444 टन/वर्ष) हेतु उत्खनन योजना दस वर्ष तक के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः उत्खनन योजना अनुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र जारी किये जाने की तिथि से पांच वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण स्वीकृति शर्तों:- परियोजना प्रस्तावक को निम्न शर्तों के अधीन पत्र जारी किये जाने की तिथि से पांच वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाएं, अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाएं हेतु ग्राम, आबादी क्षेत्र के जल स्रोतों का उपयोग नहीं करेगा।
4. रियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान मे जल की व्यवस्था हेतु संबंधित विभागों से अनापित्त प्राप्त किया जाना होगा।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुर्न उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे, तथा परियोजना समाप्ति के बाद निर्देशित स्थल पर जल संग्रहण की व्यवस्था करेगे।
6. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुंच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित किया जावे।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
8. लीज क्षेत्र के चारो तरफ छोड़ी गई 7.50 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डम्प का भण्डारण नहीं किया जावेगा तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जावे एवं वृक्षा की लम्बाई 05 फिट अधिक होनी चाहिए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि में पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।

राजस्थान सचिव

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

जिला कोरिया (छ०ग०)

10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य 7.77 खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखें जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आसपास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्नभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आसपास के संतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल/गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।
13. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन, अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुए वाहन से किया जावेगा, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनो को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष में 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस, आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग) किया जावेगा। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय खदान का संचालन नहीं किया जायेगा। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।
16. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगी।
17. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छ0ग0 गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।
19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाईल, टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।
21. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है। सभी श्रमिकों का Health Card भी बनाना आवश्यक है, तथा श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग से कराया जाना सुनिश्चित करे।
22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन डी.ई.आई.ए.ए. कोरिया/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्मति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
24. डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन /निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां डी.ई.आई.ए.ए.,कोरिया में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की वेबसाईट <http://environmentclearance.nic.in/deiaa.aspx> पर किया जा सकता है।
26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
27. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
28. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य

- अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम 2016, तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
29. प्रस्तावित परियोजना के बारे में डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।
31. डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया को शर्तों में परिवर्तन अथवा अन्य शर्तों को लागू करने का अधिकार होगा तथा डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया किन्हीं परिस्थितियों में जारी पर्यावरण सम्मति को निरस्त अथवा अस्थाई तौर पर स्थगित कर सकती है।
32. परियोजना प्रस्तावक, आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कम क्षमता वाले विफोस्टको का प्रयोग कर सकेगा।
33. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा खनिज परिवहित करने वाले मार्ग की समय-समय पर मरम्मत कराना आवश्यक होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक आस-पास के स्कुलों में मुलभुत आवश्यकताओं को पूर्ति करना सुनिश्चित करे तथा पर्यावरण प्रदुषण से क्षेत्र को मुक्त रखने हेतु आवश्यक पहल करे।
35. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा रू 50,000.00 प्रति वर्ष सी0एस0आर0 मद के रूप ग्राम एवं ग्राम पंचायत के कार्य पर खर्च किया जाना है तथा ग्राम एवं ग्राम पंचायत से किये गये कार्य का देयक को प्रति वर्ष डी.ई.आई.ए.ए के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(अध्यक्ष महोदय, डी0ई0आई0ए0ए0 कोरिया द्वारा अनुमोदित)

सदस्य सचिव डी.ई.आई.ए.ए.
जिला कोरिया (छ0ग0)
बैकुण्ठपुर दिनांक 24/11/2017

25/11-29
पृ0 कमांक / / खनिज / डी.ई.आई.ए.ए 6 / 2017, कोरिया,
प्रतिलिपि:-

- 1) अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ0ग0।
- 2) संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म इद्रावती भवन नया रायपुर।
- 3) सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कबीर नगर रायपुर।
- 4) अध्यक्ष / सदस्य, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कोरिया।
- 5) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर।
- 6) खनिज अधिकारी, जिला कोरिया एवं सदस्य सचिव डी.ई.ए.सी. कोरिया।

सदस्य सचिव
सदस्य सचिव डी.ई.आई.ए.ए.
जिला कोरिया (छ0ग0)
जिला कोरिया (छ0ग0)



REGIONAL OFFICE

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur, Ambikapur (C.G.)

e-mail:-rocecbank@gmail.com

No. **1267/RO/TS/CECB/ 2021**

Ambikapur, Dated: **01/02/2021**

To,

**M/s Jai Ganesh Stone Crusher,
Smt. Radhika Tiwari,
P.H. No. 11, Kh. No. 299, Rakba-0.83 Hect.
Village- Hastinapur, Teh.-Manendragarh,
Distt.-Korea (C.G.)**

Sub: - Renewal of the consent of the Board under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: - Your online application no. 6769974 dated 25/01/2021.

--:: 00 ::--

With reference to your above application, consents under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 are hereby renewed upto **26/09/2023**, subject to the fulfillment of the terms and conditions incorporated in the water consent letter no. 468/RO/TS/CECB/2017 Ambikapur, dated: 05/06/2017 and air consent letter no. 469/RO/TS/CECB/2017, dated: 05/06/2017 and subsequent renewal(s)/amendment(s) issued by the Board and additional conditions mentioned below.

This renewal of consent is valid for production capacity of: -

Name of Product	Production Capacity
Stone Boulder	15444 T/Annum (Fifteen Thousand Four Hundred Forty Four Tons per Annum)
Stone Chips	12356 T/Annum (Twelve Thousand Three Hundred Fifty Six Tons per Annum)

Note- Issuance of this consent renewal should not be taken as a measure of proof that the industry has not violated any environmental laws at any time at past.

Additional Conditions

A. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

1. This renewal of consent is being issued under the "Scheme of Auto-Renewal of Consent" of the Board issued vide office order no. 5938

dated 29/01/2018 as per self certificate submitted by authorized signatory **Smt. Radhika Tiwari, Proprietor of M/s Jai Ganesh Stone Crusher, Village-Hastinapur, Teh.-Manendragarh, Distt.- Korea (C.G.).**

2. Chhattisgarh Environment Conservation Board reserves the rights to revoke the Consent at any time for any violation/non-compliance.
3. In case, if the capital investment is increased by such amount that the total investment exceeds the range for which renewal fees has been paid, the industry shall have to pay the difference amount of renewal fees for the corresponding block years.
4. In case, the prescribed fee payable is amended in future, the industry shall be liable to pay the difference amount for corresponding block years.
5. Industry shall operate their existing water pollution control facilities and maintain the same properly so that the effluent could be achieved within the prescribed standards.
6. Industry shall utilize treated waste water within premises for irrigation purpose.
7. Industry shall install rainwater harvesting system within crusher premises for recharge of ground water.

Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

1. Industry shall operate their existing Air pollution control facilities and maintain the same properly so that the emission could be achieved within the prescribed standards.
2. Industry shall maintain good housekeeping practices in the premises.
3. Extensive tree plantation shall be carried out in open areas available within & around the premises.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For & on behalf of

C.G. Environment Conservation Board Ambikapur

Regional Officer

Chhattisgarh Environment Conservation Board
Ambikapur (C.G.)

Signature Not Verified

Digitally Signed by : S K
VERMA
|

Date: 2021.02.01 17:29:04 IST

81
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कोरिया

कार्यालय कलेक्टर कोरिया (07836-232228(कार्य.) E-Mail- miningkorla@gmail.com

क्रमांक /2530/खनिज/डी.ई.आई.ए.ए 6/2017,

कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/11/2017

--:आदेश:-

प्रति,

मे0 जय अम्बे स्टोन कशर
प्रो0 श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
नि0 ग्राम मनेन्द्रगढ तहसील मनेन्द्रगढ
जिला कोरिया छ0ग0

विषय :- ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न0 15 रकबा कुल लीज क्षेत्र 2.00 हे0 मे पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता 3450 घ0मी0/वर्ष (8970 टन/वर्ष) को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने के संबंध मे।

सदर्भ:- 1) जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मे आनलाईन प्रपोजल नंबर DIA/CG/MIN/11022/2017.
2) इस कार्यालय की बैठक का आनलाईन प्रपोजल नंबर DEAC 06 - 10.

--:—0—:--

उपरोक्त सदर्मित विषयांतर्गत जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया मे प्राप्त आनलाईन प्रपोजल नंबर DIA/CG/MIN/11022/2017 का अवलोकन हो।

प्रस्ताव का विवरण :- यह पुरानी स्वीकृत उत्खननपट्टा पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान है जो कि 30 वर्ष के दिनांक 19.09.2002 से 18.09.2032 तक लिए प्रस्तावित है। ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न0 15 रकबा कुल लीज क्षेत्र 2.00 हे0 मे खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 272-313 दिनांक.15.05.2015 द्वारा आशय पत्र जारी किया गया है।

समिति द्वारा विचार :- जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति के दिनांक 20.11.2017 मे प्रकरण पर विचार किया गया । जिसमे श्री कृष्ण मुरारी तिवारी (प्रतिनिधि) उपस्थित थे। जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण समिति द्वारा उत्खनन योजना का अवलोकन किया गया, जिसमे ग्राम हस्तिनापुर ग्राम पंचायत पिपरिया तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न0 15 रकबा कुल लीज क्षेत्र 2.00 हे0 मे पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता 3450 घ0मी0/वर्ष (8970 टन/वर्ष) हेतु उत्खनन योजना दस वर्ष तक के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः उत्खनन योजना अनुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र जारी किये जाने की तिथि से पांच वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण स्वीकृति शर्तों:- परियोजना प्रस्तावक को निम्न शर्तों के अधीन पत्र जारी किये जाने की तिथि से पांच वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाएं, अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा ।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाएं हेतु ग्राम, आबादी क्षेत्र के जल स्रोतों का उपयोग नहीं करेगा।
4. रियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान मे जल की व्यवस्था हेतु संबंधित विभागों से अनापित्त प्राप्त किया जाना होगा।
5. औद्योगिक प्रकिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रकिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुर्न उपयोग किया जावे । घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जावे । दूषित जल एवं वर्षात्रुतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे, तथा परियोजना समाप्ति के बाद निर्देशित स्थल पर जल संग्रहण की व्यवस्था करेगे।
6. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे । पहुंच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित किया जावे ।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रकिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा । उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
8. लीज क्षेत्र के चारो तरफ छोड़ी गई 7.50 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डम्प का भण्डारण नहीं किया जावेगा तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जावे एवं वृक्षा की लम्बाई 05 फिट अधिक होनी चाहिए।
9. उत्खनन प्रकिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि में पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे । जहां पर उपरी मिट्टी

सदस्य सचिव
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
जिला कोरिया (छ0ग0)

- (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-82 (कॉनकॉरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखें जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आसपास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।
 11. जहां तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आसपास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल/गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।
 13. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन, अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुए वाहन से किया जावेगा, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनो को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
 14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष में 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू आम, इमली, अर्जुन, सीरस, आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावेगा। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।
 15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय खदान का संचालन नहीं किया जायेगा। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।
 16. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगी।
 17. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
 18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छ0ग0 गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों अनुमोदित, उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।
 19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
 20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाईल, टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।
 21. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है। सभी श्रमिकों का Health Card भी बनाना आवश्यक है, तथा श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग से कराया जाना सुनिश्चित करे।
 22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन डी.ई.आई.ए.ए. कोरिया/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
 23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्मति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
 24. डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की वेबसाइट <http://environmentclearance.nic.in/deiaa.aspx> पर किया जा सकता है।
 26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
 27. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

Handwritten signature/initials.

पर्यावरण सचिव
 जिला पर्यावरण संरक्षण समन्वयक (पर्यावरण अधिकारी)
 जिला कोरिया (CGO)

28. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम 2016, तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
29. प्रस्तावित परियोजना के बारे में डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।
31. डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया को शर्तों में परिवर्तन अथवा अन्य शर्तों को लागू करने का अधिकार होगा तथा डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया किन्हीं परिस्थितियों में जारी पर्यावरण सम्मति को निरस्त अथवा अस्थाई तौर पर स्थगित कर सकती है।
32. परियोजना प्रस्तावक, आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कम क्षमता वाले विफोस्टको का प्रयोग कर सकेगा।
33. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा खनिज परिवहित करने वाले मार्ग की समय-समय पर मरम्मत कराना आवश्यक होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक आस-पास के स्कूलों में मुलभुत आवश्यकताओं को पूर्ति करना सुनिश्चित करे तथा पर्यावरण प्रदुषण से क्षेत्र को मुक्त रखने हेतु आवश्यक पहल करे।
35. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा रु 50,000.00 प्रति वर्ष सी0एस0आर0 मद के रूप ग्राम एवं ग्राम पंचायत के कार्य पर खर्च किया जाना है तथा ग्राम एवं ग्राम पंचायत से किये गये कार्य का देयक को प्रति वर्ष डी.ई.आई.ए.ए के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(अध्यक्ष महोदय, डी0ई0आई0ए0ए0 कोरिया द्वारा अनुमोदित)

2531-36
पृ0 क्रमांक / / खनिज / डी.ई.आई.ए.ए. 6 / 2017, कोरिया,
प्रतिलिपि:-

- 1) अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ0ग0।
- 2) संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन नया रायपुर।
- 3) सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कबीर नगर रायपुर।
- 4) अध्यक्ष / सदस्य, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कोरिया।
- 5) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर।
- 6) खनिज अधिकारी, जिला कोरिया एवं सदस्य सचिव डी.ई.ए.सी. कोरिया।

सदस्य सचिव डी.ई.आई.ए.ए.
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
जिला कोरिया (छ0ग0)
बकुण्ठपुर दिनांक 24/11/2017

सदस्य सचिव
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
जिला कोरिया (छ0ग0)



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Bank Colony, Behind B.T.I., Nawapara, Ambikapur, Distt. – Surguja(C.G.)
e-mail:-rocecbank@gmail.com

No.1641/ RO/TS/CECB/ 2019
 To,

Ambikapur, Dated **19/02/2019**

Shri Krishan Murari Tiwari,
M/s Jai Ambe Stone Crusher
(Hastinapur Stone Mine)
Village- Hastinapur, Teh.-Manendragarh,
P.H. No. 11, Kh No. 15, Rakba-2.00 Hect.
Distt.-Korea (C.G.)

Sub: - Renewal of the consent of the Board under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: - Your online application no. 2377502 dated 24/01/2019.

--:: 00 ::--

With reference to your above application, consents under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 are hereby renewed from the date of issue of this letter and this renewal is valid upto **23/11/2021**, subject to the fulfillment of the terms and conditions incorporated in the water consent letter no. 2307/RO/TS/CECB/2018 Ambikapur, dated: 23/02/2018 and air consent letter no. 2308/RO/TS/CECB/2018 Ambikapur, dated: 23/02/2018 and subsequent renewal(s)/amendment(s) issued by the Board and additional conditions mentioned below.

This renewal of consent is valid for production capacity of: -

Name of Product	Production Capacity
Mining of Stone Boulder	3450 Cum/Annum (Three Thousand Four Hundred Fifty Cubic Meter per Annum)

Note- Issuance of this consent renewal should not be taken as a measure of proof that the industry has not violated any environmental laws at any time at past.

(Handwritten signature)

32

Additional Conditions**A. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974**

1. This renewal of consent is being issued under the "Scheme of Auto-Renewal of Consent" of the Board issued vide office order no. 5938 dated 29/01/2018 as per self certificate submitted by authorized signatory **Shri Krishan Murari Tiwari, Proprietor of M/s Jai Ambe Stone Crusher (Hastinapur Stone Mine), Village-Hastinapur, Teh.-Manendragarh, Distt.- Korea (C.G.)**.
2. Chhattisgarh Environment Conservation Board reserves the rights to revoke the Consent at any time for any violation/non-compliance.
3. In case, if the capital investment is increased by such amount that the total investment exceeds the range for which renewal fees has been paid, the mine management shall have to pay the difference amount of renewal fees for the corresponding block years.
4. In case, the prescribed fee payable is amended in future, the mine management shall be liable to pay the difference amount for corresponding block years.
5. Mine Management shall operate their existing water pollution control facilities and maintain the same properly so that the effluent could be achieved within the prescribed standards.
6. Mine Management shall provide adequate measuring arrangement for the measurement of water utilized in different categories and effluent generated. Mine Management shall obtain permission for drawl of ground water from Central Ground water Authority for use in mine and permission shall be submitted to the Board. If mine management uses ground water without permission/NOC from Central Ground Water Authority Govt. of India, this consent renewal is treated as null & void.
7. Mine Management shall maintain good housekeeping practices within the mine premises.
8. Mine Management shall utilize treated waste water within mine premises for irrigation purpose.
9. Extensive tree plantation shall be carried out in open areas available within & around the mine premises.

B. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

1. This renewal of consent is being issued under the "Scheme of Auto-Renewal of Consent" of the Board issued vide office order no. 5938 dated 29/01/2018 as per self certificate submitted by authorized signatory **Shri Krishan Murari Tiwari, Proprietor of M/s Jai Ambe Stone Crusher (Hastinapur Stone Mine), Village-Hastinapur, Teh.-Manendragarh, Distt.- Korea (C.G.)**.
2. Chhattisgarh Environment Conservation Board reserves the rights to revoke the Consent at any time for any violation/non-compliance.
3. In case, if the capital investment is increased by such amount that the total investment exceeds the range for which renewal fees has



- been paid, the mine management shall have to pay the difference amount of renewal fees for the corresponding block years.
4. In case, the prescribed fee payable is amended in future, the mine management shall be liable to pay the difference amount for corresponding block years.
 5. Mine Management shall operate their existing Air pollution control facilities and maintain the same properly so that the emission could be achieved within the prescribed standards.
 6. Mine Management shall maintain good housekeeping practices in the mine premises.
 7. Extensive tree plantation shall be carried out in open areas available within & around the mine premises.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For & on behalf of
Chhattisgarh Environment Conservation Board Ambikapur (C.G.)

Regional Officer
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Ambikapur (C.G.)

Signature valid

Digitally Signed by : S. K.
VERMA
|

Date: 2019.02.19 12:02:12 IST

जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कोरिया

कार्यालय कलेक्टर कोरिया (07836-232228(कार्य.) E-Mail- miningkoria@gmail.com

क्रमांक /2516/खनिज/डी.ई.आई.ए.ए 6/2017,

कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/11/2017

--:आदेश:-

प्रति,

श्री हरकेश तिवारी
नि० ग्राम मनेन्द्रगढ तहसील मनेन्द्रगढ
जिला कोरिया छ०ग०

विषय :- ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न० 525 रकबा कुल लीज क्षेत्र 1.00 हे० मे पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता 6540 घ०मी०/वर्ष (17004 टन/वर्ष) को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने के संबंध मे।

सदर्भ:- 1) जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, मे आनलाईन प्रपोजल नंबर DIA/CG/MIN/11029/2017.
2) इस कार्यालय की बैठक का आनलाईन प्रपोजल नंबर DEAC 06 - 08.

--:0--

उपरोक्त सदर्मित विषयांतर्गत जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया मे प्राप्त आनलाईन प्रपोजल नंबर DIA/CG/MIN/11029/2017 का अवलोकन हो।

प्रस्ताव का विवरण :- यह पुरानी स्वीकृत उत्खनिपट्टा पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) खदान है जो कि 30 वर्ष के दिनांक 13.12.2012 से 12.12.2042 तक लिए प्रस्तावित है। ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न० 525 रकबा कुल लीज क्षेत्र 1.00 हे० मे खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 272-313 दिनांक.15.05.2015 द्वारा आशय पत्र जारी किया गया है।

समिति द्वारा विचार :- जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति के दिनांक 20.11.2017 मे प्रकरण पर विचार किया गया। जिसमे श्री हरकेश तिवारी उपस्थित थे। जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण समिति द्वारा उत्खनन योजना का अवलोकन किया गया, जिसमे ग्राम डोमनापारा ग्राम पंचायत साल्ही तहसील मनेन्द्रगढ जिला कोरिया मे खसरा न० 525 रकबा कुल लीज क्षेत्र 1.00 हे० मे पत्थर कशर (डोलेराईट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता 6540 घ०मी०/वर्ष (17004 टन/वर्ष) हेतु उत्खनन योजना दस वर्ष तक के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः उत्खनन योजना अनुसार परियोजना प्रस्तावक को पत्र जारी किये जाने की तिथि से पांच वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

पर्यावरण स्वीकृति शर्तों:- परियोजना प्रस्तावक को निम्न शर्तों के अधीन पत्र जारी किये जाने की तिथि से पांच वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाएं, अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाएं हेतु ग्राम, आबादी क्षेत्र के जल स्रोतों का उपयोग नहीं करेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान मे जल की व्यवस्था हेतु संबंधित विभागों से अनापित्त प्राप्त किया जाना होगा।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनः उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षा ऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे, तथा परियोजना समाप्ति के बाद निर्देशित स्थल पर जल संग्रहण की व्यवस्था करेगे।
6. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुंच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित किया जावे।
7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
8. लीज क्षेत्र के चारो तरफ छोड़ी गई 7.50 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डम्प का भण्डारण नहीं किया जावेगा तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जावे एवं वृक्षा की लम्बाई 05 फिट अधिक होनी चाहिए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि में पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।

10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिकी अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखें जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आसपास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।
11. जहां तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्नभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आसपास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल/गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।
13. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन, अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुए वाहन से किया जावेगा, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनो को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष में 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस, आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावेगा। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय खदान का संचालन नहीं किया जायेगा। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।
16. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतुप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगी।
17. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छोगो गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।
19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाईल, टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।
21. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है। सभी श्रमिकों का Health Card भी बनाना आवश्यक है, तथा श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग से कराया जाना सुनिश्चित करे।
22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन डी.ई.आई.ए.ए. कोरिया/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्मति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
24. डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की वेबसाईट <http://environmentclearance.nic.in/deiaa.aspx> पर किया जा सकता है।
26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
27. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
28. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य

अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम 2016, तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

29. EJO E 2017

प्रस्तावित परियोजना के बारे में डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।

30. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।
31. डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया को शर्तों में परिवर्तन अथवा अन्य शर्तों को लागू करने का अधिकार होगा तथा डी.ई.आई.ए.ए., कोरिया किन्ही परिस्थितियों में जारी पर्यावरण सम्मति को निरस्त अथवा अस्थाई तौर पर स्थगित कर सकती है।
32. परियोजना प्रस्तावक, आवश्यकता पड़ने पर लीज क्षेत्र में कम क्षमता वाले विफोस्टको का प्रयोग कर सकेगा।
33. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा खनिज परिवहित करने वाले मार्ग की समय-समय पर मरम्मत कराना आवश्यक होगा।
34. परियोजना प्रस्तावक आस-पास के स्कुलों में मुलभुत आवश्यकताओं को पूर्ति करना सुनिश्चित करे तथा पर्यावरण प्रदुषण से क्षेत्र को मुक्त रखने हेतु आवश्यक पहल करे।
35. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा रू 50,000.00 प्रति वर्ष सी0एस0आर0 मद के रूप ग्राम एवं ग्राम पंचायत के कार्य पर खर्च किया जाना है तथा ग्राम एवं ग्राम पंचायत से किये गये कार्य का देयक को प्रति वर्ष डी.ई.आई.ए.ए के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(अध्यक्ष महोदय, डी0ई0आई0ए0ए0 कोरिया द्वारा अनुमोदित)

2517-22

पृ0 कमांक / / खनिज / डी.ई.आई.ए.ए 6 / 2017, कोरिया.
प्रतिलिपि:-

- 1) अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ0ग0।
- 2) संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन नया रायपुर।
- 3) सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कबीर नगर रायपुर।
- 4) अध्यक्ष/सदस्य, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कोरिया।
- 5) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर।
- 6) खनिज अधिकारी, जिला कोरिया एवं सदस्य सचिव डी.ई.ए.सी. कोरिया।

सदस्य सचिव डी.ई.आई.ए.ए.
जिला कोरिया (छ0ग0)
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
छ0ग0
दिनांक 25/11/2017

सदस्य सचिव डी.ई.आई.ए.ए.
जिला कोरिया (छ0ग0)
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
जिला कोरिया (छ0ग0)

CF



REGIONAL OFFICE
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala

Gangapur, Ambikapur (C.G.)

e-mail:-rocecbamk@gmail.com

No. **1268/RO/TS/CECB/ 2021**

Ambikapur, Dated: **01/02/2021**

To,

Shri Harkesh Tiwari, Proprietor
Village- Domnapara, Tehsil-Manendragarh,
P.H. No. 10, Kh No. 525, Rakba-1.00 Hect.
Distt.- Korea (C.G.)

Sub: - Renewal of the consent of the Board under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: - Your online application no. 6769889 dated 25/01/2021.

---: 00 :---

With reference to your above application, consents under section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 are hereby renewed up to **26/09/2023**, subject to the fulfillment of the terms and conditions incorporated in the water consent letter no. 937/RO/TS/CECB/2017 Ambikapur, dated: 29/08/2017 and air consent letter no. 938/RO/TS/CECB/2017 Ambikapur, dated: 29/08/2017 and subsequent renewal(s)/amendment(s) issued by the Board and additional conditions mentioned below.

This renewal of consent is valid for production capacity of: -

Name of Product	Production Capacity
Mining of Stone Boulder	6540 Cum/Annum (Six Thousand Five Hundred Forty Cubic Meter per Annum)

Note-Issuance of this consent renewal should not be taken as a measure of proof that the industry has not violated any environmental laws at any time at past.

Additional Conditions:

A. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

1. This renewal of consent is being issued under the "Scheme of Auto-Renewal of Consent" of the Board issued vide office order no. 5938 dated 29/01/2018 as per self certificate submitted by authorized signatory **Shri Harkesh Tiwari, Proprietor, Village-Domnapara, Teh.-Manendragarh, Distt.-Korea (C.G.).**

2. Chhattisgarh Environment Conservation Board reserves the rights to revoke the Consent at any time for any violation/non-compliance.
3. In case, if the capital investment is increased by such amount that the total investment exceeds the range for which renewal fees has been paid, the mine management shall have to pay the difference amount of renewal fees for the corresponding block years.
4. In case, the prescribed fee payable is amended in future, the mine management shall be liable to pay the difference amount for corresponding block years.
5. Mine Management shall operate their existing water pollution control facilities and maintain the same properly so that the effluent could be achieved within the prescribed standards.
6. Mine Management shall provide the rainwater harvesting facilities within the lease area

B. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981

1. Mine Management shall operate their existing Air pollution control facilities and maintain the same properly so that the emission could be achieved within the prescribed standards.
2. Mine Management shall maintain good housekeeping practices in the mine premises.
3. Extensive tree plantation shall be carried out in open areas available within & around the mine premises.

Please acknowledge the receipt of this letter.

For & on behalf of
Chhattisgarh Environment Conservation Board, Ambikapur

Regional Officer
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Ambikapur (C.G.)

Signature Not Verified

Digitally Signed by : S K
VERMA
|

Date: 2021.02.01 17:40:59 IST

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़,

(39)

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

कमांक/634/वाचक-3/खनिज/2022-2023
प्रति,

मनेन्द्रगढ़, दिनांक 15/05/2023

कलेक्टर, महोदय
(खनिज शाखा)
जिला-एम०सी०बी० (छ0ग0)

- विषय:- स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन के संबंध में प्रतिवेदन का प्रेषण।
- संदर्भ:-1- आपका पत्र क्र०/452/शिकायत/2022, एम०सी०बी०, दिनांक 30.01.2023
2- आपका पत्र क्र०/454/शिकायत/2022, एम०सी०बी०, दिनांक 30.01.2023
3- आपका पत्र क्र०/456/शिकायत/2022, एम०सी०बी०, दिनांक 30.01.2023
4- आपका पत्र क्र०/1834/शिकायत/2022, एम०सी०बी०, दिनांक 25.04.2023
5- न्यायालय तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ का पत्र क्र०/3965/वाचक-1/2023 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 28.04.2023.
6- राजस्व निरीक्षक मण्डल-मनेन्द्रगढ़(ग्रामीण) तह-मनेन्द्रगढ़ का पत्र क्र०/Q/सीमा.प्रति./2023, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 28.04.2023.

- 00 -

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र०-1 से 4 के माध्यम से स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया है।

उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्र०-5 के माध्यम से राजस्व निरीक्षक (ग्रामीण) मनेन्द्रगढ़ से प्रतिवेदन चाहा गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा संदर्भित पत्र क्र०-6 के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार-
1-ग्राम हस्तिनापुर प०ह०नं० 10 में राधिका तिवारी पति कृष्ण मुरारी तिवारी को स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा क्र० 299 में से रकबा 0.83 हे० का सीमाकन अधोहस्ताक्षरकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 13.04.2023 को किया गया। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आवेदक को स्वीकृत लीज क्षेत्र 0.83 हे० पर क्रशर, क्रशर का कार्यालय व क्रशर उत्पाद का भण्डारण पाया गया। स्वीकृत लीज क्षेत्र के अतिरिक्त लीजकर्ता द्वारा 1.00 हे० भूमि पर पत्थर खनन व भण्डारण करने अप्राधिकृत कब्जा किया गया है।
2-माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली क प्रकरण क्र० OA 117/2023 आदेश दिनांक 27.03.2023 के परिपालन में गठित टीम द्वारा दिनांक द्वारा पुनः ग्राम डोमनापारा प०ह०नं० 12 स्थित स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा क्रमांक 525 में से रकबा 1.00 हे०, ग्राम हस्तिनापुर के खसरा क्रमांक 15 एवं 299 रकबा क्रमशः 2.00 हे व 0.83 हे० का सीमाकन किया गया। जिसका पंचनामा नजरी नक्शा सहित प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। ग्राम हस्तिनापुर स्थित लीज क्षेत्र खसरा क्रं 15 में स्वीकृत लीज क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा GPS पीलर स्थापित कराया गया है ग्राम डोमनापारा स्थित स्वीकृत लीज क्षेत्र में वर्तमान में पत्थर उत्खनन कार्य बंद है।

अतः सीमाकन उपरान्त जाँच प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छायाप्रति एवं प्रतिवेदन की मूल प्रति।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम०सी०बी० (छ0ग0)
मनेन्द्रगढ़, दिनांक 15/05/2023

पृ०क्र०/635/वाचक-3/खनिज/2022-2023
प्रतिलिपि,

आवेदक श्री/श्रीमती जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम०सी०बी० (छ0ग0)

खनिज शाखा
शिकायत शाखा

8221

16/05/23

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 452 / शिकायत / 2022

एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
2. जिला खनिज अधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ :- आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ का आवेदन दिनांक 20.01.2023

विषयान्तर्गत आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

नियमानुसार संयुक्त रूप से जाँच करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठांकन क्रमांक / 453 / शिकायत / 2022
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)
एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

1. आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

(Handwritten signature)

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 454 / शिकायत / 2022

एम0सी0बी0 दिनांक 20/01/23

प्रति,

- ✓ 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
2. जिला खनिज अधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बावत्।

संदर्भ :- आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ का आवेदन दिनांक 20.01.2023

विषयान्तर्गत आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

नियमानुसार संयुक्त रूप से जाँच करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)

एम0सी0बी0 दिनांक 20/01/23


पृष्ठांकन क्रमांक / 455 / शिकायत / 2022
प्रतिलिपि :-

1. आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 456 / शिकायत / 2022

एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

प्रति,

- ✓ 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
मनेन्द्रगढ़
2. जिला खनिज अधिकारी

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :- श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बावत्।
संदर्भ :- आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ का आवेदन दिनांक 20.01.2023

विषयान्तर्गत आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

नियमानुसार संयुक्त रूप से जांच करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)
एम0सी0बी0 दिनांक 30/01/23

पृष्ठांकन क्रमांक / 457 / शिकायत / 2022
प्रतिलिपि :-

1. आवेदक गौरव कुमार गुप्ता पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17 मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्रमांक / 1834 / शिकायत / 2023

एम0सी0बी0 दिनांक 25/04/23

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

मनेन्द्रगढ़

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

विषय :-

OA No. 117/2023 Gaurav Kumar Gupta V/S State of Chhattisgarh

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर - 19 नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया मे खसरा नं. 299 श्रीमती राधिका तिवारी, खसरा नं. 15 श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, खसरा नं. 525 श्री हरिकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अतिरिक्त अवैध उत्खनन, परिवहन एवं शर्तो के उल्लंघन के सम्बंध में शिकायत की गई है। जिसकी जांच हेतु छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण की जांच दिनांक 26.04.2023 को नियत है।

अतः जांचकर्ता अधिकारियों के साथ रहकर सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)

एम0सी0बी0 दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक /

/ शिकायत / 2023

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)

क्रमांक / सीमां.प्रति. / 2023

मनेन्द्रगढ़ दिनांक 28.04.2023

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

अनुभाग- मनेन्द्रगढ़

जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छत्तीसगढ़)

विषय:- संयुक्त जांच दल द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में।

संदर्भ:- न्यायालय तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन पत्र क्रमांक / 3965 / वाचक-1 / 2023 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 20.03.2023।

-----0-----

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित के संबंध में श्री हरकेश तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी एवं श्रीमती राधिका तिवारी पत्नि श्री कुष्ण मुरारी तिवारी को क्रमशः ग्राम डोमनापारा प.ह.न. 12 ग्राम पंचायत साल्ही में स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 525 रकबा 4.13 हे. में से 1.00 हे. एवं ग्राम हस्तानापुर प.ह.न. 10 ग्राम पंचायत पिपरिया स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 299 रकबा 8.82 हेक्टेयर में से 0.83 हे. क्षेत्र में पत्थर खदान/केशर उत्खनिपट्टा स्वीकृत है, का सीमांकन हेतु दिये गये निर्देश के परिपालन में गठित टीम के साथ अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ की उपस्थिति में दिनांक 13.04.2023 व 26.04.2023 को उक्त भूखण्डों में स्वीकृत लीज क्षेत्र का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन निम्नानुसार है-

1. यह कि ग्राम हस्तानापुर प.ह.न.10 में राधिका तिवारी पति कृष्ण मुरारी तिवारी को स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा क्रमांक 299 में से रकबा 0.83 हे. का सीमांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मनेन्द्रगढ़ की उपस्थिति में दिनांक 13.04.2023 को किया गया। प्रतिवेदन में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आवेदक को स्वीकृत लीज क्षेत्र 0.83 हे. पर कशर, कशर का कार्यालय व कशर उत्पाद का भण्डारण पाया गया। स्वीकृत लीज क्षेत्र के अतिरिक्त लीजकर्ता द्वारा 1.00 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर खनन व भण्डारण करके अप्राधिकृत कब्जा किया गया है।
2. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ0 ए0 क्रमांक 117 / 2023 आदेश दिनांक 27.03.2023 के परिपालन में गठित टीम द्वारा दिनांक 26.04.2023 को पुनः ग्राम डोमनापारा प.ह.न.12 स्थित स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा क्रमांक 525 में से रकबा 1.00 हे0, ग्राम हस्तानापुर के खसरा क्रमांक 15 एवं 299 रकबा क्रमशः 2.00 हे0 व 0.83 हे0 का सीमांकन किया गया जिसका पंचनामा नजरी नक्शा सहित प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। ग्राम हस्तानापुर स्थित लीज क्षेत्र खसरा क्रमांक 15 में स्वीकृत लीज क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा जी.पी.एस पीलर स्थापित कराया गया है। ग्राम डोमनापारा स्थित स्वीकृत लीज क्षेत्र में वर्तमान में पत्थर उत्खनन कार्य बंद है।

सीमांकन प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों के साथ अग्रिम

कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- 1.मौका पंचनामा दिनांक 13.04.2023 व दिनांक 26.04.2023 का पृथक-पृथक।

2.तीनों लीज क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज।

3.नजरी नक्शा।

4.गूगल नक्शा में चिह्नांकित लीज क्षेत्र का विवरण 3 प्रति।

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. मनेन्द्रगढ़(ग्रामीण)

आज दिनांक 13/04/2023 को ग्राम ...
 प.ह.नं. 10 रा.नि.मं.मोन्द्रगढ़ (गा.) स्थित भूमि ख.नं. 10/32
 रकबा 8.82 हे. भूमि चत्तान मढ़ की शासकीय भूमि में निम्न
 अंशभाग 0.83 हे. भूमि पर स्थापित प्रेशर (संबाखण्ड ...
 तिवारी पति छप्पनपुरारी तिवारी) का सीमांकन एवं क्षेत्र विवरण
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोन्द्रगढ़, खनिज अधिकारी ...
 राजस्व निरीक्षक मोन्द्रगढ़ (ग्रामीण), हलका पतवारी, छप्पनपुरारी ...
 एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में किया गया ...
 में पास गया कि स्वीकृत लीज क्षेत्र, मीठे में उत्खनन ...
 अर्द्ध उत्खनन क्षेत्र का नजदी नक्शा रकबा सहित ...
 गया जो सीमांकन प्रतिवेदन में पृथक से संलग्न है

Abhishek
13/04/23

3/4
13.04.2023
R.I. म.प्र. (R)

13/04/2023
P.C.M.

Madhup
13/04/2023

Signature

Signature
13/04/23
minoy

Signature
13/04/2023

विजय सिंह

Signature
13/04/23

चमड़ा

Signature

दिनांक - 26/04/2023

आज दिनांक 26/04/2023 को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023 प्रकरण ओ. ए. क्रमांक 117/2023 के - आदेश के संदर्भ में हस्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के 4 रायपुर के पत्र क्रमांक/ 9153/विधि/ ह. ग. प. सं. मै/2023 अटल नगर दिनांक 31/03/2023 एवं सरस्य सन्धि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन जांचिकरण हस्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक /2535/ दिनांक 12/03/2023 के परिपालन में गठित समिति क्रमशः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अंचलिक कार्यालय भोपाल के प्रतिनिधि श्री एस. के. मुन्डानी (कैजानिडु ख' क्षेत्रीय निदेशालय सी. पी. सी. बी. भोपाल), क्षेत्रीय कार्यालय हस्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल भम्बिकापुर के प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी. के. खडे, जिला - मजिस्ट्रेट एम. सी. बी. के प्रतिनिधि श्री अभिषेक कुमार - (अनुविभागीय अधिकारी रा. मनेन्द्रगढ़), खनिज कार्यालय एम. सी. बी. के प्रतिनिधि श्री के. के. बंजारे (सहायक - खनिज अधिकारी) एवं संबंधित उद्योग/ खदानों के प्रतिनिधि श्री कृष्ण मुरारी तिवारी खसरा नंबर 15 ग्राम हस्तिनापुर, श्री हरदेश तिवारी खसरा नंबर 525 ग्राम डोमनापारा दोनों पत्थर खदान एवं खसरा क्रमांक 299 ग्राम हस्तिनापुर श्रीमती राधिका तिवारी पत्थर खदान सह क्रशर आदि का गठित समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से स्वयं पर निरीक्षण किया गया। समिति के द्वारा निरीक्षण के दौरान तीनों संस्थानों/ से उद्योग से उत्पादन नहीं पाया गया। निष्कर्षतः तथा शिकायत में उल्लिखित तथ्यों जैसे खदान का सीमांकन, क्लैस्टिंग की अनुमति, पर्यावरणीय स्वीकृति, वृक्षारोपण तथा हसडेव नदी के जल गुणवत्ता हेतु जल का

Abhishek
26/04/23

Shreeraj
26/04/2023

911
26/04/23

26.4.23

(Handwritten signature/initials)

जल नमूना संग्रहित किया गया। तथा उल्लिखित तथ्यों की जांच की गयी। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा उपाध्य उद्योग-उत्पत्तियों को खदानों/कृषाउत्पादन (वर्षिक), मेडिकल जांच-रिपोर्ट, सी.एस. भार. मड के में डिये गये खर्चों का विवरण, ई.सी. में उल्लेखित एवं सी.टी.ओ. में उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी, वृक्षारोपण की जानकारी, ब्लास्टिंग, आदि बिजली बिल की प्रति आदि को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा केशर क्षेत्र / खदान क्षेत्र का निरीक्षण करने के दौरान ब्लास्टिंग सामग्री का भण्डारण नहीं पाया गया। उक्त पंचनामा समिति के सदस्यों द्वारा उद्योग-उत्पत्तियों एवं उपाध्य अन्य जनों को पढ़कर सुनाया गया एवं पंचनामा हस्ताक्षरित कराया गया।


- (1) श्री एस. के. मुकुली (वैज्ञानिक ख. से. नि. सी.पी. सी. बी.) *Sanulanti 26/04/2023*
- (2) श्री पी. के. रबड़े (क्षेत्रीय अधिकारी) के. ज. प. सं. मं. अंबिकापुर *26/4/23*
- (3) श्री अभिषेक कुमार (अनु. अधि. (रु) मनेरगढ़) - *Abhishek 26/04/23*
- (4) श्री. के. के. बेजारे (स. ख. अधिकारी एम. सी. बी.) *26.4.23*
- (5) श्री. कृष्ण मुरारी तिवारी (उद्योग-उत्पत्ति) *26.4.23*
- (6) श्री. हरकेश तिवारी (उद्योग-उत्पत्ति) *26/04/23*

सहयोगी डल / जवाह

- ① संदीप सिंह *R.I. Mdyh (R) 26.04.2023*
- ② नलिन तिवारी *26/04/23 PCH-10*
- ③ मंजूमता सिंह *26/04/2023 PCH-12*
- ④ श्री. का. तिवारी *26/04/23*
- ⑤ भूपेन्द्र तिवारी *भूपेन्द्र तिवारी*
- ⑥ अजय नावेट *अजय नावेट*
- ⑦ सुरेश कोटवार *सुरेश कोटवार*
- ⑧ नागप्रसाद कोटवार *नागप्रसाद कोटवार*
- ⑨ लीकेरा डेवांगन *लीकेरा डेवांगन*

[Handwritten signature/initials]

ग्राम: डोमनापारा
 प.सं.नं. १३
 तहसील: मतेरगाह
 जिला: डोरिया (ह.रा.)
 पैमाना: १/४०००



टीप: लालखारी से निरक्षरित क्षेत्र खसरा क्रमांक ५२५ रुका ४.१३ हे. भूमि में से १.०० हे. पर पत्थर (क्रार) उखनि पहा हेतु खीटा है।

सत्यनिलिपि
 ३२१
 ०१/०१/१७
 १२


सत्यनिलिपि

खनि अधिकारी
 हेतु-कलक्टर कोरिया
 (खनीसंग)

कलक्टर
 कोरिया, बंगुठपुर

(Handwritten signature)

214 - 11201192
 1102030 - 4-2011.
 1501 - 14000
 1501 - 14000



2.066 हे पर जमा (अर्थात) 2.066 हे पर जमा
 15 2011 9.83 15 2011 9.83
 15 2011 9.83 15 2011 9.83




S.P. Tomar
 P.C.No. 11
 Tehsil. Manendragarh
 Distt. Koregaon (C.G.)

सहायक अधिकाारी
 जिल्हा - महाराष्ट्र काँग्रेस
 (अधिकाारी)

15 2011 9.83 15 2011 9.83


गा. डोमनापारा
 प.ह.न. १२
 रा.वि.मं. मनेन्द्रगढ़ (ग्रामीण)
 तहसील - मनेन्द्रगढ़
 जिला - मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर
 वर्ष - १९८९-९०
 क्षेत्रफल - १/४०००



Handwritten signature or initials.

03/2023
 राजकुलता सिंह
 प.ह.नं. १२, रा.वि.मं. मनेन्द्रगढ़ (ग्रामीण)
 तहसील - मनेन्द्रगढ़, जिला - मनेन्द्रगढ़ - चिरमिरी - भरतपुर

ग्राम - हस्तिनापुर
 प.स.नं - 10
 सा.नि.प्र. - मनेश्वर (शा.)
 तहसील - मनेश्वर
 जिला - मनेश्वर - पिलीभी -
 अरुणा
 1:4000



Handwritten signature
 25/05/23

Handwritten initials 'G.F.'

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shrestamp.com". Any discrepancy available on the website renders it invalid.
2. The omission of checking the legitimacy of the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform...




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Chhattisgarh

e-Stamp

Certificate No. : IN-CG04511270922704P
 Certificate Issued Date : 07-Feb-2017 06:25 PM
 Account Reference : NONACC (BK)/ cgjsamb09/ BAIKUNTHPUR/ CG-KO
 Unique Doc. Reference : SUBIN-CGCGJSAMB0904930208812656P
 Purchased by : HARKESH TIWARI
 Description of Document : Article 35 Lease (For a period of one year or more)
 Property Description : LEASE FOR MINING
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : COLLECTOR KOREA MINING DEPARTMENT
 Second Party : HARKESH TIWARI
 Stamp Duty Paid By : HARKESH TIWARI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,30,907
 (Two Lakh Thirty Thousand Nine Hundred And Seven only)



Please write or type below this line.

हार्केश तिवारी

खनि अधिकारी
हेतु-कलेक्टर कोरिया
५ (छत्तीसगढ़)

WN 0004025344

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SS

दस्तावेज को
दस्तावेज की तारीख
लिफाफे लिफाफे
बोझल हुए
(1)

इस बात का आभास हो लेने से पश्चात
कि श्री एम. प्रकाश ठोकरु कोविमा ने आपने
पदवी हैसियत की दस्तावेज का निष्पादन किया है।

कारण उन्हें इस पंजीयन कार्यालय में
उपस्थित होने से मुहूर्त किया जाता है एवं
दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किया जाता है।

14 MAR 2017



उप पंजीयक
मनेन्द्रगढ़

 Warning 

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



4/

(1)	(2) दस्तावेज की तफसीलबारी व अंमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुहरबंद तैयार किया गया हो जिसके बाबत फॉस दाखल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इवारत	(3) तादात फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	(4) रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
	<p>हरेकश तिलावा खानेवाय परदा</p>	<p>173231</p>	<p>—</p>

तारीख

उप-पंजीयक
अहमद

9

(नियम 38क)

गौण खनिज हेतु उत्खननपट्टा अनुबंध विलेख दिनांक 13/12/2012 में यह सशोधन (जो इसमें इसके पश्चात् "अनुपूरक पट्टा विलेख क्रमांक 1" के रूप में निर्दिष्ट है) एक पक्षकार के रूप में उत्केश तिवारी के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उनके पदोत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) और दूसरे पक्षकार श्री हरकेश तिवारी

आत्मज श्री हरकेश तिवारी (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं)

अथवा

(सोसायटी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा (व्यक्ति का नाम पदनाम सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं);

अथवा

(भागीदारों के नाम तथा पते) तथा (भागीदारों के नाम तथा पते) जो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम) के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय नगर में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के

हरकेश तिवारी

हरकेश तिवारी
राज्य अधिकारी
छत्तीसगढ़
(छत्तीसगढ़)

58

मा.का.अ.वि.का.

श्री हरकेश विठ्ठल आठ श्री पद्मसुन्दर विठ्ठल

ने मारा उपा-वि.का. कोल्लेखी
दिनांक 04 MAR 2017
को.प.स.प. 11000

230907

हरकेश विठ्ठल
पञ्जीयक
मनेन्द्रगढ़

230907

पञ्जीयक
मनेन्द्रगढ़

प्रथम पक्ष श्री हरकेश विठ्ठल वामन

द्वितीय पक्ष श्री हरकेश विठ्ठल आठ श्री पद्मसुन्दर
विठ्ठल आठ मनेन्द्रगढ़ वरु मनेन्द्रगढ़
जिला कोरिया (द.का.)

वर्तमान पक्ष
श्री पद्मसुन्दर विठ्ठल
मनेन्द्रगढ़









- 1) सुधम विठ्ठल आठ कुल कुमारी विठ्ठल आठ मनेन्द्रगढ़
- 2) दीपक पाण्डेय आठ लक्ष्मी आठ पैड़ी सुरा

04 MAR 2017

पञ्जीयक
मनेन्द्रगढ़

:: प्रारूप ::

पंजीयन अधिनियम की धारा 32 (A) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप

क्रमांक	बांये हाथ का अंगुष्ठ छाप	पासपोर्ट साइज फोटो	विक्रेता / दावेदार का नाम एवं स्थाई पता
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

Contd.


श्री

मनेन्द्रगढ़

मनेन्द्रगढ़

डोरिया (द.ग.ग.)

9/8000



लालव्याही से चिह्नित क्षेत्र खसरा क्रमांक ५२५ रुबा ४.१३ हे. भूमि में से १००
 पर पत्थर (क़ार) उखनि पहा हेतु खींचा है।

सत्यप्रतिनिधि
 ३२४
 ११/०१/१७
 १२

हरकेश तिवारी

स्थान अधिकारी
 हेतु-कलेक्टर कोरिया
 (मनेन्द्रगढ़)

कलेक्टर
 कोरिया, बंदुगढ़पुर

अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी सम्मिलित समझे जाएंगे)

के मध्य दिनांक 21/12/2017 को किया जाता है।

"पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार" इस अनुपूरक पट्टा विलेख के प्रयोजन के लिए, व्यक्तिगत रूप से करने के लिए "पक्षकार" के रूप में और सामूहिक रूप से पक्षकारों के रूप में निर्दिष्ट होंगे।

यतः

(क) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में दिनांक 23.03.2016 को किये गये संशोधनों के पूर्व पक्षकारों द्वारा ~~प्रस्तुत~~ गौण खनिज हेतु निम्नलिखित क्षेत्र के लिए मूल उत्खननपट्टा विलेख 0.5 वर्ष की कालावधि हेतु दिनांक 13/12/2012 से दिनांक 12/12/2017 तक निष्पादित किया गया था।

पट्टे का स्थान और क्षेत्र:-

~~खसरा~~ ग्राम में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो ~~खसरा~~ तहसील में ~~खसरा~~ ग्राम पंचायत में है और जो खसरा सर्वे क्रमांक 525 जिसमें 1.00 हे. या उसके लगभग 1.00 हे. का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो ~~खसरा~~ रंग से दर्शाया गया है और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार अंतर्विष्ट है :-

उत्तर में	520, 529	द्वारा
दक्षिण में	531	द्वारा
पूर्व में	525	द्वारा
और पश्चिम में	525	द्वारा

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट हैं।

(ख) राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2016 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार नियम 38क के तहत उत्खननपट्टे की स्वीकृति की कालावधि को विस्तारित किया गया है।

अतएव अब एतद्वारा पक्षकारों के बीच में यह सहमति हुई:

1. पक्षकारों के बीच निष्पादित पट्टे में उत्खननपट्टे की स्वीकृत अवधि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 38क के तहत होगी और तदनुसार उत्खननपट्टे की कालावधि 2.5 वर्ष के लिए दिनांक 12/12/2017 से दिनांक 12/12/2019 तक विस्तारित की जाती है।
2. उत्खननपट्टा के धारक द्वारा स्वामिस्व के भुगतान के अतिरिक्त जिस जिले में खनन संकियाएं संचालित की जा रही है उस जिला खनिज संस्थान न्यास में अंशदान का भुगतान नियम 50 के तहत विनिर्दिष्ट दर से करेगा।
3. अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2016 द्वारा नियम में किये गये संशोधन के पूर्व स्वीकृत/निष्पादित उत्खननपट्टे पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन लागू होंगे।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

खनि अधिकारी
भु-कलेक्टर कोरिया
(छत्तीसगढ़)

62



एकेश्वर त्रिवारी

उपरोक्त निष्पादक/पत्रकार/अभिकर्ता
केंद्राचे का
निर्वाहक संचालक ता. 4 मार्च 2017
ने लिया गया।

उप पंजीयक
मनेन्द्रगढ़

10118

① Shubham

Shubham Tiwari

Sto Krishna Murari Tiwari
add - Manendragarh.

② Prakash
वीर पांडेय गोठाना वरिय
पेठा हनुमन्त
EM

Handwritten signature or mark at the bottom left.

-: विशेष शर्त :-

{1}	पट्टेदार को पत्थर (केशर) उत्खनि पट्टा हेतु जल एवं वायु विषयक (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी) पर्यावरण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
{2}	पट्टेदार को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 100 पौधों का वृक्षारोपण पट्टा अवधि तक करना होगा।
{3}	पर्यावरण क्लीयरेंस में जारी अवधि तक हीं पट्टेदार को उत्खनन कार्य करना अनिवार्य होगा, एवं पर्यावरण अनुमति में दिये गये समस्त निर्देशो/शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

हरकेश निवासी

OX


 खनि अधिकारी
 हेतु - फालेक्टर कोरिया
 (मन्त्रीमंडल)

4. उत्खननपट्टाधारक, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे और आवश्यक सम्मति प्रस्तुत करेगा।

5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत पूरक अनुबंध विलेख के निष्पादन से 30 दिवस के भीतर पंजीकृत किया जाएगा।

6. अन्य समस्त निबंधन एवं अभिव्यक्तियां जिसका उपयोग किया गया है तथापि विशेष रूप से इस पूरक अनुबंध अंतर्गत परिभाषित नहीं है, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका अर्थ वही होगा जो कि मूल अनुबंध एवं तत्पश्चात् संशोधन अंतर्गत परिभाषित है।

7. मूल उत्खननपट्टा विलेख के भाग आठ की कंडिका 3 के प्रावधान यथा "नवीनीकरण किया जाना- नियमों के उपबंधों के शर्तों के अनुसार पट्टा नवीनीकरण किये जाने योग्य है।" को विलोपित किया जाता है।

8. मूल अनुबंध दिनांक 13/12/12 (मूल अनुबंध निष्पादन दिनांक) के तहत अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।


9. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रूपसे प्रतिवर्ष हैं।

923625/ जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित शीर्ष में निष्पादित किया गया है।


राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से

द्वारा हस्ताक्षरित
तारीख


कलेक्टर


रखनि अधिकारी
हनु-कलेक्टर कोरिया
(पट्टाधारक)

(पट्टाधारी)
तारीख

कोरिया, बंकुण्डपुर

हरकेश तिवारी

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षी:-

(1) हस्ताक्षर Chaelo

नाम दीपक चक्रवर्ती

पिता या पति या पत्नी श्री अजीत चक्रवर्ती

पता लाउ नं. 21 मनेडाग

(2) हस्ताक्षर सुमिका तिवारी

नाम सुमिका तिवारी

पिता या पति या पत्नी श्री पारसनाथ तिवारी

पता लाउ नं. 21 मनेडाग




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

Certificate No. : IN-CG04511241333573P
 Certificate Issued Date : 07-Feb-2017 06:24 PM
 Account Reference : NONACC (BK)/ cgjsamb09/ BAIKUNTHPUR/ CG-KO
 Unique Doc. Reference : SUBIN-CGCGJSAMB0904930025305110P
 Purchased by : RADHIKA TIWARI
 Description of Document : Article 35 Lease (For a period of one year or more)
 Property Description : LEASE FOR MINING
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : COLLECTOR KOREA MINING DEPARTMENT
 Second Party : RADHIKA TIWARI
 Stamp Duty Paid By : RADHIKA TIWARI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,70,146
 (Three Lakh Seventy Thousand One Hundred And Forty Six only)



Please write or type below this line.....

राधिका तिवारी

राधिका तिवारी
 हेतु-कलेक्टर कोरिया
 (छत्तीसगढ़)

WN 0004025345

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shelvestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.

मुकाम 3599283

29

स्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या
दस्ताखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद
लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस
दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत

तादाद फीस
(अगर हो तो)
दाखल शुदा

रजिस्ट्री के
ओहदेदार
के छोटे
दस्ताखत

(2)

(3)

(4)

राधिका लियोका
खानास पेट्टा

2-7-660

तारीख

उत्तर-पंजीयक
मलेन्द्र

Handwritten signature

उत्खनन पट्टे की अवधि विस्तार करने हेतु अनुपूरक पट्टा
विलेख

(नियम 38क)

गौण खनिज हेतु उत्खननपट्टा अनुबंध विलेख दिनांक 13.12.1932 में यह संशोधन (जो इसमें इसके पश्चात् "अनुपूरक पट्टा विलेख क्रमांक 1" के रूप में निर्दिष्ट है) एक पक्षकार के रूप में उत्खनन कर को रिकॉर्ड करने के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उनके पदोत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) और दूसरे पक्षकार श्री श्री. वि. क. शर्मा (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं) आत्मज श्री. वि. क. शर्मा (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं))

अथवा

(सोसायटी या

सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा श्री. वि. क. शर्मा (व्यक्ति का नाम पदनाम सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित हैं);

अथवा

(भागीदारों के नाम तथा पते) तथा

(भागीदारों के नाम तथा पते)

जो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम) श्री. वि. क. शर्मा के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय श्री. वि. क. शर्मा नगर श्री. वि. क. शर्मा में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी श्री. वि. क. शर्मा

(कंपनी का नाम)

और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय श्री. वि. क. शर्मा

(पता) में है (जो इसमें

इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के

राष्ट्रिय निवेश

शुद्धि अधिकारी
छत्तीसगढ़

31
श्रीमती साधिका विठारि पति श्री कृष्ण सुरेश
विठारि

द्वारा उप-विभागा
जिला मनेन्द्रगढ़
मनेन्द्रगढ़ 4 MAR 2017
डा. मनेन्द्रगढ़ 11:00
प्रस्तुत किया गया।
उप पंजीयक
मनेन्द्रगढ़

370146
370146=00

उप पंजीयक
मनेन्द्रगढ़

राधिका विठारि

प्रथम पक्ष :- कृष्ण सुरेश साहू

द्वितीय पक्ष :- श्रीमती साधिका विठारि पति श्री कृष्ण सुरेश
विठारि आ. मनेन्द्रगढ़ तह. मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़ (द.ग.)

जानि (पट्टा)
मनेन्द्रगढ़

1) श्रीमती साधिका विठारि पति श्री कृष्ण सुरेश विठारि आ. मनेन्द्रगढ़

2) दीपक पाण्डेय आ. लक्ष्मी सा. पण्डेय सुरेश







4 MAR 2017

उप पंजीयक
मनेन्द्रगढ़

Handwritten signature

:: प्रारूप ::

पंजीयन अधिनियम की धारा 32 (A) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप

क्रमांक	बांये हाथ का अंगुष्ठ छाप	पासपोर्ट साइज फोटो	विक्रेता / दावेदार का नाम एवं स्थाई पता
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

Contd..

अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी सम्मिलित समझे जाएंगे)

के मध्य दिनांक 14/3/2017 को किया जाता है।

"पट्टाकर्ता" और "पट्टेदार" इस अनुपूरक पट्टा विलेख के प्रयोजन के लिए, व्यक्तिगत रूप से करने के लिए "पक्षकार" के रूप में और सामूहिक रूप से पक्षकारों के रूप में निर्दिष्ट होंगे।

यतः

(क) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में दिनांक 23.03.2016 को किये गये संशोधनों के पूर्व पक्षकारों द्वारा पट्टा गौण खनिज हेतु निम्नलिखित क्षेत्र के लिए मूल उत्खननपट्टा विलेख 25 वर्ष की कालावधि हेतु दिनांक 13/12/12 से दिनांक 12/12/2017 तक निष्पादित किया गया था।

पट्टे का स्थान और क्षेत्र:-

..... ग्राम में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्र या क्षेत्रों का वर्णन) जो तहसील में ग्राम पंचायत में है और जो खसरा सर्वे क्रमांक जिसमें या उसके लगभग का क्षेत्र है, जो इससे संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो रंग से दर्शाया गया है और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार अंतर्विष्ट है :-

उत्तर में	299	538	द्वारा
दक्षिण में	299	302	द्वारा
पूर्व में	299	300	द्वारा
और पश्चिम में	299		द्वारा

जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त भूमि" के रूप में निर्दिष्ट हैं।

(ख) राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2016 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार नियम 38क के तहत उत्खननपट्टे की स्वीकृति की कालावधि को विस्तारित किया गया है।

अतएव अब एतद्द्वारा पक्षकारों के बीच में यह सहमति हुई:

1. पक्षकारों के बीच निष्पादित पट्टे में उत्खननपट्टे की स्वीकृत अवधि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 38क के तहत होगी और तदनुसार उत्खननपट्टे की कालावधि 25 वर्ष के लिए दिनांक 13/12/2017 से दिनांक 12/12/2042 तक विस्तारित की जाती है।

2. उत्खननपट्टा के धारक द्वारा स्वामिस्व के भुगतान के अतिरिक्त जिस जिले में खनन संकियाएं संचालित की जा रही हैं उस जिला खनिज संस्थान न्यास में अंशदान का भुगतान नियम 50 के तहत विनिर्दिष्ट दर से करेगा।

3. अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2016 द्वारा नियम में किये गये संशोधन के पूर्व स्वीकृत/निष्पादित उत्खननपट्टे पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन लागू होंगे।

राष्ट्रिय अधिकारी

राष्ट्रिय अधिकारी
छत्तीसगढ़

73



राधिका तिवारी

उपरोक्त निष्पत्तक/पातक/कमिश्नरी
के अंगूठे का
निशान पर लम्बित ता 0 1 1 4 MAR 2017
मे लिया गया।

उप पंजीयक
मनेन्द्रगढ़

शुभम

① शुभम

Shubham Tiwari
6/0-Krishna Murari Tiwari
add - Manendragarh.

④ शुभम
राधिका तिवारी
पेनल बुक को रखा है

Handwritten mark

-: विशेष शर्त :-

[1]	षट्देदार को पत्थर (केशर) उत्खनि पट्टा हेतु जल एवं वायु विषयक (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी) पर्यावरण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
[2]	षट्देदार को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 100 पौधों का वृक्षारोपण पट्टा अवधि तक करना होगा।
[3]	पर्यावरण क्लीयरेंस में जारी अवधि तक ही षट्देदार को उत्खनन कार्य करना अनिवार्य होगा, एवं पर्यावरण अनुमति में दिये गये समस्त निर्देशो/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

राधिका तिवारी


 खनि अधिकारी
 हेतु-कलेक्टर कार्यालय
 (पत्थर निर्यात)

4. उत्खननपट्टाधारक, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे और आवश्यक सम्मति प्रस्तुत करेगा।
5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत पूरक अनुबंध विलेख के निष्पादन से 30 दिवस के भीतर पंजीकृत किया जाएगा।
6. अन्य समस्त निबंधन एवं अभिव्यक्तियां जिसका उपयोग किया गया है तथापि विशेष रूप से इस पूरक अनुबंध अंतर्गत परिभाषित नहीं है, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका अर्थ वही होगा जो कि मूल अनुबंध एवं तत्पश्चात् संशोधन अंतर्गत परिभाषित है।
7. मूल उत्खननपट्टा विलेख के भाग आठ की कंडिका 3 के प्रावधान यथा "नवीनीकरण किया जाना- नियमों के उपबंधों के शर्तों के अनुसार पट्टा नवीनीकरण किये जाने योग्य है।" को विलोपित किया जाता है।
8. मूल अनुबंध दिनांक 12/12/12 (मूल अनुबंध निष्पादन दिनांक) के तहत अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
9. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रूपसे प्रतिवर्ष हैं।
12285541
- जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से

खनि अधिकारी
हेतु-पट्टाधारक अधिनियम
(खनि अधिनियम)

द्वारा हस्ताक्षरित
तारीख
(पट्टाधारी)
तारीख

राज्यपाल
श्री श्री श्री, हेतु-पट्टाधारक
राज्यपाल

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षी:-

- (1) हस्ताक्षर Balu
नाम डी.ए.ए. लाल
पिता या पुत्रि या पत्नी स्व. श्री अजीत लाल लाल
पता आ. नं. 21, मंगेडा
- (2) हस्ताक्षर K. S. S.
नाम कृष्ण लाल तिवारी
पिता या पुत्रि या पत्नी श्री. प्रमोद लाल तिवारी
पता आ. नं. 21, मंगेडा

76

इस दस्तावेज में कांठ-छांट है /
नहीं है ।

AI
उप पंजीक

4 MAR 2017

को मुद्रांक ४९५५ में पृष्ठ ४९+५५ पर्याप्त किया गया है।
पंजीक ४९५५
४९५५
AI
उप पंजीक
मनेन्द्रगढ़



पंजीक	२५५६१०
पंजीक शुल्क	
मुद्रांक	००
पंजीक	१.५०
प्रति	५०
मुद्रांक	
अंतिम	५०

जो - २५५६६० = ००

AI
उप पंजीक
मनेन्द्रगढ़

AI




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Chhattisgarh

e-Stamp

Certificate No. : IN-CG04511235711023P
 Certificate Issued Date : 07-Feb-2017 06:22:PM
 Account Reference : NONACC (BK)/ cgjsamb09/ BAIKUNTHPUR/ CG-KO
 Unique Doc. Reference : SUBIN-CGCGJSAMB0904929954009967P
 Purchased by : MS JAI AMBEY STONE CRUSHER PROP KRISHNA MU TIWARI
 Description of Document : Article 35 Lease (For a period of one year or more)
 Property Description : LEASE FOR MINING
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : COLLECTOR KOREA MINING DEPARTMENT
 Second Party : MS JAI AMBEY STONE CRUSHER PROP KRISHNA MU TIWARI
 Stamp Duty Paid By : MS JAI AMBEY STONE CRUSHER PROP KRISHNA MU TIWARI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,73,960
 (One Lakh Seventy Three Thousand Nine Hundred And Sixty only)



-----Please write or type below this line-----

MS

h
खनि अधिकारी
हेतु-कालेक्टर कोरिया
(छत्तीसगढ़)

WN 0004025346

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


संस्कृत
लिपिकान्
काठिना इव
(1)

40
78

कृष्ण शास्त्री का सामाजिक कार्य लक्ष्मी प्रसाद
कि. ए. प्रसाद प्रकाश कलकत्ता कोविन्दा नं. ७५५
पद्म श्री प्रसाद से दस्तावेज का निष्पादन किया है।
इसके अलावा कृष्ण प्रसाद का सामाजिक कार्य में
उपस्थित होने से सुभाषित किया जाता है एवं
दस्तावेज प्रसाद से सुभाषित किया जाता है।

14 MAR 2017

उप निदेशक
मलेन्द्रगढ़



Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti-copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



Handwritten signature or mark.

कस को	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्ताखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस अगर हो तो दाखल शुदा	जिस्टी के ओहदेदार के छोटे दस्ताखत
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>30601 मुहरबंद लिफाफा</p> <p>खानेगण परदा</p>	30520/-	<p>A</p>

तारीख 4 MAR 2017

उप-पंजीयक

Handwritten signature

संयोजन पट्टे को अन्तर्गत में हैतु अनुपूरक पट्टा विलेख

(नियम 38क)

गौण खनिज हेतु उत्खननपट्टा अनुबंध विलेख दिनांक 19/01/02 में यह संशोधन (जो इसमें इसके पश्चात् "अनुपूरक पट्टा विलेख क्रमांक 1" के रूप में निर्दिष्ट है) एक पक्षकार के रूप में ~~डॉक्टर कोरिया~~ के माध्यम से कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टाकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उनके पदोत्तरदर्ता भी सम्मिलित है) और दूसरे पक्षकार श्री ~~श्री. प्रमोद कुमार (व्यक्ति)~~ आत्मजा ~~श्री. प्रमोद कुमार (व्यक्ति)~~ (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय) (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित है)

अथवा

(सांसायकी या सहयोजन का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) तथा (व्यक्ति का नाम पदनाम सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उनके क्रमशः वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी सम्मिलित है)

अथवा

(भागीदारों के नाम तथा पते) तथा (भागीदारों के नाम तथा पते) जो, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम) के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय नगर में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के अनुकूल है वहाँ उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी (कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापिधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहाँ अभिव्यक्तियों संदर्भ के

3 * स्तीर

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
खनि अधिकारी
हेतु-कलेक्टर कोरिया
(छत्तीसगढ़)

का का अधि

शुभा मुरारी तिमारी डा. श्री पारसनाथ
जिला कोरिया 24 MAR 2017 तिमारी

173960

स. प्र. वि. का. 11-18

Handwritten signature

173960 = 00
3. 8
म

प्रथम पक्ष :- शुभा मुरारी तिमारी

द्वितीय पक्ष :- श्री शुभा मुरारी तिमारी डा. श्री पारसनाथ
तिमारी डा. मनीन्द्रनाथ एम. मनीन्द्रनाथ
जिला कोरिया (द.प्र.)

अनियमित पक्ष

शुभा तिमारी डा. श्री शुभा मुरारी तिमारी डा. मनीन्द्रनाथ






श्री पारसनाथ डा. मनीन्द्रनाथ सु. पंडरी मुरारी

24 MAR 2017

स. प्र. वि. का.

:: प्रारूप ::

पंजीयन अधिनियम की धारा 32 (A) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप

क्रमांक	बायें हाथ का अंगुष्ठ छाप	पासपोर्ट साइज फोटो	विक्रेता / दावेदार का नाम एवं स्थाई पता
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			

Contd..

85



Handwritten signature or scribble

उपरोक्त निम्नलिखित/सम्बन्धित/अधिकारिता
के अंगूठे का
निर्माण कर के अंगूठे का
मे लिखा गया।

MAR 2017

उप प्रजीयक
मनेन्द्रगढ़

शुभम

(1) ~~Shubham~~

Shubham Tiwari
So - Krishna Murari Tiwari
add - Manendragarh.

(11) ~~Shubham~~
दीपक पांडे, 80 लक्ष्मी पांडे
पेक्षा सुरा कोरुण
67

Handwritten mark or signature

-: विशेष शर्त :-

[1]	पट्टेदार को पत्थर (केशर) उत्खनि पट्टा हेतु जल एवं वायु विषयक (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी) पर्यावरण मंडल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
[2]	पट्टेदार को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 100 पौधों का वृक्षारोपण पट्टा अवधि तक करना होगा।
[3]	पर्यावरण क्लीयरेंस में जारी अवधि तक ही पट्टेदार को उत्खनन कार्य करना अनिवार्य होगा, एवं पर्यावरण अनुमति में दिये गये समस्त निर्देशो/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।


 खनि अधिकारी
 हेतु-कलेक्टर कोरिया
 (उत्तरप्रदेश)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. उत्खननपट्टाधारक, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे और आवश्यक सम्मति प्रस्तुत करेगा।
5. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत पूरक अनुबंध विलेख के निष्पादन से 30 दिवस के भीतर पंजीकृत किया जाएगा।
6. अन्य समस्त निबंधन एवं अभिव्यक्तियां जिसका उपयोग किया गया है तथापि विशेष रूप से इस पूरक अनुबंध अंतर्गत परिभाषित नहीं है, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका अर्थ वही होगा जो कि मूल अनुबंध एवं तत्परचात् संशोधन अंतर्गत परिभाषित है।
7. मूल उत्खननपट्टा विलेख के भाग आठ की कंडिका 3 के प्रावधान यथा "नवीनीकरण किया जाना- नियमों के उपबंधों के शर्तों के अनुसार पट्टा नवीनीकरण किये जाने योग्य है।" को विलोपित किया जाता है।
8. मूल अनुबंध दिनांक 19/10/02 (मूल अनुबंध निष्पादन दिनांक) के तहत अन्य समस्त निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
9. स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टान्तरित क्षेत्र से प्रत्याशित स्वामिस्व रूपये प्रतिवर्ष हैं।
115,972.91
जिसके साक्ष्य में यह विलेख, प्रथमतः ऊपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिए तथा उनकी ओर से

स्वनि अधिकारी
हेनु-कलेक्टर कोरिया
(पट्टाधारक)

द्वारा हस्ताक्षरित
तारीख
(पट्टाधारी)
तारीख

(हस्ताक्षरित तथा पदाभिधान)

साक्षी:-

- (1) हस्ताक्षर Chad
नाम श्री प्रदु चक्रवर्ती
पिता या पति या पत्नी श्री अजीत चक्रवर्ती
पता वाड नं. 21 अने इमठ
- (2) हस्ताक्षर Chad
नाम श्री अजीत चक्रवर्ती
पिता या पति या पत्नी श्री प्रदु चक्रवर्ती
पता वाड नं. 21 अने इमठ

88

इस दरताबेज में कांट-छांट ही
कहीं है।

AI

राम बंजीवराव

4 MAR 2017

आज तारीख
की पुस्तक क्रमांक 89-1-875
में पृष्ठ 61+65 पर पृष्ठ-क्रमांक 427
पंजीयत किया जाे।

AI
राम बंजीवराव





क्रमांक	130470
पृष्ठ	00
पृष्ठ	00
पृष्ठ	00
पृष्ठ	50

क्रमा - 130520

AI
राम बंजीवराव

टीपः लीज जालकन दखेरा निवारी को गाम डोमभापारा प.ह.न. 12 में खेहरा कमाण्ड 525 में से खेहरा 1.00 हे. पर पणर उखेगन हेतु खीकल लीज क्षेत्र हे जिहमें चिखेगिन  क्षेत्र में खीकल लीज क्षेत्र के अंदर ही लीज जालकन जोरा पणर उखेगन कराया गया है 






टीपः लीज आउकर्स डाटा निवारी को खास गाम हसियुर प-ह.न.10 में खसरा कुंभंड 299 में से खसरा 0.83 हे. खसरा लीज क्षेत्र है। खसरा लीज क्षेत्र के अनिरुधिर लीज आउकर्स द्वारा 1.00 हे. भूमि में पथर खसरा व महाराज कर से असाधित करा दिया गया है।

(Handwritten signature)

रजि. (1/11/21)



दीर्घ: लीज टाइटल क्लेम गुरारी निवासी को अज्ञात दलितगुण पर न.न.10 में खसरा कुमांड 15 में से रकबा

2.50 हे. पर पथर उखाना हेतु प्लान लीज क्षेत्र है जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र में प्लान लीज क्षेत्र के अंदर ही लीज टाइटल द्वारा पथर उखाना कराया गया है

(Handwritten signature)

आज दिनांक 13.4.23 को ग्राम हरिनगरपुर सह-मनेन्द्राद
 में स्थित पंचाट केन्द्र एवं खदान को छि लकला नं 299 रकबा 1-83 हे.
 क्षेत्र में भीमराज राखिछा तिवारी पति श्री. हनुमानचारी तिवारी के नाम
 स्वीकृत हफल या राजस्व विभाग एवं वन विभाग की सुचना
 प्राप्त किया गया। पौवा मंत्र के समय राजस्व विभाग एवं
 स्वीकृत खदान केन्द्र हफल को सीमांतन लक्ष्य में उपस्थित केन्द्र
 लंचालमन्त्री श्री. हनुमानचारी तिवारी एवं पुरानी विषय सिंह एवं
 अन्य उपस्थित व्यक्तियों श्री. ठपरीपति में किया गया, पौवा मंत्र के
 समय राजस्व विभाग के टीम द्वारा सीमांतन हेतु सीमा से
 चार हफल अ-चिन्दाखिन्न विभागों के समक्ष पर्याप्त स्वीकृत
 खदान क्षेत्र का पूर्वी दिशा में केन्द्र के बगल क्षेत्र से लगा क्षेत्र
 स्वीकृत खदान क्षेत्र से बाहर पत्तल उत्खनन कार्य होना पचा
 मिस्र। क्षेत्र नं. 19 नं. 21 नं. पं. 17 का 17, 3 नं. 8 5 6 7 एवं स्वीकृत खदान
 नं. 10 नं. 11 नं. 12 से बाहर लग. 30 हीप नोडल लगा क्षेत्र प्राप्त है।
 स्वीकृत खदान क्षेत्र केन्द्र केन्द्र केन्द्र 20 100 8 हीप 10 100 15

AMD 13.4.23
 MB3

हीप मीमा 40 हीप नचा नोडल हटांक लग 250 हीप पाया गया
 तथा खदान क्षेत्र के केन्द्र लंचालमन्त्री के अलावा अन्य जिससे पंचाट स्थित

Handwritten
 13.4.23
 5017

विषय मन्त्री लगावा ईर विभाग खदान या रवा तथा उधर पत्तल
 को चोले को, से नार उधरिंग विभा नोडल फेड पौवा 140 नगा है
 नीम, गुलमोहर शिशम एवं प्यानीप उमासी उ पौवा लगाया गया है

1. श्री विजय सिंह
 आ. श्री सुखराम
 जागोड़ नि. हरिनगरपुर

2. श्री सुखराम तिवारी
 आ. श्री पारमनाथ तिवारी
 नि. मनेन्द्राद

Handwritten signature

3. श्री ~~श्रीपेन्दु~~ तिवारी
 श्रीपेन्दु तिवारी
 सा. सा. श्री अगताराम
 नि. श्रीकेली

4. श्री ~~श्रीपेन्दु~~
 श्री शर्मा
 सा. श्री श्रीजनाल
 जानी अगाशिया
 नि. श्रीकेली

5. श्री शंकर
 सा. श्री सुदन सिंह
 जा. गोड
 नि. हाथिनापुर

6. राज्य साहू नगरपालिका
कस्य

7. श्री ~~श्रीपेन्दु~~
 लिवना देवाना
 स्वामीजी सिपाही

9.



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

AA 354042

सहमति-पत्र

मैं दुर्गेश कुमार पाण्डेय कलेक्ट्रेट एरिया, एम0सी0बी0 (छ0ग0) को प्राप्त विस्फोटक भण्डारण एवं उपयोग एक्सप्लोसिव लाईसेंस क. E/CR/CG/22/5 (E88960) प्राप्त है, जो दिनांक 31/03/2023 तक विधिमान्य है। इस लाइसेंस के अंतर्गत श्रीमती राधिका तिवारी, ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील मनेन्द्रगढ़ के खसरा क. 299 रकबा 0.89 हे. पत्थर खदान में अनुबंध के आधार पर एवं आवश्यकता पड़ने पर दिनांक 01/04/2021 से 29/03/2023 तक विस्फोट कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त सूचना आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

दिनांक : 14-04-2021

सहमतिदाता

दुर्गेश कुमार पाण्डेय

आ0 श्री सोहनलाल पाण्डेय

एक्सप्लोसिव लाईसेंस क.

E/CR/CG/22/5 (E88960)

निवासी ग्राम उजियारपुर, पो0 बरबसपुर,


थाना पोड़ी, तहसील मनेन्द्रगढ़,

जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)

CH


1- दुर्गेश पाण्डे #0 सोहनलाल पाण्डे
ग्राम- उजियारपुर, तह- मनेन्द्रगढ़
जि०- कोरिया (छ.ग.)

2- राधिका तिवारी पति कृष्ण मुरारी तिवारी
जि०- मनेन्द्रगढ़ तह- मनेन्द्रगढ़ जि- कोरिया (छ.ग.)



देवराज शर्मा
"प्रधान देवराज"
मनेन्द्रगढ़
01/06-87
सावधान रहें।

G



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

Y 640700

सहमति-पत्र

मैं दुर्गेश कुमार पाण्डेय कलेक्ट्रेट एरिया, एम0सी0बी0 (छ0ग0) को प्राप्त विस्फोटक भण्डारण एवं उपयोग एक्सप्लोसिव लाइसेंस क्र. E/CR/CG/22/5 (E88960) प्राप्त है, जो दिनांक 31/03/2023 तक विधिमान्य है। इस लाइसेंस के अंतर्गत मे0 जय अम्बे स्टोन केशर, प्रो0 कृष्णमुरारी तिवारी, ग्राम हस्तिनापुर, ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील मनेन्द्रगढ़ के खसरा क्र. 15 रकबा 2 हे. पत्थर खदान में अनुबंध के आधार पर एवं आवश्यकता पड़ने पर दिनांक 01/04/2021 से 29/03/2023 तक विस्फोट कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त सूचना आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

दिनांक : 14-04-2021

सहमतिदाता
दुर्गेश कुमार पाण्डेय
आ0 श्री सोहनलाल पाण्डेय
एक्सप्लोसिव लाइसेंस क्र.
E/CR/CG/22/5 (E88960)
निवासी ग्राम उजियारपुर, पो0 बरबसपुर,
थाना पोड़ी, तहसील मनेन्द्रगढ़,
जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)

26
01-04-21

(99)

1- दुर्गेश पाण्डे श्री सोहनलाल पाण्डे
ग्राम - उलियारपुर, तहसीला - मनेन्द्रगढ़
जिला - कोरिया (द.ग.)

2- कृष्ण मुशारी तिवारी श्री पारसनाथ तिवारी
जिला - ~~कोरिया~~ कोरिया (द.ग.)

हेमराज सोनी
"स्टाम्प केन्द्र"

1/2

अवध न्यायालय मनेन्द्रगढ़
लायसेंस क्रमांक - 48/96-97
लायसेंस वैधता दिनांक -----

9/



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

AA 354041

सहमति-पत्र

मैं दुर्गेश कुमार पाण्डेय कलेक्ट्रेट एरिया, एम0सी0बी0 (छ0ग0) को प्राप्त विस्फोटक भण्डारण एवं उपयोग एक्सप्लोसिव लाईसेंस क. E/CR/CG/22/5 (E88960) प्राप्त है, जो दिनांक 31/03/2023 तक विधिमान्य है। इस लाईसेंस के अंतर्गत हरकेश तिवारी, ग्राम डोमनापारा, ग्राम पंचायत साल्ही, तहसील मनेन्द्रगढ़ के खसरा क. 525 रकबा 1.00 हे. पत्थर खदान में अनुबंध के आधार पर एवं आवश्यकता पड़ने पर दिनांक 01/04/2020 से 29/03/2023 तक विस्फोट कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त सूचना आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

दिनांक : ...16.10.20

सहमतिदाता

दुर्गेश कुमार पाण्डेय

आ0 श्री सोहनलाल पाण्डेय

एक्सप्लोसिव लाईसेंस क.

E/CR/CG/22/5 (E88960)

निवासी ग्राम उजियारपुर, पो0 बरबसपुर,

थाना पोड़ी, तहसील मनेन्द्रगढ़,

जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)

04-20 1) दुर्गेबा पाण्डे vs. खोहनलाल पाण्डे
ग्राम- ठलियारपुर, तह-मेनेन्द्रगढ़,
जिला-कोटिया (द.ग.)

2) हरकेरा तिवारी पिता पारस नाथ तिवारी,
सि-मेनेन्द्रगढ़, तह-मेनेन्द्रगढ़, जिला-कोटिया (द.ग.)



जिला न्यायालय कोटिया
जिला दुरगम
न्यायालय कोटिया - 43/98-97
साथसेस वैधता दिनांक

G.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एम.सी.बी. छत्तीसगढ़
(07836-232228(कार्य.) 232228 (फैक्स) Email Miningkorla@gmail.com)

कमांक/ 04 / खनिज/उ0प0/2022, एम.सी.बी.
प्रति,

एम.सी.बी., दिनांक 17/10 /2022

श्रीमती राधिका तिवारी
निवासी-मनेन्द्रगढ़,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

विषय: स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र विगत 5 वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी ।

संदर्भ: श्रीमती राधिका तिवारी का आवेदन दिनांक 24.08.2022 के परिपालन में ।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पक्ष में ग्राम हस्तिनापुर, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) के ख0क्र0 299 रकबा 0.83 हे0 क्षेत्र में 13.12.2012 से 12.12.42 तक उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र0	वर्ष	उत्पादन मात्रा (घ.मी. में)
01.	2017	3376
02.	2018	1792
03.	2019	1584
04.	2020	1644
05.	2021	1428
योग-		9824

04/10/22

प्रभारी खनिज अधिकारी,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
सहायक खनिज अधिकारी
हस्तु-कलेक्टर
जिला-मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एम.सी.बी. छत्तीसगढ़

(07836-232228(कार्य.) 232228 (फेक्स) Email Miningkoria@gmail.com)

क्रमांक/ 01 / खनिज/उ0प0/2022, एम.सी.बी. एम.सी.बी., दिनांक 17/10/2022
प्रति,

श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
निवासी-मनेन्द्रगढ़,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

विषय: स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र विगत 5 वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी ।

संदर्भ: श्री कृष्ण मुरारी तिवारी का आवेदन दिनांक 24.08.2022 के परिपालन में।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पक्ष में ग्राम हस्तिनापुर, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ख0क्र0 15 रकबा 2.00 हे0 क्षेत्र में 19.09.2002 से 18.09.32 तक उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र0	वर्ष	उत्पादन मात्रा (घ.मी. में)
01.	2017	2207
02.	2018	985
03.	2019	951
04.	2020	1084
05.	2021	938
योग-		6165

प्रभारी खान अधिकारी,
जिला-मनेन्द्रगढ़ खनिज अधिकारी भरतपुर
उत्खनिपट्टा कलेक्टर
जिला-मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (उ0प0)

CH

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एम.सी.बी. छत्तीसगढ़

(07836-232228(कार्य.) 232228 (फैक्स) Email Miningkoria@gmail.com)कमांक/ ७३ / खनिज/उ०प०/2022, एम.सी.बी.
प्रति,

एम.सी.बी., दिनांक 17 / 10 / 2022

श्री हरकेश तिवारी
निवासी-मनेन्द्रगढ़,
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

विषय: स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र विगत 5 वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी ।

संदर्भ: श्री हरकेश तिवारी का आवेदन दिनांक 24.08.2022 के परिपालन में ।

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पक्ष में ग्राम डोमनापारा, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)के ख०क्र० 525 रकबा 1.00 हे० क्षेत्र में 13.12.2012 से 12.12.42 तक उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र०	वर्ष	उत्पादन मात्रा (घ.मी. में)
01.	2017	1172
02.	2018	680
03.	2019	150
04.	2020	0
05.	2021	57
योग-		2059

पुंभारी खनि अधिकारी,
सहायक खनि अधिकारी भरतपुर
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
कलेक्टर
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ०ग०)

Handwritten signature/initials in blue ink.

पट्टेदार श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	985.00	78000/-
2.	2019	951.00	195000/-
3.	2020	1084.00	117000/-
4.	2021	938.00	117000/-
5.	2022	0.00	0/-
योग		3958.00	507000/-

पट्टेदार श्री हरकेश तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	680.00	78000/-
2.	2019	150.00	39000/-
3.	2020	0.00	0/-
4.	2021	57.0	0/-
5.	2022	150.0	39000/-
योग		1037.00	156000/-

पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:-

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	1792.00	241695/-
2.	2019	1584.00	39000/-
3.	2020	1644.00	0/-
4.	2021	1428.00	117000/-
5.	2022	852.00	195000/-
योग		7300.00	592265/-

उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है

प्रभारी खानि अधिकारी

जिला-मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर (छोगो)



(यह बिल केवल सामान्य खपत के लिए है - पेनाल्टी/सतर्कता इकाई से संबंधित वसूली हेतु पृथक फार्म निर्धारित है ।)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत देयक (निम्नदाब हेतु)

सर्विस क्रमांक 1004404990

Last Payment of Rs 14190.00 on 20/06/2022

बिल अवधि	2022/06	3. बिल क्रमांक	706045461777	4. बिल दिनांक	15/07/2022	चेक हेतु	मुगतान हेतु अंतिम तिथि	नाद हेतु
						20/07/2022		25/07/2022

उपभोक्ता का नाम M/S JAI GANESH STONE CRUSHER

पता
PROP.SMT.RADHIKA TIWARI
W/O SHRI KRISHNA MURARI TIWARI
PIPARIYA

दूरभाष क्रमांक 9669999008

मीटर क्रमांक

पोल क्रमांक

0. वितरण केन्द्र (नाम/पता/फोन)

J.E. (O&M) Manendragarh

1. प्रयोजन	12. टैरिफ श्रेणी	LV5100BS21
13. विद्युत फेज	14. बिल आधार	
15. अनुबंध भार/मांग	16. वर्तमान रीडिंग	501
17. वर्तमान रीडिंग दिनांक	18. पिछली रीडिंग	442
19. पिछली रीडिंग दिनांक	20. गुणांक	40.0000
21. पॉवर फैक्टर वाचन	22. विद्युत खपत	
23. उच्चतम मांग वाचन	24. आंकलित खपत	
25. सुरक्षा निधि जमा	26. कुल खपत	59

27. विगत 6 रीडिंग का ब्यौरा

वाचन माह वाचन की तिथि रीडिंग (वाचन)

क.	2022/05	442	2400
ख.	2022/04	382	2320
ग.	2022/03	324	2400
घ.	2022/02	263	2080
च.	2022/02	263	2080
झ.	2022/01	241	3480

28. शिकायत हेतु संपर्क (क) श्री
(जूनियर इंजीनियर/सहायक यंत्री) दूरभाष क्रं.
(ख) सात दिवस में शिकायत का निराकरण न होने पर
श्री.
(सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) दूरभाष क्रं.

महत्वपूर्ण सूचना :- १) असुविधा से बचने के लिये बिल का भुगतान शीघ्र कीजिये । अंतिम तिथि के बाद 15 दिन तक भुगतान न किये जाने पर बिजली काटने की कार्यवाही की जा सकती है । २) सभी राशि रुपये पैसे में

भुगतान-चूक लेनी देनी

कार्यपालन यंत्री

29. न्यूनतम प्रभार	
30. नियत/मांग प्रभार	4030.00
31. ऊर्जा प्रभार	12744.00
32. योग (29 अथवा 30+31)	
33. विद्युत शुल्क (ड्यूटी)	660.00
34. ऊर्जा विकास उपकर (सेस)	236.00
35. मीटर किराया	100.00
36. वेल्डिंग/केपेसीटर अधिभार	0.00
37. वी.सी.ए. चार्ज	448.40
38. अतिरिक्त सुरक्षा निधी देयक	0.00
39. विशेष रियायत राशि	0.00
40. विकलन / आकलन समायोजन	0.00
41. कुल बिल	
42. सुरक्षा निधि बकाया	
43. पिछली बकाया राशि	3.83-
44. अतिरिक्त	4.57-
45. नियत तिथि तक शुद्ध देयक राशि	18210.00
46. अधिभार	
47. अधिभार सहित सकल देयक राशि	18490.00

Solar Roof Top:- Export Consumption:0 Export Purchase Amount:0.00

SD Interest 0

भुगतान की रसीद की मोहर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सर्विस क्रमांक	1004404990	बिल दिनांक	15/07/2022
बिल क्रमांक	706045461777	भुगतान हेतु अंतिम तिथि	नाद हेतु
चेक हेतु			
सुरक्षा निधी देयक		25/07/2022	
अन्य देयक			
शुद्ध देयक (नियत तिथि तक)			18210.00
सकल देयक (अधिभार सहित)			18490.00

भुगतान की रसीद की मोहर

यह बिल केवल सामान्य खपत के लिए है - पेनाल्टी/सतकता इकाई से संबंधित वसूली हेतु पृथक फार्म निर्धारित है।)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत देयक (निम्नदाब हेतु)

104404990

Last Payment of Rs 18210.00 on 23/07/2022

2022/07

3. बिल क्रमांक 706045798394

4. बिल दिनांक 15/08/2022

चैक हेतु

भुगतान हेतु अंतिम तिथि नगद हेतु

M/S JAI GANESH STONE
GRUSHER

22/08/2022

23/08/2022

पता

PROP.SMT.RADHIKA TIWARI
W/O SHRI KRISHNA MURARI TIWARI
PIPARIYA

29. न्यूनतम प्रभार

30. नियत/मांग प्रभार

4030.0

31. ऊर्जा प्रभार

14472.0

7. दूरभाष क्रमांक

9669999008

32. योग (29 अथवा 30+31)

8. वाहन क्रमांक

9. बिल क्रमांक

10. वितरण केन्द्र (नाम/पता/फोन)

J.E. (O&M) Manendragarh

33. विद्युत शक्ति (किलो)

749.0

34. ऊर्जा विकास उपकर (सेस)

268.0

35. मीटर किराया

100.0

36. वेल्डिंग/केपेसीटर अधिभार

0.0

37. वी.सी.ए. चार्ज

509.2

38. अतिरिक्त सुरक्षा निधी देयक

0.0

39. विशेष रियायत राशि

0.0

40. विकलन / आकलन समायोजन

0.0

41. कुल बिल

42. सुरक्षा निधि बकाया

43. पिछली बकाया राशि

4.5

44. अतिरिक्त

2.7

45. नियत तिथि तक शुद्ध देयक राशि

20130.0

46. अधिभार

47. अधिभार सहित सकल देयक राशि

20430.0

27. विगत 6 महीने का औसत

वाहन माह वाहन की तिथि शीटिंग वाहन

क्र	दिनांक	शीटिंग	वाहन
1	2022/06	501	2360
2	2022/05	442	2400
3	2022/04	382	2360
4	2022/03	324	2440
5	2022/02	263	2080
6	2022/02	263	2080

28. शिकायत हेतु संपर्क (क) श्री

(जूनियर इंजीनियर/सहायक यंत्री) दूरभाष क्रं

(ख) सात दिवस में शिकायत का निराकरण न होने पर

श्री

(सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) दूरभाष क्रं

महत्वपूर्ण सूचना :- १) अनुविधा से बचन के लिये बिल का भुगतान शीघ्र कीजिये। अंतिम तिथि के बाद 15 दिन तक भुगतान न किये जाने पर बिजली काटने की कार्यवाही की जा सकती है। 2) सभी राशि रुपये में

Solar Roof Top:- Export Consumption:0 Export Purchase Amount:0.00

SD Interest 0

भुगतान की रसीद की मोहर

Paid 20/8/22
Online

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सर्विस क्रमांक

1004404990

बिल क्रमांक

706045798394

बिल दिनांक

चैक हेतु

भुगतान हेतु अंतिम तिथि

15/08/2022

नगद हेतु

सुरक्षा निधी देयक

23/08/2022

अन्य देयक

शुद्ध देयक (नियत तिथि तक)

20130.00

सकल देयक (अधिभार सहित)

20430.00

भुगतान की रसीद की मोहर



(यह बिल केवल सामान्य खपत के लिए है - पेनाल्टी/सतर्कता इकाई से संबंधित वसूली हेतु पृथक फार्म निर्धारित है ।)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत देयक (निम्नदाब हेतु)

1. सर्विस क्रमांक 1004404990

Last Payment of Rs 15060.00 on 19/09/2022

2. बिल अवधि 2022/09 3. बिल क्रमांक 708042265332 4. बिल दिनांक 15/10/2022

चैक हेतु भुगतान हेतु अंतिम तिथि नगद हेतु

5. उपभोक्ता का नाम M/S JAI GANESH STONE CRUSHER 20/10/2022 26/10/2022

6. पता PROP.SMT.RADHIKA TIWARI W/O SHRI KRISHNA MURARI TIWARI PIPARIYA

29. न्यूनतम प्रभार
30. नियत/मांग प्रभार 4030.00
31. ऊर्जा प्रभार 14472.00

7. दूरभाष क्रमांक 9669999008

32. योग (29 अथवा 30+31)

8. मीटर क्रमांक

9. पोल क्रमांक

33. विद्युत शुल्क (ड्यूटी) 780.00

10. वितरण केन्द्र (नाम/पता/फोन)

J.E. (O&M) Manendragarh

34. ऊर्जा विकास उपकर (सेस) 268.00

11. प्रयोजन

12. टैरिफ श्रेणी

LV5100BS21

35. मीटर किराया 100.00

13. विद्युत फेज

14. बिल आधार

36. वेलिडिंग/केपेसीटर अधिभार 0.00

15. अनुबंध भार/मांग 50HP

16. वर्तमान रीडिंग 679

37. वी.सी.ए. चार्ज 1125.60

17. वर्तमान रीडिंग दिनांक 0.6500

18. पिछली रीडिंग 612

38. अतिरिक्त सुरक्षा निधी देयक 0.00

19. पिछली रीडिंग दिनांक

20. गुणांक 40.0000

39. विशेष रियायत राशि 0.00

21. पूर्व फेक्टर वाचन 0.93

22. विद्युत खपत

40. विकलन / आकलन समायोजन 0.00

23. उच्चतम मांग वाचन 0.6500

24. आंकलित खपत

41. कुल बिल

25. सुरक्षा निधि जमा 87750

26. कुल खपत 67

42. सुरक्षा निधि बकाया

27. विगत 6 रीडिंग का ब्योरा

वाचन माह वाचन की तिथि रीडिंग (वाचन)

43. पिछली बकाया राशि 3.97

क.	ख.	ग.	घ.	ड.	च.
2022/08	612	1760	2022/07	568	2680
2022/06	501	1760	2022/05	442	2400
2022/04	382	2320	2022/03	324	2440

44. अतिरिक्त 0.43

45. नियत तिथि तक शुद्ध देयक राशि 20780.00

46. अधिभार

47. अधिभार सहित सकल देयक राशि 21090.00

28. शिकायत हेतु संपर्क (क) श्री (जूनियर इंजीनियर/सहायक यंत्री) दूरभाष क्र. (ख) सात दिवस में शिकायत का निराकरण न होने पर श्री. (सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) दूरभाष क्र.

Solar Roof Top:- Export Consumption:0 Export Purchase Amount:0.00

SD Interest 0

महत्वपूर्ण सूचना :- १) असुविधा से बचने के लिये बिल का भुगतान रीघ्न कीजिये ! अंतिम तिथि के बाद 15 दिन तक भुगतान न किये जाने पर बिजली काटने की कार्यवाही की जा सकती है । २) सभी राशि रुपये में ही भूल-चूक सेनी देनी कार्यपालन यंत्री

भुगतान की रसीद की मोहर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सर्विस क्रमांक	1004404990	बिल दिनांक	15/10/2022
बिल क्रमांक	708042265332	चैक हेतु	भुगतान हेतु अंतिम तिथि नगद हेतु
सुरक्षा निधी देयक	26/10/2022		
अन्य देयक			
शुद्ध देयक (नियत तिथि तक)	20780.00		
सकल देयक (अधिभार सहित)	21090.00		

भुगतान की रसीद की मोहर

(यह बिल केवल सामान्य खपत के लिए है - पेनाल्टी/सतर्कता शुल्क से संबंधित वसूली हेतु पृथक फॉर्म निर्धारित है।)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत देयक (निम्नदाब हेतु)

1004404990

Last Payment of Rs 20780.00 on 18/10/2022

2022/10

3. बिल क्रमांक: 706046638375

4. बिल दिनांक 15/11/2022

घेक हेतु

भुगतान हेतु अंतिम तिथि नगद हेतु

21/11/2022

23/11/2022

स्का का नाम M/S JAI GANESH STONE CRUSHER

पता PROP.SMT.RADHIKA TIWARI
W/O SHRI KRISHNA MURARI TIWARI
PIPARIYA

29. न्यूनतम प्रभार

30. नियत/मांग प्रभार

4160.00

31. ऊर्जा प्रभार

14256.00

32. योग (29 अथवा 30+31)

7. दूरभाष क्रमांक

9669999000

8. मीटर क्रमांक

9. पोल क्रमांक

10. वितरण केन्द्र (नाम/पता/फोन)

J.E. (O&M) Manendragarh

11. प्रयोजन

12. टैरिफ श्रेणी

LV5100BS21

13. विद्युत फेज

14. बिल आधार

15. अनुबंध भार/मांग

50HP

16. वर्तमान रीडिंग

745

17. वर्तमान रीडिंग दिनांक 7900

18. पिछली रीडिंग

679

19. पिछली रीडिंग दिनांक

20. गुणांक

40.0000

21. पॉवर फैक्टर वाचन

0.92

22. विद्युत खपत

23. उच्चतम मांग वाचन

0.7900

24. आकलित खपत

25. सुरक्षा निधि जमा

87750

26. कुल खपत

66

33. विद्युत शुल्क (ड्यूटी)

1008.00

34. ऊर्जा विकास उपकर (सेस)

264.00

35. मीटर किराया

100.00

36. वेल्डिंग/केपेसीटर अधिभार

0.00

37. वी.सी.ए. चार्ज

1610.40

38. अतिरिक्त सुरक्षा निधी देयक

0.00

39. विशेष रियायत राशि

0.00

40. विकलन/ आकलन समायोजन

0.00

41. कुल बिल

42. सुरक्षा निधि बकाया

43. पिछली बकाया राशि

0.43

44. अतिरिक्त

2.03

45. नियत तिथि तक शुद्ध देयक राशि

21400.00

46. अधिभार

47. अधिभार सहित सकल देयक राशि

21720.00

क्र.	ख.	ग.	घ.	ड.	घ.
2022/09	679	2680			
2022/08	612	1760			
2022/07	568	2680			
2022/06	501	2360			
2022/05	442	2400			
2022/04	382	2320			

27. विगत 6 रीडिंग का ब्योरा

वाचन माह वाचन की तिथि रीडिंग (वाचन)

28. शिकायत हेतु संपर्क (क) श्री
(जूनियर इंजीनियर/सहायक यंत्री) दूरभाष क्रं.
(ख) सात दिवस में शिकायत का निराकरण न होने पर
श्री
(सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) दूरभाष क्रं.

महत्वपूर्ण सूचना :- 1) जसुविधा से बचने के लिये बिल का भुगतान शीघ्र करजिये। अंतिम तिथि के बाद 15 दिन तक भुगतान न किये जाने पर बिजली काटने की कार्यवाही की जा सकती है। 2) सभी राशि रुपये पैसे में

मूल-चूक लेनी देनी

कार्यपालन यंत्री

Solar Roof Top:- Export Consumption:0 Export Purchase Amount:0.00

SD Interest 0

भुगतान की रसीद की मोहर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सर्विस क्रमांक

1004404990

बिल क्रमांक

706046638375

बिल दिनांक

15/11/2022

घेक हेतु

भुगतान हेतु अंतिम तिथि

नगद हेतु

23/11/2022

सुरक्षा निधी देयक

अन्य देयक

शुद्ध देयक (नियत तिथि तक)

21400.00

सकल देयक (अधिभार सहित)

21720.00

भुगतान की रसीद की मोहर



(यह बिल केवल सामान्य खपत के लिए है - पेनाल्टी/सर्कटता इकाई से संबंधित वसूली हेतु पृथक फार्म निर्धारित है ।)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत देयक (निम्नदाब हेतु)

1. सर्विस क्रमांक 1004404990

Last Payment of Rs 21400.00 on 23/11/2022

2. बिल अवधि 2022/11

3. बिल क्रमांक 714027029756

4. बिल दिनांक 20/12/2022

चेक हेतु

भुगतान हेतु अंतिम तिथि नगद हेतु

5. उपभोक्ता का नाम M/S JAI GANESH STONE CRUSHER

26/12/2022

28/12/2022

6. पता

PROP.SMT.RADHIKA TIWARI
W/O SHRI KRISHNA MURARI TIWARI
PIPARIYA

29. न्यूनतम प्रभार

30. नियत/मांग प्रभार

4030.00

31. ऊर्जा प्रभार

9288.00

7. दूरभाष क्रमांक

9669999000

8. मीटर क्रमांक

9. पोल क्रमांक

10. वितरण केन्द्र (नाम/पता/फोन)

JE MANENDRAGARH RURAL

11. प्रयोजन

12. टैरिफ श्रेणी

LV5100BS21

13. विद्युत फेज

14. बिल आधार

15. अनुबंध भार/मांग

50HP

16. वर्तमान रीडिंग

788

17. वर्तमान रीडिंग दिनांक 06/00

18. पिछली रीडिंग

745

19. पिछली रीडिंग दिनांक

20. गुणांक

40:0000

21. पावर फॅक्टर वाचन

0.93

22. विद्युत खपत

23. उच्चतम मांग वाचन

0.8600

24. आंकलित खपत

25. सुरक्षा निधि जमा

87750

26. कुल खपत

43

27. विगत 6 रीडिंग का ब्यौरा

वाचन माह वाचन की तिथि रीडिंग (वाचन)

क्र.	माह	वाचन की तिथि	रीडिंग (वाचन)
क.	2022/10	745	2640
ख.	2022/09	679	2680
ग.	2022/08	612	2640
घ.	2022/07	568	2680
च.	2022/06	501	2360
छ.	2022/05	442	2400

28. शिकायत हेतु संपर्क (क) श्री
(जूनियर इंजीनियर/सहायक यंत्री) दूरभाष क्रं.
(ख) सात दिवस में शिकायत का निराकरण न होने पर
श्री
(सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री) दूरभाष क्रं.

महत्वपूर्ण सूचना :- 1) अनुविधा से बचने के लिये बिल का भुगतान शीघ्र कीजिये । अंतिम तिथि के बाद 15 दिन तक भुगतान न किये जाने पर बिजली काटने की कार्यवाही की जा सकती है । 2) सभी राशि रुपये में ही

पूल-घुक लेनी हैनी

कार्यपालन यंत्री

Solar Roof Top:- Export Consumption:0 Export Purchase Amount:0.00

SD Interest 0

भुगतान की रसीद की मोहर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सर्विस क्रमांक

1004404990

बिल क्रमांक

714027029756

बिल दिनांक

20/12/2022

चेक हेतु

भुगतान हेतु अंतिम तिथि

नगद हेतु

सुरक्षा निधि देयक

28/12/2022

अन्य देयक

शुद्ध देयक (नियत तिथि तक)

सकल देयक (अधिभार सहित)

15360.00

15590.00

भुगतान की रसीद की मोहर



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224513
CG-DL-E-18012021-224513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]
No. 201]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 221(अ).— केंद्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सभी संबंधित सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया जा सकता है यथास्थिति, भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, परियोजना प्रबंधन द्वारा किसी भी संनिर्माण कार्य या भूमि को तैयार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी।

और कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) ने, क्षेत्र में परियोजनाओं या क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उक्त अधिसूचना में अनुज्ञात अधिकतम अवधि से परे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता के विस्तार के लिए अनुरोधों की संख्या प्राप्ति में है, क्योंकि कोविड 19 महामारी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। मामले की उक्त मंत्रालय में समीक्षा की गई है और चिंता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि लॉकडाउन (कुल या आंशिक) के कारण, क्षेत्र में क्रियाकलापों को जारी रखना कठिन हो सकता है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के (4) खंड के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) की उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा अभिमुक्ति के पश्चात् भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (II), में प्रकाशित, भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) उप शीर्ष II "चरण (2) विस्तारण", के अधीन पैरा 7 के उप पैरा 7(i) में, खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(ix) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मंजूर संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त संदर्भ की शर्तों के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे।";

(ii) पैरा 9 क के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9 क. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त पर्यावरणीय अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे।";

[फा. सं. 22-25/2020-आईए. III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना अधिसूचना संख्या का.आ. 4254 (अ), तारीख 27 नवंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 221(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) *vide* number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the said notification, their expansion and modernisation and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

And whereas, in view of the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, implementation of projects or activities in the field has been affected. Ministry of

Environment, Forest and Climate Change is in receipt of number of requests for extension of the validity of prior environmental clearances beyond the maximum period allowed in the said notification, as the COVID-19 pandemic has not yet come to an end. The matter has been examined in the said Ministry and the concern is genuine keeping in view the fact that due to lockdowns (total or partial), continuation of activities in the field has been difficult.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II), namely:-

In the said notification, -

- (i) in paragraph 7, in sub-paragraph 7(i), under sub-heading II. "Stage (2) – Scoping", after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ix). Notwithstanding anything contained above, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Terms of Reference granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the said Terms of Reference shall be treated as valid. "

- (ii) for paragraph 9A, the following paragraph shall be substituted namely:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid. "

[F.No.22-25/2020-IA.III]

GEETA MENON, Joint Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 4254(E), dated the 27th November, 2020.



CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Paryavas Bhawan, North Block, Sector - 19,
Nava Raipur Atal Nagar, District - Raipur (C.G.)
e-mail - hocecb@gmail.com

No. /TS/CECB/ 2020

Nava Raipur Atal Nagar, Dated / /2020

-: Office Order :-

Whereas; due to recent outbreak of the pandemic Novel Corona Virus (COVID-19), lockdown/curfew has been imposed in whole country including Chhattisgarh State.

In view of above situation of lockdown/curfew; those which have already applied or will apply as per existing rules / order for extension of Permission to Establish / Consent to Operate / Renewal of Consent to Operate / Authorization / Renewal of Authorization / Registration / Renewal of Registration granted by Board for further period, the Permission to Establish / Consent to Operate / Renewal of Consent to Operate / Authorization / Renewal of Authorization / Registration / Renewal of Registration including any other mandatory regulatory clearances which comes under the domain of Chhattisgarh Environment Conservation Board granted to project proponents / industries / institutions expired or likely to be expired during lockdown/curfew period as the case may be, was extended up to 30/04/2020 vide office order no. 01/TS/CECB/ 2020, Nava Raipur Atal Nagar, dated 06/04/2020.

Whereas, the lockdown period has been extended upto 03/05/2020 and likely to be extended and/or opened with certain strict restrictions after 03/05/2020.

Whereas, a number of applications have been received in Chhattisgarh Environment Conservation Board with respect to above and processing of individual case is not being possible for timely disposal before 01/05/2020. Hence, it is pertinent to extend the Permission to Establish / Consent to Operate / Renewal of Consent to Operate / Authorization / Renewal of Authorization / Registration / Renewal of Registration including any other mandatory regulatory clearances which comes under the domain of Chhattisgarh Environment Conservation Board granted to project proponents / industries / institutions expired or likely to be expired during lockdown period as the case may be, for further period.

In view of above situation of lockdown; for all above mentioned cases which have already applied or will be applied as per rule / order during lockdown period, the Permission to Establish / Consent to Operate / Renewal of Consent to Operate / Authorization / Renewal of Authorization / Registration / Renewal of Registration including any other mandatory regulatory clearances which comes under the domain of Chhattisgarh Environment Conservation Board granted to project proponents / industries / institutions expired or likely to be expired during lockdown period and/or after 30/04/2020 as the case may be, is hereby extended up to 31/05/2020.

The other terms and condition mentioned in office order no. 01/TS/CECB/ 2020, Nava Raipur Atal Nagar, dated 06/04/2020 shall remain unchanged and effective.

This order will come into force with immediate effect.

Member Secretary

Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)

Endt.No. 80 /TS/CECB/ 2020

Nava Raipur Atal Nagar, Dated 01/5/2020

Copy to:-

1. Secretary, Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.) for information please.
2. Deputy Secretary, Office of Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.) for information please.
3. Personal Assistant, Hon'ble Minister, Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.) for information to Hon'ble Minister please.
4. All Officers, Head Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.) for necessary action.
5. Regional Officer, Regional Office Raipur / Bilaspur / Bhilai-Durg / Korba / Raigarh / Ambikapur / Jagdalpur (C.G.) for necessary action.
6. Programmer, Chhattisgarh Environment Conservation Board for uploading in website.
7. Notice Board.

Member Secretary

Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)


[Handwritten signature]

कार्यालय, आसडीय हाईस्कूल पिपरिया, विष्णु-मनेन्द्रगढ़, जिन्ना-एमसीबीए

दिनांक - 26/01/2022

पंजीकरण -

प्रमाणित किया जाता है कि गणेश स्टेन
केशव प्रोपा० श्रीमती राधिका तिवारी द्वारा 26 जनवरी व
15 अगस्त को छात्र छात्राओं को कुटी एवं पैर/
छापी का वितरण प्रतिवर्ष किया जाता है।


PRINCIPAL 26/01/22
mt. High School, Pipariya
Dist. Muzaffargarh (C.G.)



कार्यालय ग्राम पंचायत - सिरौली

जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

सरपंच
अमोल सिंह मराठी

पं

निवास :
ग्राम : नौगई, पोस्ट-कठौतिया
थाना+तह मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)
पिन : 497442, पोबा 8085402378, 8964013568

दिनांक :

क्रमांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंच दक्षिणपुर में स्थित क्लेसर में, जयशोभा स्टेन क्लेसर के द्वारा प्रति वर्ष सिरौली पंचायत में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सी. एस. आर. मद से लेबर एवं प्रतिभागियों को प्रथम किरीय ईनाम दिया जाता है। कमेटी उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है।


सरपंच
ग्राम पंचायत-सिरौली
ज.पं. मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)



कार्यालय ग्राम पंचायत - सिरौली

जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

सरपंच

अमोल सिंह मरावी

पं

निवास :

ग्राम : नौगई, पोस्ट-कठौतिया

थाना+तह. मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)


फोन : 497442, मोबा. 8085402378, 8964013568

क्रमांक :

प्रमाण पत्र

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंच सिरौली में प्रतिवर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें जय गौश हरीन क्लब के द्वारा ए.ए. अर. अद से क्रिकेट प्रतियोगियों को प्रेरण की तरह से प्रथम पुरस्कार दिया जाता है।


सरपंच
ग्राम पंचायत-सिरौली
ज.प. मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

५

कार्यालय ग्राम पंचायत - सिरौली

जनपद पंचायत, मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

सरपंच
अमोल सिंह मरावी

पं


निवास :
ग्राम : नौगई, पोस्ट-कठौतिया
थाना-तह मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)
पिन : 497442, मोबा. 8085402378, 8964013568

दिनांक :

क्रमांक :

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंच हरिनापुर में स्थित में, जय गणेश रुद्रो न क्रेसर शरा परिवर्तनी सी. एस. आर. भद्र से क्रेसर से हरिजन शरा तक जानेवाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में मिट्टी एवं डस्ट डालकर पाया जाता है और उसे लेकर लश्कार बराबर कर आने जाने योग्य सड़क को बनाया जाता है जिसके कारण आवागमन में काफी सुविधा होती है।


सरपंच
ग्राम पंचायत-सिरौली
ज.पं.मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

५

शासकीय हाईस्कूल विपटिया में मेसर्स ^{जय} गणेश स्टोन क्रशर विपटिया द्वारा "स्कूल सुरक्षा के उपाय" विषय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसमें विद्यालय की 36 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा प्रथम क्रमांक 10 सी की कुल मनीषा, द्वितीय क्रमांक 3 की कुल ^{रीना} ~~सीमा~~ एवं तृतीय क्रमांक 3 की श्री प्रीति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया जिसे तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुल नेहा दीवान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इन सभी छात्राओं को जय गणेश स्टोन क्रशर की संचालक श्रीमती राधिका तिवारी द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं ही संस्था के सभी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप पेन का वितरण किया गया, साथ ही सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसके पूर्व शास. हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा ईनी ग्राम पंचायत तक निजान्नी गई, इसमें प्रमुख रूप से संस्था के प्राचार्य डॉ. किनौर कुमार पाण्डेय जय गणेश स्टोन क्रशर की श्रीमती राधिका तिवारी, श्री कुल्लु मुरारी तिवारी जिला पंचायत सदस्य श्री शारदा सिंह, ग्राम पंचायत की संपर्क श्रीमती सोममती पंच श्री जगन्नाथ सिंह एवं आतिथि के रूप में सरदार बलवीर सिंह एवं विद्यालय के छात्र/छात्रा उपस्थित रहे।

12/12/2017
 Dist. Khera C.G.

कार्यालय ग्राम पंचायत भलौर

जनपत पंचायत-मनेन्द्रगढ़, जिला- कोरिया (छ.ग.)

श्रीमती ज्योति सिंह

सरपंच

५

निवास :- वार्ड नं.-08, ग्राम-भलौर (खूँटापारा)
पो.-कठौतिया, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)
मो.-7722971103

क्र. 2

दिनांक 5/10/2022

प्रति

प्रमाणित किया जाता है कि जय अम्बे स्टेन प्रेसर प्रोरोपाइटर कृष्ण मुरारी तिवारी के द्वारा सी. आर. मध्य से प्रति वर्ष गाँव रोड़ में मिट्टी डस्ट के द्वारा रोड़ में किलम का कार्य करवाया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा सत्य एवं सही है।

4/

Jati Singh

सरपंच

ग्राम पंचायत-भलौर
ज.प. मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला - हस्तिनापुर

(124)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय: ग्राम पंचायत हस्तिनापुर, तहसील- मनेशगढ़, जिला- कोरिया
 ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शाला- हस्तिनापुर
 में श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी को आवंटित पसर
 शकान शकसर नं०-15 शकवा-2 को क्षेत्रफल में अंचालन
 में CER के मद के तहत शैनवाटर हस्तिनापुर संरचना
 बनाने में शकूल प्रबंधन को कोई शायरी नहीं है।

Sandhya Singh
 प्रधानपाठक 20/02/22

आ.जा. नं. प्र. शा. ह. हस्तिनापुर,
 वि. खं. मनेशगढ़, तहसील- मनेशगढ़, जिला- कोरिया

CS

कार्यालय प्राथमिक शाला बिछली, वि.ख. मनेन्द्रगढ़, जिला, एम. सी. बी. (द.ग.) (125)

प्रमाणित किया जाता है कि शासकीय प्राथमिक शाला बिछली में मनेन्द्रगढ़ के प्रतिष्ठित व्यवसाई मेसर्स जय अम्बे स्टोन केशर के संचालक श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी के द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय में अध्ययनार्थ दान-दानाओं को बैग, कापी, पेन, स्वेटर, छूते, मोजे, मिष्ठान वितरण जैसे समाजसेवी कार्य निरंतर किए जाते हैं।

समस्त शाला परिवार उनका आभार व्यक्त करता है।

CH



प्रधान पाठक

प्रा शाला बिछली, वि. ख. - मनेन्द्रगढ़
जिला - मनेन्द्रगढ़ - विरमिरी - मरतपुर (छ. ग.)

कार्यालय ग्राम पंचायत-भलौर

जनपद पंचायत-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

सहपंच
धनसाय सिंह



पता :-

ग्राम-पूटापारा, पोस्ट-कठौतिया
तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)
मो.- 9691512896


क्रमांक : ९

दिनांक २९/७/२०१९

एम अम्बे स्टेन केसर के द्वारा

उपरोक्त किया जाता है कि एम अम्बे स्टेन केसर
ग्राम पंचायत भलौर जो वृष्णमुरारी तिवारी के द्वारा हाई-
स्कूल भलौर के अंगल-बंगल में मिट्टी फिलिंग का कार्य
किया गया और वार्ड नं. १० हरिजनपारा में मिट्टी कार्य
फिलिंग किया गया

Cyesth
हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत-भलौर
जनपद मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया (छ.ग.)



५/

एवम्हता अगिया ३ एका (मास्किंग अधिकारी)
 निरिक्षा नुसार शासकीय उच्चस्कुल - गहलौर मे
 विबन्ध वतियोगिता (एवम्हता अगिया) एकी
 - द्वाप / द्वाग भाग हिये । जिश्मे मुख्य अतिथी - ग्राह
 पंचायत - गहलौर सरपंच - श्री धनराज जी
 के उपस्थिति मे सम्पन्न कराया गया ।
 जय शम्भू श्लोक के साथ प्रथम विजे
 कावला पुस्कार विहारा कराया गया ।

- 1) प्रथम - इमिषा - अंश - 10 का 3
- 2) द्वितीय - किरण सिंह - अंश - 5 का 3
- 3) तृतीय - रेनुका - अंश - 9 का 113

उक्त कार्यक्रम सैली करवाकर समाप्त
 किया गया ।

Handwritten signature/initials.

Anurag
 21/12/2017
 प्राचार्य
 शा. उ. हाईस्कूल भलौर
 जिला-कोरिया (छ.ग)

कार्यालय ग्राम पंचायत-डंगौरा

जनपद पंचायत-मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी.(छ.ग.)

सरपंच

भारत सिंह

मो.-9770734884



उप सरपंच

सुखीराम

मो.-9165109919

क्रमांक :

दिनांक 12/01/2023

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरकेश तिवारी डोमना पारा खदान संचालित किया जाता है कि इसके द्वारा -
सर्वाभार मद से ग्राम पंचायत के खराब रोड़ों में मशीन मरिजिंग
कैशर ड्रास्ट से विभिन्न रोड़ों में मरिजिंग मरम्मत कार्य
करमा जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा करमा
जाता है यह प्रमाण सत्य एवं सही है।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature) 12/01/2023
सरपंच
ग्राम पंचायत-डंगौरा
ज.पं. मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी.(छ.ग.)

प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि शाम के प्रतिष्ठित (शगतायी) श्री हरिश्चंद्र लिबरी जी विगत कई वर्षों से विद्यालय से जुड़े हुए हैं एवं निरंतर विद्यालय में होने वाले आयोजनों में सहभागीता भी बनी रहती है इनके द्वारा अद्यतन ६९९ छात्रों की आवश्यकता अनुसार सामग्री भी विस्तार की जाती है स्वेटर, कापी, पेन, पुरस्कार आदि।

शाला में पदस्य कमल शिक्षक एवं छात्रों कि ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।



२९/११/२०२२
प्रधान पाठक
भा.जा.क.वि प्राथमिक शाला नोंगई
ठ. नं. मनेन्तगव जिन्ना-कोरिका (उ०)

20-8-22

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विषय - ग्राम पंचायत भौलौर तहसीले महेन्द्रगढ जिला कोशी
दुवगाँउ के अन्तर्गत भाने काले प्राथमिक शाला
सूचापारा मे हरकेश तिवारी जी को अनापत्ति
पत्र खदान खसरा नं. 525 के 4.130 मे से
1.27 हे० क्षेत्रफल मे खचालन मे CER के
सद के तहत रेकर्ड हारवेसि संरचना बनाए
मे शकूल खचान को कोई आपत्ति नही है।

11/


20-8-22
कापालि पाठशाला
कापालि स्थान शाला सूचापारा
कोशी प्रदेश - महेन्द्रगढ
जिला

कार्यालय ग्राम पंचायत - हस्तिनापुर

जनपद पंचायत-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

सरपंच



मोबाइल :

क्रमांक

दिनांक 18.8.2022

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम हस्तिनापुर
फ.ह.नं. 23 तहसीले मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.) में
स्थित ग्रामि रक. नं. 15 रकबा 2.00 हे. में गिट्टी खदान
में जय अम्बे स्टोन केशर प्रो० सी० कृ०ण० मुरारी तिवारी
जी के द्वारा पौधा रोपण किया गया है। जो इस प्रकार
प्रजाति के पौधे लगें हैं।
① शीशम ② तुलसी ③ नीम ④ चीपल ⑤ आम
⑥ अमरुद ⑦ आंवला ⑧ करंज आदि लगभग इनके
बाव 5000 नग पौधे लगाए गए हैं। जो वर्तमान में
जीवित हैं।

मीनमती
सरपंच
ग्राम पंचायत-हस्तिनापुर
ज.पं.मनेन्द्रगढ़, कोरिया (छ.ग.)


सचिव
ग्राम पंचायत-हस्तिनापुर
ज.पं.मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)



कार्यालय ग्राम पंचायत - हस्तिनापुर

जनपद पंचायत-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

सरपंच



मोबाइल :

क्रमांक

दिनांक 18.1.8.2022

समाज - पत्र

समाजित किया जाता है कि ग्राम हस्तिनापुर प. ह. नं. 23 तह. मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया (छ.ग.) में स्थित ख. नं. 299 रकबा 0.83 हे. में गिरटी खदान जय गणेश रूयन केशर प्रौ. प्रीमती राधिका तिवारी के द्वारा पौधा रोपण किया गया है। जो इस प्रजाति के 8 पौधे लगे हैं।

1) बांस 2) शीशम 3) नीम 4) पीपल 5) आम
6) अमरुद 7) आंवला 8) करंज आदि लगभग इनके साथ 500 नग पौधे लगाए गए हैं। जो वर्तमान में जीवित हैं।

मीनमती
सरपंच
ग्राम हस्तिनापुर - हस्तिनापुर
ज.प. मनेन्द्रगढ़, कोरिया (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत-हस्तिनापुर
ज.प. मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

9/

कार्यालय ग्राम पंचायत भलौर

जनपत पंचायत-मनेन्द्रगढ़, जिला- कोरिया (छ.ग.)

श्रीमती ज्योति सिंह
सरपंच

५

निवास :- वार्ड नं.-08, ग्राम-भलौर (खूँटापारा)
पो.-कठौतिया, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)
मो.-7722971103

क्र. ९

दिनांक...20/8/2022

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भलौर पा.ह.नं. 13 तह. मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया (छ.ग.) स्थित भूमि ख.नं. 525 एकबा 4.130 में से क्षेत्र 1.00 हे.में 0.83 हे. क्षेत्रफल गिहरी खादान श्री हरकेश तिवारी के द्वारा पौधा रोपण किया गया है जो 1 इस प्रकार प्रजाति के पौधे लगे हैं।

① शीशम ② गुलमोहर ③ नीम ④ बबूल ⑤ आम
⑥ आंवला ⑦ पीपल ⑧ करंज ⑨ बाँस इत्यादि
इनके द्वारा 500 नम पौधा लगाये हैं। जो वर्तमान में जीवित हैं।

Geet

सरपंच
ग्राम पंचायत-भलौर

Jalisi

सरपंच
ग्राम पंचायत-भलौर
ज.प.मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.)

CF

पंचनामा

दिनांक 16/05/2023

माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली,
 प्रकरण क्र. 117/2023, द्वारा पारित आदेश दिनांक
 27/03/2023 के संबंध में प्रकरण मेसर्स जय अम्बे
 स्योन क्रशर, (हस्तिनापुर स्टीन माइन) ग्राम-हस्तिनापुर
 तह. - मनेन्द्रगढ़, ख. क्र. 15, रकबा - 2.0 हेक्टेयर,
 जिला - एम. सी. बी. तथा मे. हरिकेश तिवारी (खदान)
 ग्राम - डोमनापारा, तह. - मनेन्द्रगढ़, ख. क्र. 525 रकबा -
 4.130 हेक्टेयर में से 1.0 हेक्टेयर, जिला एम. सी. बी.
 द्वारा किये गए वृक्षारोपण का सत्यापन दिनांक
 16/05/2023 को आर.के. सिंह, क. वैज्ञानिक, क्षेत्रीय
 कार्यालय, द. ज. पर्यावरण संरक्षण मैडल अंबिकापुर,
 श्रीमती गीता सिंह, सचिव, ग्राम पंचायत भर्लोरा
 तथा श्री विक्रम राम, सचिव ग्राम पंचायत, हस्तिनापुर
 द्वारा किया गया।

मे. जय अम्बे स्टीन क्रशर (हस्तिनापुर स्टीन माइन)
 प्रो. श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, ग्राम-हस्तिनापुर, तह. -
 मनेन्द्रगढ़, ख. क्र. 15, रकबा 2.0 हेक्टेयर जिला-एम. सी. बी.
 तथा मे. हरिकेश तिवारी (खदान), प्रो. श्री हरिकेश तिवारी
 ग्राम - डोमनापारा, तह. मनेन्द्रगढ़, ख. क्र. 525 रकबा-4.130
 में से 1.0 हेक्टेयर, जिला एम. सी. बी. द्वारा खदान के
 आस पास क्षेत्र में तथा मनेन्द्रगढ़ मार्ग से जय अम्बे
 स्योन क्रशर (क्रशर ईकाई) प्रो. श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
 तह. मार्ग के दोनों ओर तथा क्रशर ईकाई परिसर एवं
 आस-पास के क्षेत्र में संयुक्त रूप से लगभग 700 म.

वृक्षारोपण किया गया है। सत्यापन दौरान किश गये वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स लिए गए।

~~सचिव~~
सचिव
ग्राम पंचायत हस्तिनापुर
जयपुर-महेन्द्रगढ़ जिला-सवाई मधी (वि.ग.)
श्री विक्रम शर्मा
सचिव
ग्राम पंचायत-हस्तिनापुर

~~सचिव~~
सचिव
श्री कल्पना जीता सिंह
ग्राम पंचायत शिला-कारण्डिया (वि.ग.)
सचिव
ग्राम-पंचायत-भलौर

~~सचिव~~
16/05/2023
आर.के. सिंह
क. वैज्ञानिक
क्षेत्रीय कार्यालय
द.प्र.पर्यावरण संरक्षण मंडल
डिब्रिगुड़ा जिला-नशुआ

~~सचिव~~

पंजीयन शुल्क : 10 रुपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590

4411

बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट



वार्षिकसंख्या..... 1111 गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक 25/1/22
 रोगी का नाम..... Rashe Jal आयु 25 लिंग M
 पता..... Jai ganesh stone crusher simoli
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
-IIV Test	

GL - Avg
 PR - 72/min
 BP - 114/68 mmHg
 SpO₂ - 98% @ R.A.
 CNS } NAD
 WBC }
 RS - B/LA5 ⊕
 clear ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन करायेँ-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचायेँ-मंगलवार/शुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव करायेँ जननी सुरक्षा का लाभ लें।

पंजीयन शुल्क : 10 रूपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590



4410

बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या..... 1110 गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक 25/11/22
 रोगी का नाम..... SUKHDEV URAD आयु 28 लिंग M
 पता..... Jai ganesh stone crusher sirouli
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

GL Avg
 PR - 68/min
 BP - 110/72 mmHg
 SpO₂ - 96% @ RA
 WBC } NAD
 WBC }
 RS - B/L AS ⊕
 clear ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination.

1

2

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराये-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचाये-मंगलवार/शुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव कराये जननी सुरक्षा का लाभ लें।

जायन शुल्क : 10 रूपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



4409

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590



बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या..... 1109 गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक 25/11/22
 रोगी का नाम..... Shankar Urao आयु 28 लिंग M
 पता..... Jai Ganesh Stone Crusher Sirouli
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	
H.B.	Pules.
T & D	B.P.
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
-HIV Test	

GC - Avg
 RR - 64/min
 BP - 120/82 mm Hg
 SpO₂ - 96% @RA.

CVS } NAD
 CVS }
 RS - B/LAE ⊕
 clea ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination

A

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन करायें-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचायें-मंगलवार/पुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव करायें जननी सुरक्षा का लाभ लें।

पंजीयन शुल्क : 10 रुपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



4407

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590



बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या..... 1107 गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक. 25/11/22
 रोगी का नाम..... Rakesh Singh आयु 28y लिंग M
 पता..... Jai Amber Home Crasher
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

GL - High
 PR - 72/min
 BP - 116/72 mmHg
 SpO₂ - 96% @ R.A.
 WBC } WAD
 WS }
 HB - B/AE ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन करायें-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेख बीमारी से बचायें-मंगलवार/बुधवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव करायें जननी सुरक्षा का लाभ लें।

पंजीयन शुल्क : 10 रुपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



4415

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590



बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या.....1115.....गरीबी रेखा क्रमांक.....दिनांक 25/11/22
 रोगी का नाम.....Vishnu Singh.....आयु 28 लिंग M
 पता.....Jal Ambe stone crusher
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

SL - Avg
 PR - 80/min
 BP - 120/72 mmHg
 SpO₂ - 96% @ R.A.
 WBC -] NAD
 WBC -
 RB - B/AE ⊕
 P/A - soft.

Individual is physically & mentally fit at the time of examination.

Q.

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराये-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचाये-मंगलवार/शुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव कराये जननी सुरक्षा का लाभ लें।

पंजीयन शुल्क : 10 रूपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



4414

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (उ.ग.) फोन: 241590



बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या.....114.....गरीबी रेखा क्रमांक.....दिनांक 25/11/22
 रोगी का नाम.....Ashok.....आयु 30 लिंग M
 पता.....Jai Ambe stone crusher Bhalour
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

GL-114
 PR-84/min
 BP-122/64mmHg
 SpO₂-98% @ RA
 CNS } NAD
 CWC }
 RS - B/L AB ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination.

AG

SH

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराये-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचाये-मंगलवार/शुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव कराये जननी सुरक्षा का लाभ लें।

रोग.....

पंजीयन शुल्क : 10 रूपये

जीवनदीप समिति

प.सं. 4750



4413

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590



बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या..... 1113..... गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक 25/11/22
 रोगी का नाम..... Shivdal Singh..... आयु 31 लिंग M
 पता..... Damnapara near by Harkesh Tiwari Khadan
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

GL - Avg
 PR - 70/min
 BP - 120/82 mmHg
 SpO₂ - 98% @ R.A.
 WBC } NAD
 CUL }
 B₃ - B/L AE ⊕
 clear ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination

CF

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन करायें-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचायें-मंगलवार/शुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव करायें जननी सुरक्षा का लाभ लें।

पंजीयन शुल्क : 10 रूपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590

4412

बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट



वार्षिकसंख्या..... 1112 गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक 28/1/22
 रोगी का नाम..... Dhansay Singh आयु 89 लिंग M
 पता..... Domnapara near by Harkesh Tiwari Khadan
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine R M 	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

GL - Avg
 PR - 76/min
 BP - 130/64 mmHg
 SpO₂ - 96% @ RA.

Individual is physically & mentally fit at the time of examination

CNS } NAD
 CNS }
 BS - B/L AE (+)
 clear (+)

1
 a

9

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराये-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचाये-मंगलवार/पुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुह/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव कराये जन्मी सुरक्षा का लाभ लें।

पंजीयन शुल्क : 10 रुपये

जीवनदीप समिति

पं.क्र. 4750



4408

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (छ.ग.) फोन: 241590



बाह्य रोगी औषधालय के लिए टिकट

वार्षिकसंख्या.....1108.....गरीबी रेखा क्रमांक..... दिनांक 25/11/22
 रोगी का नाम.....Sudhan Singh आयु 29 लिंग M
 पता.....Domnagar Harkesh Awari khadda
 रोग.....

जाँच	उपचार
M.P.	Pules.
H.B.	B.P.
T & D	
ESR	
VDRL	
SUGAR	
UREA	
WIDAL	
S.BILLIRUBIN	
Urine $\left\{ \begin{array}{l} R \\ M \end{array} \right.$	
Preg. Test (Urine)	
Bil Pigment	
Blood Group	
Blood Urea	
Creatinine	
X-Ray	
HIV Test	

GL - Avg
 PR - 80/min
 BP - 126/78 mmHg
 SpO₂ - 96% @ R.A.
 WBC } NAD
 WBC }
 RS - B/L ACP
 wear ⊕

Individual is physically & mentally fit at the time of examination

1. दो बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराये-प्रत्येक सोमवार मनेन्द्रगढ़ में
2. बच्चों का टीकाकरण कराकर जानलेवा बीमारी से बचाये-मंगलवार/शुक्रवार
3. कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है रक्त पट्टी बनाकर ही उपचार लें।
4. टी.बी./कुष्ठ/मलेरिया की दवाई स्वा. केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध है।
5. गाँव में बीमारी फैलने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पास के चिकित्सालय में जानकारी दें।
6. चिकित्सालय में प्रसव कराये जननी सुरक्षा का लाभ लें।



Annexure - XVIII

145

Regional Office

Chhattisgarh Environment Conservation Board
Kanya Parisar Road, Near Govt. Ayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur, Ambikapur
(C.G.)

Natural Water Analysis Report

Sample Collected from: Hasdeo River,
Vill.- Hastinapur, Teh.- Manendragarh
Distt.-M.C.B. (C.G.)


Analysis No. 2585

Discription of Sample: River water near M/s Jai Ganesh Stone Crusher, Vill.- Hastinapur,
Teh.- Manendragarh, Distt.-M.C.B. (C.G.)

Sample collected & analysed by :- H. tiwari (Lab Asstt. Gr. 1)

Date of Sample collection -26/04/2023
Date of Sample Received -26/04/2023
Date of Sample Analysis -26/04/2023

S.No.	Parameters	Unit	Results
01	Temperature	oC	-
02	Appearance	-	Clear
03	Odour	Threshold No.	Odourless
04	pH	-	7.3
05	Total Solids	Mg/L	318.0
06	Dissolved Solids	Mg/L	262.0
07	Suspended Solids	Mg/L	56.0
08	Chloride	Mg/L	38.0
09	Dissolved Oxygen	Mg/L	6.3
10	B.O.D. (3 days 27 ^o c)	Mg/L	1.2
11	C.O.D.	Mg/L	6.0
12	Total Alkalinity	Mg/L	118.0
13	Total Hardness	Mg/L	98.0
14	Calcium Hardness	Mg/L	74.0
15	Magnesium Hardness	Mg/L	24.0


ANALYSED BY


Jr. Scientist


REGIONAL OFFICER

Report No. - 829



REGIONAL OFFICE
 CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD,
 Kanya Parisar Road, Near Govt. Aayurvedic Hospital, Namnakala Gangapur,
 Ambikapur (C.G.)

AIR MONITORING REPORT

Place of Monitoring : M/s Jai Ganesh Stone Crusher
 Hastinapur, Distt.- MCB (C.G.)

Date of Monitoring : 11/05/2023

Date of Analysis : 12/05/2023


Monitoring done & : R.K. Singh (J.S.), CECB, Ambikapur
 Analysed by : in presence of Shri S.K. Mukati, Scientist 'B', CPCB,
 Bhopal

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING

Sl. No.	LOCATION	SPM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
01	At near Gate no.2, (Lat-23.262249, Long-82.270307)	549.0
02	At near Office Building, (Lat-23.262068, Long-82.269823)	295.0
Prescribed limits		600

Remarks 1. Indicate exceeding the prescribed Board limits.
 2. During the monitoring weather was sunny.


 Jr. Scientist


 REGIONAL OFFICER

प्रति,

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)

विषय:- श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन-परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत।

- संदर्भ:-
1. आवेदक श्री गौरव कुमार गुप्ता निवासी-पुरानी बस्ती, वार्ड क. 17 मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 के संबंध में।
 2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7184-85/शिका./नं.क 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 3. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7187-88/शिका./नं.क 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 4. कार्यालय कलेक्टर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का पत्र क्रं. 456 दिनांक 30.01.2023
 5. माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 117/2023/दिनांक 27.03.23.

--:000:--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में लेख है कि दिनांक 13.04.2023 को संयुक्त टीम जिसमें राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं अन्य कर्मचारी तथा खनिज विभाग के प्रभारी खनि अधिकारी एवं खनि अमला एवं दिनांक 26.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रीसिंपल बेंच एन.जी.टी. नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 117/2023 दिनांक 27.03.2023 के तहत गठित संयुक्त टीम जिसमें सी.पी.सी.बी. स्टेट पी.सी.बी एवं डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट कोरिया के द्वारा संदर्भित पत्र का शिकायत जॉच करने हेतु टीम गठित करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक 9153/विधि/छ.ग.प.सं.मं/2023 अटल नगर दिनांक 31.03.2023 में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कलेक्टर महोदय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर ओदश के पालनार्थ समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं प्रभारी खनि अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 13.04.2023 को ग्राम हस्तिनापुर तह मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नं. 299 रकबा 0.83 हे0 क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर केशर एव खदान जो श्रीमती राधिका तिवारी पति श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के पक्ष में अवधि 13.12.2012 से 12.12.2042 तक स्वीकृत है, का मौका जॉच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत खदान केशर स्थल का सीमांकन समक्ष में उपस्थित खदान केशर संचालनकर्ता श्री कृष्ण मुरारी तिवारी पति श्रीमती राधिका तिवारी एवं मुंशी विजय सिंह एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। मौका जांच के समय पंचनामा तैयार किया गया जिसमें पट्टेदार को स्वीकृत लीज क्षेत्र 0.83 हे0 क्षेत्र में से पूर्व की दिशा में अवैध पत्थर उत्खनन करना पाया गया, जो मौका पंचनामा में दर्ज किया गया है।

कमश:

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Omro
प्रतिवेदन
भाज प्राप्त
प्रमाण
Nohic
जायी हो

Handwritten signature/initials.

3/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ के पत्र क्रमांक 634/वाचक-3/खनिज/2022-23 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 15.05.2023 को कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदनानुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र रकबा 0.83 हे0 पर केशर कार्यालय एवं के शर उत्पाद का भण्डारण पाया गया है एवं लीजकर्ता द्वारा 1.00 हे0 भूमि पर पत्थर खनन एवं भण्डारण कर अप्राधिकृत कब्जा किया गया है एवं राजस्व निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं गुगल प्रिंट में दर्शित नक्शा अनुसार पूर्व दिशा जो केशर के बंकर से लगा क्षेत्र में खदान क्षेत्र से बाहर पत्थर उत्खनन कार्य होना पाया गया एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत नक्शा में बिन्दु कं. (1) व (2) में अवैध पत्थर उत्खनन एवं (3) में अवैध पत्थर भण्डारण दर्शित जो मेरे द्वारा चिन्हांकित किया गया है। जिसे दिनांक 13.04.2023 को मौका जाँच के समय पंचनामा में दर्ज कर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसका क्षेत्र बिन्दु (1) अनुसार लम्बाई 19 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊँचाई 8, मीटर है। एवं बिन्दु (2) अनुसार लम्बाई 22 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊँचाई 5, मीटर है। बिन्दु कं. (3) में स्वीकृत खदान के बाहर लगभग 30 ट्रीप (टैक्टर) बोल्टर स्टॉक पाया गया है।

4/स्वीकृत खदान केशर क्षेत्र में गिट्टी 20 mm 8 ट्रीप (टैक्टर) 40 mm 15 ट्रीप, जीरा 40 ट्रीप (टैक्टर) तथा बोल्टर लगभग 250 ट्रीप (टैक्टर) स्टॉक पाया गया। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र में केशर संचालन के अलावा फलाई एस ब्रिक्स मशीन लगाकर ईट निर्माण किया जा रहा है।

5/केशर स्थल को तार फेंसिंग किया जाकर लगभग 140 नग पेड़ पौधा लगाया गया है जिसमें नीम, गुलमोहर, शीशम इत्यादि स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधा लगाया गया है।

6/उत्खनिपट्टेधारी श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा नं. 299 रकबा 0.83 से लगे शासकीय भूमि में पट्टेधारी द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया गया जो अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 की उपधारा 1 का उल्लंघन करने एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के विपरीत कार्य करने के कारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(क) (ख) के तहत बिन्दु (1) में दर्शित क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई क्रमशः $19m \times 17m \times 8m = 2584$ घनमी. क्षेत्र हेतु रायल्टी राशि रु. $2584 \times 130 = 3,35,920/-$ एवं बाजार की राशि रु. $2584 \times 300 = 7,75,200/-$ होती है। एवं बिन्दु (2) में दर्शित क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई क्रमशः $22m \times 17m \times 5m = 1870$ घनमी. क्षेत्र हेतु रायल्टी राशि रु. $1870 \times 130 = 2,43,100/-$ एवं बाजार की राशि रु. $1870 \times 300 = 5,61,000/-$ होती है। इसके अतिरिक्त बिन्दु कं. (3) में 30 ट्रीप (टैक्टर) (90 घनमी.) बोल्टर हेतु रायल्टी राशि रु. $90 \times 130 = 11,700/-$ एवं बाजार की राशि रु. $90 \times 300 = 27,000/-$ होती है। तथा समझौता शुल्क रु. 50000/- प्रस्तावित है, इस तरह प्रस्तावित कुल राशि रु. $(335920 + 775200 + 243100 + 561000 + 11700 + 27000 + 50000) = 20,03,920/-$ (अक्षरी रु. बीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र) होता है।

क्रमशः

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के विरुद्ध स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा नं. 299 रकबा 0.83 से लगे क्षेत्र खसरा नम्बर में पट्टेधारी द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया गया, जो अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पत्थर का अवैध उत्खनन एवं भण्डारण किये जाने के कारण कुल अर्थदण्ड की राशि रू. 20,03,920/- निर्धारित खनिज मद (0853-00-800-0228) में जमा किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है
संलग्न :- सीमांकन रिपोर्ट, पंचनामा, नजरी नक्शा, गूगल नक्शा।

19/5/23
प्रभारी खनि अधिकारी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

जॉच प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
(छ0ग0)

विषय:- श्री हरकेश तिवारी एवं श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन-परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत।

- संदर्भ:-
1. आवेदक श्री गौरव कुमार गुप्ता निवासी-पुरानी बस्ती, वार्ड क. 17 मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 के संबंध में।
 2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7184-85/शिका./नं.क 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 3. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7187-88/शिका./नं.क 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 4. कार्यालय कलेक्टर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का पत्र क्रं. 456 दिनांक 30.01.2023
 5. माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 117/2023/दिनांक 27.03.23.

-:000:-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में लेख है कि दिनांक 26.04.2023 को संयुक्त टीम जिसमें राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं अन्य कर्मचारी तथा खनिज विभाग के प्रभारी खनि अधिकारी एवं खनि अमला दिनांक 26.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रीसिंपल बेंच एन.जी.टी. नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 117/2023 दिनांक 27.03.2023 के तहत गठित संयुक्त टीम जिसमें सी.पी.सी.वी. स्टेट पी.सी.बी एवं डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट कोरिया के द्वारा संदर्भित पत्र का शिकायत जॉच करने हेतु टीम गठित करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक 9153/विधि/छ.ग.प.सं.मं/2023 अटल नगर दिनांक 31.03.2023 में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कलेक्टर महोदय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर ओदश के पालनार्थ समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं प्रभारी खनि अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 26.04.2023 को ग्राम डोमनापारा एवं हस्तिनापुर तह मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नं. क्रमशः 525 एवं 15 रकबा क्रमशः 1.0 हे0 एवं 2.0 क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर केशर/खदान जो हरकेश तिवारी एवं श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के पक्ष में अवधि क्रमशः 13.12.2012 से 12.12.2042 एवं 19.09.2002 से 18.09.2032 तक स्वीकृत है, का मौका जॉच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत खदान केशर स्थल का सीमांकन समक्ष में उपस्थित खदान केशर संचालनकर्ता श्री हरकेश तिवारी एवं श्री कृष्ण मुरारी तिवारी एवं मुंशी विजय सिंह एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।

क्रमशः

मौका जांच के समय पट्टेदार को स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर अवैध पत्थर उत्खनन एवं भण्डारण करना नहीं पाया गया। उक्त पट्टेदार द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन तथा रायल्टी की जानकारी कॉलम न. 1, 2 एवं 3 में दर्शित है—

पट्टेदार श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	985.00	78000 / -
2.	2019	951.00	195000 / -
3.	2020	1084.00	117000 / -
4.	2021	938.00	117000 / -
5.	2022	0.00	0 / -
योग		3958.00	507000 / -

पट्टेदार श्री हरकेश तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	680.00	78000 / -
2.	2019	150.00	39000 / -
3.	2020	0.00	0 / -
4.	2021	57.0	0 / -
5.	2022	150.0	39000 / -
योग		1037.00	156000 / -

पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	1792.00	241695 / -
2.	2019	1584.00	39000 / -
3.	2020	1644.00	0 / -
4.	2021	1428.00	117000 / -
5.	2022	852.00	195000 / -
योग		7300.00	592265 / -

उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन साक्षर सम्प्रेषित है

प्रभारी खनि अधिकारी

जिला—मनेन्द्रगढ़—दिरमिरी—भरतपुर (छठगढ़)

कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा)
जिला मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर छत्तीसगढ़
(078308 232228 (कार्य.) 232228 (फैक्स) Email Miningkoria@gmail.com)

क्रमांक / 56 / खनिज / 2023, एम0सी0बी0 दिनांक 25 / 05 / 2023
कारण बताओ नोटिस

प्रति.

श्रीमती राधिका तिवारी
पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
निवासी तहसील मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

विषय:- श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन-परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत।

संदर्भ:- 1. आवेदक श्री गौरव कुमार गुप्ता निवासी-पुरानी बरती, वार्ड क. 17 मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-धिरमिरी-भरतपुर का आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 के संबंध में।

--:000:--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में लेख है कि दिनांक 13.04.2023 को संयुक्त टीम जिसमें राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं अन्य कर्मचारी तथा खनिज विभाग के प्रभारी खनि अधिकारी एवं खनि अमला एवं दिनांक 26.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रीसिंपल बैंच एन.जी.टी. नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 117/2023 दिनांक 27.03.2023 के तहत गठित संयुक्त टीम जिसमें सी.पी.सी.बी. स्टेट पी.सी.बी एवं डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट कोरिया के द्वारा संदर्भित पत्र का शिकायत जांच करने हेतु टीम गठित करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक 9153/विधि/छ.ग.प.सं.मं/2023 अटल नगर दिनांक 31.03.2023 में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कलेक्टर महोदय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर आदेश के पालनार्थ समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं प्रभारी खनि अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 13.04.2023 को ग्राम हस्तिनापुर तह मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नं. 299 रकबा 0.83 हे0 क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर केशर एवं खदान जो श्रीमती राधिका तिवारी पति श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के पक्ष में अवधि 13.12.2012 से 12.12.2042 तक स्वीकृत है. का मौका जांच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत खदान केशर स्थल का सीमांकन समक्ष में उपस्थित खदान केशर संचालनकर्ता श्री कृष्ण मुरारी तिवारी पति श्रीमती राधिका तिवारी एवं मुंशी विजय सिंह एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। मौका जांच के समय पंचनामा तैयार किया गया जिसमें पट्टेदार को स्वीकृत लीज क्षेत्र 0.83 हे0 क्षेत्र में से पूर्व की दिशा में अवैध पत्थर उत्खनन करना पाया गया, जो मौका पंचनामा में दर्ज किया गया है।

कमश:

 28/5/2023



3/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ के पत्र क्रमांक 634/वाचक-3/खनिज/2022-23 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 15.05.2023 को कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदनानुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र रकबा 0.83 हे0 पर केशर कार्यालय एवं केशर उत्पाद का भण्डारण पाया गया है एवं लीजकर्ता द्वारा 1.00 हे0 भूमि पर पत्थर खनन एवं भण्डारण कर अप्राधिकृत कब्जा किया गया है। प्रभारी खनि अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के प्रतिवेदन दिनांक 19.05.202 में, राजस्व निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं गुगल प्रिंट में दर्शित नक्शा का मिलान किया गया जिसके अनुसार पूर्व दिशा जो केशर के बंकर से लगा क्षेत्र में खदान क्षेत्र से बाहर पत्थर उत्खनन कार्य होना पाया गया एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत नक्शा में बिन्दु कं. (1) व (2) में अवैध पत्थर उत्खनन एवं बिन्दु (3) में अवैध पत्थर भण्डारण प्रभारी खनि अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया गया है। जिसे दिनांक 13.04.2023 को मौका जाँच के समय पंचनामा में दर्ज कर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसका क्षेत्र बिन्दु (1) अनुसार लम्बाई 19 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊँचाई 8, मीटर है। एवं बिन्दु (2) अनुसार लम्बाई 22 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊँचाई 5, मीटर है। बिन्दु कं. (3) में स्वीकृत खदान के बाहर लगभग 30 ट्रीप (टैक्टर) बोल्टर स्टॉक पाया गया है।

4/स्वीकृत खदान केशर क्षेत्र में गिट्टी 20 mm 8 ट्रीप (टैक्टर) 40 mm 15 ट्रीप ,जीरा 40 ट्रीप (टैक्टर) तथा बोल्टर लगभग 250 ट्रीप (टैक्टर) स्टॉक पाया गया। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र में केशर संचालन के अलावा फलाई एस ब्रिक्स मशीन लगाकर ईट निर्माण किया जा रहा है।

5/ केशर स्थल को तार फेंसिंग किया जाकर लगभग 140 नग पेड़ पौधा लगाया गया है जिसमें नीम, गुलमोहर, शीशम इत्यादि स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधा लगाया गया है।

6/उत्खनिपट्टेधारी श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा नं. 299 रकबा 0.83 से लगे शासकीय भूमि में पट्टेधारी द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया गया जो अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 की उपधारा 1 का उल्लंघन करने एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के विपरीत कार्य करने के कारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(क)(ख) के तहत बिन्दु (1) में दर्शित क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई क्रमशः $19m \times 17m \times 8m = 2584$ घनमी. क्षेत्र हेतु रायल्टी राशि रु. $2584 \times 130 = 3,35,920/-$ एवं बाजार की राशि रु. $2584 \times 300 = 7,75,200/-$ होती है। एवं बिन्दु (2) में दर्शित क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई क्रमशः $22m \times 17m \times 5m = 1870$ घनमी. क्षेत्र हेतु रायल्टी राशि रु. $1870 \times 130 = 2,43,100/-$ एवं बाजार की राशि रु. $1870 \times 300 = 5,61,000/-$ होती है। इसके अतिरिक्त बिन्दु कं. (3) में 30 ट्रीप (टैक्टर)(90 घनमी.) बोल्टर हेतु रायल्टी राशि रु. $90 \times 130 = 11,700/-$ एवं बाजार की राशि रु. $90 \times 300 = 27,000/-$ होती है। तथा समझौता शुल्क रु. 50000/- प्रस्तावित है, इस तरह प्रस्तावित कुल राशि रु. $(335920 + 775200 + 243100 + 561000 + 11700 + 27000 + 50000) = 20,03,920/-$ (अक्षरी रु. बीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र) प्रतिवेदित किया गया है।


क्रमशः


25/5/2023



पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के विरुद्ध स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा नं. 299 रकबा 0.83 से लगे शासकीय भूमि में पट्टेधारी द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया गया, जो अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पत्थर का अवैध उत्खनन एवं भण्डारण किये जाने के कारण प्रस्तावित कुल अर्थदण्ड की राशि रु. **20,03,920/-** निर्धारित खनिज मद (0853-00-800-0228) में उक्त जारी नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर जमा कर नोटिस का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

अतः उक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 की उपधारा 1 का उल्लंघन करने एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के विपरीत कार्य करने के कारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(क)(ख) के तहत कार्यवाही की जाये।



कलेक्टर 25/05/2023

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)


दिनांक 25 / 05 / 2023

पृ0क्र0 /
प्रतिलिपि 87-92 / खनिज / 2023, एम0सी0बी0

- माननीय न्यायालय प्रीसिंपल बैंच एन.जी.टी. नई दिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।
- संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
- सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी खाने अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर 25/5/2023

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)



जॉच प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2023

प्रति,

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छोगो)

विषय:- श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन-परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत।

- संदर्भ:-
- 1 आवेदक श्री गौरव कुमार गुप्ता निवासी-पुरानी बस्ती, वार्ड क. 17 मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 के संबंध में।
 - 2 संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7184-85/शिका./नं.क 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 - 3 संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7187-88/शिका./नं.क 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 - 4 कार्यालय कलेक्टर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का पत्र क्र. 456 दिनांक 30.01.2023
 - 5 माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 117/2023/दिनांक 27.03.23.

--:000:--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में लेख है कि दिनांक 13.04.2023 को संयुक्त टीम जिसमें राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं अन्य कर्मचारी तथा खनिज विभाग के प्रभारी खनि अधिकारी एवं खनि अमला एवं दिनांक 26.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रीसिंपल बैंच एन.जी.टी. नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 117/2023 दिनांक 27.03.2023 के तहत गठित संयुक्त टीम जिसमें सी.पी.सी.वी. स्टेट पी.सी.बी एवं डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट कोरिया के द्वारा संदर्भित पत्र का शिकायत जॉच करने हेतु टीम गठित करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक 9153/विधि/छ.ग.प.सं.मं/2023 अटल नगर दिनांक 31.03.2023 में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कलेक्टर महोदय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर ओदश के पालनार्थ समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं प्रभारी खनि अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 13.04.2023 को ग्राम हस्तिनापुर तह मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नं. 299 रकबा 0.83 हे0 क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर केशर एवं खदान जो श्रीमती राधिका तिवारी पति श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के पक्ष में अवधि 13.12.2012 से 12.12.2042 तक स्वीकृत है, का मौका जॉच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत खदान केशर स्थल का सीमांकन समक्ष में उपस्थित खदान केशर संचालनकर्ता श्री कृष्ण मुरारी तिवारी पति श्रीमती राधिका तिवारी एवं मुंशी विजय सिंह एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। मौका जांच के समय पंचनामा तैयार किया गया जिसमें पट्टेदार को स्वीकृत लीज क्षेत्र 0.83 हे0 क्षेत्र में से पूर्व की दिशा में अवैध पत्थर उत्खनन करना पाया गया, जो मौका पंचनामा में दर्ज किया गया है।

कमश:

DMU
प्रतिवेदन
भाज प्राप्त
प्रकाश
Nohic
जायी हो

3/ अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ के पत्र क्रमांक 634/वाचक- 3/खनिज/2022-23 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 15.05.2023 को कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदनानुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र रकबा 0.83 हे0 पर केशर कार्यालय एवं के शर उत्पाद का भण्डारण पाया गया है एवं लीजकर्ता द्वारा 1.00 हे0 भूमि पर पत्थर खनन एवं भण्डारण कर अप्राधिकृत कब्जा किया गया है एवं राजस्व निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं गुगल प्रिंट में दर्शित नक्शा अनुसार पूर्व दिशा जो केसर के बंकर से लगा क्षेत्र में खदान क्षेत्र से बाहर पत्थर उत्खनन कार्य होना पाया गया एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत नक्शा में बिन्दु कं. (1) व (2) में अवैध पत्थर उत्खनन एवं (3) में अवैध पत्थर भण्डारण दर्शित जो मेरे द्वारा चिन्हांकित किया गया है। जिसे दिनांक 13.04.2023 को मौका जॉच के समय पंचनामा में दर्ज कर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसका क्षेत्र बिन्दु (1) अनुसार लम्बाई 19 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊँचाई 8, मीटर है। एवं बिन्दु (2) अनुसार लम्बाई 22 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊँचाई 5, मीटर है। बिन्दु कं. (3) में स्वीकृत खदान के बाहर लगभग 30 ट्रीप (टैक्टर) बोल्टर स्टॉक पाया गया है।

4/ स्वीकृत खदान केशर क्षेत्र में गिट्टी 20 mm 8 ट्रीप (टैक्टर) 40 mm 15 ट्रीप, जीरा 40 ट्रीप (टैक्टर) तथा बोल्टर लगभग 250 ट्रीप (टैक्टर) स्टॉक पाया गया। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र में केशर संचालन के अलावा पलाई एस ब्रिक्स मशीन लगाकर ईट निर्माण किया जा रहा है।

5/ केशर स्थल को तार फेंसिंग किया जाकर लगभग 140 नग पेड़ पौधा लगाया गया है जिसमें नीम, गुलमोहर, शीशम इत्यादि स्थानीय प्रजाति के पेड़ पौधा लगाया गया है।

6/ उत्खनिपट्टेधारी श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा नं. 299 रकबा 0.83 से लगे शासकीय भूमि में पट्टेधारी द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया गया जो अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 की उपधारा 1 का उल्लंघन करने एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के विपरीत कार्य करने के कारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(क) (ख) के तहत बिन्दु (1) में दर्शित क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई क्रमशः $19m \times 17m \times 8m = 2584$ घनमी. क्षेत्र हेतु रायल्टी राशि रु. $2584 \times 130 = 3,35,920/-$ एवं बाजार की राशि रु. $2584 \times 300 = 7,75,200/-$ होती है। एवं बिन्दु (2) में दर्शित क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई क्रमशः $22m \times 17m \times 5m = 1870$ घनमी. क्षेत्र हेतु रायल्टी राशि रु. $1870 \times 130 = 2,43,100/-$ एवं बाजार की राशि रु. $1870 \times 300 = 5,61,000/-$ होती है। इसके अतिरिक्त बिन्दु कं. (3) में 30 ट्रीप (टैक्टर) (90 घनमी.) बोल्टर हेतु रायल्टी राशि रु. $90 \times 130 = 11,700/-$ एवं बाजार की राशि रु. $90 \times 300 = 27,000/-$ होती है। तथा समझौता शुल्क रु. 50000/- प्रस्तावित है, इस तरह प्रस्तावित कुल राशि रु. $(335920 + 775200 + 243100 + 561000 + 11700 + 27000 + 50000) = 20,03,920/-$ (अक्षरी रु. बीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र) होता है।

क्रमशः



पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के विरुद्ध स्वीकृत लीज क्षेत्र खसरा नं. 299 रकबा 0.83 से लगे क्षेत्र खसरा नम्बर में पट्टेधारी द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया गया, जो अवैध उत्खनन की श्रेणी में आता है। स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पत्थर का अवैध उत्खनन एवं भण्डारण किये जाने के कारण कुल अर्थदण्ड की राशि रू. 20,03,920/- निर्धारित खनिज मद (0853-00-800-0228) में जमा किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु जॉच प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित हैं
संलग्न :- सीमांकन रिपोर्ट, पंचनामा, नजरी नक्शा, गूगल नक्शा।

(Handwritten initials)

(Handwritten signature) 19/12/23

प्रभारी खनि अधिकारी
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

जॉच प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2023

प्रति,

कलेक्टर

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

(छ0ग0)


विषय:- श्री हरकेश तिवारी एवं श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन-परिवहन व शर्तो का उल्लंघन करने बाबत।

- संदर्भ:-
1. आवेदक श्री गौरव कुमार गुप्ता निवासी-पुरानी बस्ती, वार्ड क. 17 मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का आवेदन पत्र दिनांक 20.01.2023 के संबंध में।
 2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7184-85/शिका./नं.कं 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 3. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्रमांक 7187-88/शिका./नं.कं 62/2022/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.12.2022.
 4. कार्यालय कलेक्टर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का पत्र क्रं. 456 दिनांक 30.01.2023
 5. माननीय न्यायालय एन.जी.टी. नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 117/2023/दिनांक 27.03.23.

-:000:-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के परिपालन में लेख है कि दिनांक 26.04.2023 को संयुक्त टीम जिसमें राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं अन्य कर्मचारी तथा खनिज विभाग के प्रभारी खनि अधिकारी एवं खनि अमला दिनांक 26.04.2023 को माननीय न्यायालय प्रीसिंपल बैंच एन.जी.टी. नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 117/2023 दिनांक 27.03.2023 के तहत गठित संयुक्त टीम जिसमें सी.पी.सी.वी. स्टेट पी.सी.बी एवं डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट कोरिया के द्वारा संदर्भित पत्र का शिकायत जॉच करने हेतु टीम गठित करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रमांक 9153/विधि/छ.ग.प.सं.मं/2023 अटल नगर दिनांक 31.03.2023 में क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कलेक्टर महोदय एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय कर ओदश के पालनार्थ समय सीमा में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/राजस्व विभाग से अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ़ एवं प्रभारी खनि अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 26.04.2023 को ग्राम डोमनापारा एवं हस्तिनापुर तह मनेन्द्रगढ़ स्थित खसरा नं. क्रमशः 525 एवं 15 रकबा क्रमशः 1.0 हे0 एवं 2.0 क्षेत्र में स्वीकृत पत्थर केशर/खदान जो हरकेश तिवारी एवं श्री कृष्ण मुरारी तिवारी के पक्ष में अवधि क्रमशः 13.12.2012 से 12.12.2042 एवं 19.09.2002 से 18.09.2032 तक स्वीकृत है, का मौका जॉच के दौरान राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत खदान केशर स्थल का सीमांकन समक्ष में उपस्थित खदान केशर संचालनकर्ता श्री हरकेश तिवारी एवं श्री कृष्ण मुरारी तिवारी एवं मुंशी विजय सिंह एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।

कमशः

मौका जांच के समय पट्टेदार को स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर अवैध पत्थर उत्खनन एवं भण्डारण कला नहीं पाया गया। उक्त पट्टेदार द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन तथा रायल्टी की जानकारी कॉलम न. 1, 2 एवं 3 में दर्शित है—

पट्टेदार श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	985.00	78000/-
2.	2019	951.00	195000/-
3.	2020	1084.00	117000/-
4.	2021	938.00	117000/-
5.	2022	0.00	0/-
योग		3958.00	507000/-

पट्टेदार श्री हरकेश तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	680.00	78000/-
2.	2019	150.00	39000/-
3.	2020	0.00	0/-
4.	2021	57.0	0/-
5.	2022	150.0	39000/-
योग		1037.00	156000/-

पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी द्वारा विगत 05 वर्षों में की गई उत्पादन एवं जमा रायल्टी की जानकारी:—

क्रमांक	वर्ष	उत्पादन (घनमी.)	जमा रायल्टी
1	2	3	4
1.	2018	1792.00	241695/-
2.	2019	1584.00	39000/-
3.	2020	1644.00	0/-
4.	2021	1428.00	117000/-
5.	2022	852.00	195000/-
योग		7300.00	592265/-

उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है

प्रभारी खनि अधिकारी

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0)

19/5/23



क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापूर, अंबिकापुर (छ.ग.)
e-mail : rocebambk@gmail.com

क्रमांक- 270/क्ष.का./छ.ग.प.सं.म./2023
प्रति

अंबिकापुर, दिनांक: 26/05/2023

श्रीमती राधिका तिवारी, प्रो०
मेसर्स जय गणेश स्टोन क्रशर
ग्राम-हस्तिनापुर, प.ह.नं. 11, खसरा नं. 299, रकबा-0.83 हेक्टेयर
तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-एमसीबी (छ.ग.)

विषय-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों में उल्लेखित उत्खनन क्षमता/क्षेत्र से अधिक उत्खनन कार्य किये जाने के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित करने बाबत नोटिस।

संदर्भ-1

2

3

4

5

मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति पत्र क्र. 468, 469 दिनांक 05/06/2017.
मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण पत्र क्र. 1267 दिनांक 01/02/2021.

मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 9153, दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023.

माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित पदाधिकारियों द्वारा खदान का निरीक्षण दिनांक 26/04/2023.

कार्यालय कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़, जिला-एमसीबी (छ.ग.) का पत्र क्र. 86, दिनांक 25/06/2023.

यह कि, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के परिपेक्ष्य में लेख है कि मेसर्स जय गणेश स्टोन क्रशर, प्रोपराईटर, श्रीमती राधिका तिवारी, ग्राम-हस्तिनापुर, प.ह.नं. 11, खसरा नं. 299, रकबा-0.83 हेक्टेयर, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.) को मंडल के संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता स्टोन बोल्टर-15444 टन/वर्ष एवं स्टोन चिप्स-12356 टन/वर्ष हेतु सशर्त जल एवं वायु सम्मति जारी की गई थी जिसकी वैधता दिनांक 26/09/2023 तक है।

यह कि, मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 9153, दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023, प्रकरण ग्राम हस्तिनापुर, ग्रामपंचायत पिपरिया, पूर्व जिला-कोरिया वर्तमान जिला-एमसीबी प.ह.नं. 11, खसरा नं. 299, रकबा-0.83 हेक्टेयर, श्रीमती राधिका तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अतिरिक्त अवैध उत्खनन, परिवहन एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा क्रशर इकाई सह खदान का निरीक्षण दिनांक 26/04/2023 को किया गया। निरीक्षण दिवस पर क्रशर इकाई में उत्पादन तथा खदान में उत्खनन कार्य बंद पाया गया।

क्रमशः...../2

C:\Users\user\Documents\Basser Inspection\Krisina Murni Tiwari.docx

/2/

यह कि, उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण दल के साथ राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग एवं खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, जिला-एमसीबी श्रे. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-एमसीबी द्वारा उक्त संदर्भित पत्र क्र. 5 के माध्यम से पट्टेदार श्रीमती राधिका तिवारी पति श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, निवासी-मनेन्द्रगढ़ तथा ग्राम-इस्तिनापुर, खदान लीज प.ह.नं. 11, खसरा नं. 299, स्वीकृत रकबा-0.83 हेक्टेयर क्षेत्र में पत्थर क्रशर तथा खदान स्वीकृत है तथा पट्टेधारी द्वारा लीज क्षेत्र खसरा क्रमांक 299 रकबा 0.83 हेक्टेयर से लगी शासकीय भूमि रकबा 1.00 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर खनन एवं भण्डारण कर अप्राधिकृत कब्जा किया गया है। प्रभारी खनि अधिकारी जिला-एमसीबी के प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2023 में राजस्व निरीक्षक, मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं गूगल प्रिंट में दर्शित नक्शा का मिलान किया गया। जिसके अनुसार बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 में अवैध उत्खनन क्रमशः 19m x 17m x 8m = 2584 घनमीटर क्षेत्र तथा 22m x 17m x 5m = 1870 घनमीटर क्षेत्र में किया गया है। उक्तानुसार अवैध उत्खनन तथा अवैध भण्डारण किये जाने के कारण कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-एमसीबी द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत पत्र पृ. क्र. 87-92 दिनांक 25/05/2023 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत खसरा क्रमांक 299 रकबा 0.83 हेक्टेयर से लगी अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अवैध पत्थर खनन एवं भण्डारण किया गया है। उक्तानुसार पट्टेधारी द्वारा बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 में अवैध उत्खनन क्षेत्र क्रमशः 2584 घनमीटर क्षेत्र तथा 1870 घनमीटर क्षेत्र में किया गया है। जो कि मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी सम्मति शर्त क्र. 2 का स्पष्ट उल्लंघन है।

यह कि, उपरोक्तानुसार मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शर्तों में उल्लेखित उत्खनन क्षेत्र से अतिरिक्त उत्खनन कार्य किये जाने के कारण पट्टेधारी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी "Report of the CPCB In-House Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund" के अनुसार राशि रु. 3,74,000/- (रूपये तीन लाख, चौहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित की जाती है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति गणना पत्रक की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्नक-एक अनुसार है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत निहित शक्ति के अधीन आपको निम्नानुसार निर्देशित करने का प्रस्ताव करता है:-

1. खदान/उद्योग पर उक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,74,000/- (रूपये तीन लाख, चौहत्तर हजार मात्र) का भुगतान निर्धारित मद M.S. (EC), CECB, Raipur के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को नोटिस जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. उद्योग/खदान इकाईयों को जारी विद्युत सप्लाई एवं अन्य सुविधाएं संबंधित विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद की जावेगी।



क्रमशः...../3

/3/

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से बिना अनुमति उद्योग/खदान से पुनः उत्पादन प्रारंभ नहीं करेंगे।

उपरोक्त इस नोटिस के परिपेक्ष्य में आप अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष नोटिस तामीली दिनांक से 15 दिवस के भीतर रख सकते हैं। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर आपका कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है अथवा आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना किसी अग्रिम सूचना/संदर्भ के खदान/उद्योग बंद करने की पुष्टि की जावेगी। यदि आप उक्त का पालन करने में विफल रहते हैं तो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के तहत अन्य कार्यवाही के लिये आप (अधिष्ठाता) उत्तरदायी होंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

D. Mishra
क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
अंबिकापुर, दिनांक: 26/05/2023

पृ. क्रमांक-271/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2023
प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0), मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
4. खनिज अधिकारी (खनिज शाखा) कार्यालय कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
5. श्री संजय मुकाती, वैज्ञानिक (ख), सीपीसीबी, भोपाल (म0प्र0) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
6. अधिष्ठाता/पट्टेधारी, श्रीमती राधिका तिवारी, मेसर्स जय गणेश स्टोन क्रशर, ग्राम-हस्तिनापुर, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

D. Mishra
क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर

CF
all

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना पत्रक

विषय- मेसर्स जय गणेश स्टोन क्रशर, प्रोपराईटर, श्रीमती राधिका तिवारी, ग्राम-हस्तिनापुर, प.ह.नं. 11, खसरा नं. 299, रकबा-0.83 हेक्टेयर, तह-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों में उल्लेखित उत्खनन क्षमता/क्षेत्र से अधिक उत्खनन कार्य किये जाने के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित करने बावत नोटिस।

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 Dated April 10, 2019 के साथ 63वें कांफेंस की Report of the CPCB In-House Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा 46वीं बैठक दिनांक 29/07/2019 से छत्तीसगढ़ में छोटे खदानों के उत्खनन के प्रकरणों में Environmental Damage की गणना के लिए मान्य किया गया है। तत्संबंध में EC (Environmental Compensation) हेतु निम्न फार्मूला निर्धारित है :-

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

- (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-29012/ E SS (CPA)/2015-16 Dated March 07, 2016 की संशोधित गाईड लाईन अनुसार माईनिंग रैंड कैटेगरी (लाल श्रेणी) के अंतर्गत है। जिस हेतु PI- 80 (असतन) है।
- (ii) लोकेशन फैक्टर (L-Factor) के संबंध में खदान के 10 किमी. के लगभग नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ है जिसकी वर्तमान वर्ष 2023 अनुसार जनसंख्या 44,000 अनुमानित बताया गया है तथा जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कुल 33,071 है। तदनुसार जनसंख्या एक लाख से कम हेतु लोकेशन फैक्टर (L-Factor) - 0.5 है।
- (iii) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला -एमसीबी का पत्र क्र. 86, दिनांक 25/06/2023 अनुसार अतिरिक्त/अतिक्रमित क्षेत्र का अवैध उत्खनन की उत्पादन मात्रा 11580.4 टन बताया गया है जो कि वास्तविक 15,444 टन है जो कि समिति द्वारा निर्धारित उत्खनि मात्रा 20,000 टन प्रतिवर्ष से कम है। अतः आर फैक्टर (R-Factor) - 100 है।
- (iv) S - Factor खदान लघु स्तर के अंतर्गत है, जिसकी सी. ए. सर्टिफिकेट अनुसार कुल लागत रु. 17.31 लाख है, जिसमें प्लांट तथा मशीनरी की लागत रु. 5.71 लाख है। अतः S - Factor - 0.5 है।
- (v) (अ) प्रभारी खनि अधिकारी जिला-एमसीबी के प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2023 में राजस्व निरीक्षक, मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं गूगल प्रिंट में दर्शित नक्शा का मिलान किया गया। जिसके अनुसार विंदु क्रमांक 1 एवं 2 में अवैध उत्खनन क्रमशः 19m x 17m x 8m = 2584 घनमीटर क्षेत्र तथा 22m x 17m x 5m = 1870 घनमीटर क्षेत्र में किया गया है। उक्तानुसार अवैध उत्खनन तथा अवैध भण्डारण किये जाने के कारण कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-एमसीबी द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत पत्र पृ. क्र. 87-92 दिनांक 25/05/2023 के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है।
- (ब) उक्तानुसार अधिष्ठाता द्वारा अवैध उत्खनन (उत्खनन) के रूप में क्रमशः 2584 घनमीटर तथा 1870 घनमीटर कुल 4454 घनमीटर किया गया है, लघु स्तर के खदान हेतु उत्पादन दिवस प्रतिवर्ष 250 दिन रखा गया है, उक्त पत्थर का आयतन 01 घनमीटर से इज्जन में 2.6 टन अनुमोदित माईनिंग प्लान में दिया गया है, तदनुसार 4454 घनमीटर अर्थात् 11580.4 टन का अवैध उत्खनन किया गया है। सम्मति/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार उत्खनन क्षमता 15,444 टन/वर्ष है। उक्त अतः अधिष्ठाता द्वारा किये गये अवैध उत्खनन/उत्पादन अनुसार उत्खनन दिवस की गणना- 250 दिन x 11580.4 टन/15,444 टन = 187 दिन (यहां N - 187 दिन)।

क्रमशः...../2

/2/

उक्त बिंदु क्रमांक i से v अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation)

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$


$$EC = 80 \times 187 \times 100 \times 0.5 \times 0.5$$

$$EC = 3,74,000/- \text{ (रूपये तीन लाख, चौहत्तर हजार मात्र)}$$

उक्तानुसार खदान/उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रू. 3,74,000/- (रूपये तीन लाख, चौहत्तर हजार मात्र) का भुगतान निर्धारित मद M.S. (EC), CECB, Raipur के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को नोटिस जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



गणनाकर्ता (क0 वैज्ञानिक)



क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर





क्षेत्रीय कार्यालय

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल

कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, अंबिकापुर (छ.ग.)
e-mail : rocecbank@gmail.com

क्रमांक- 268 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2023
प्रति

अंबिकापुर, दिनांक: 26/05/2023

श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, प्रो०
मेसर्स जय अम्बे स्टोन क्रशर (हस्तिनापुर स्टोन माईन)
ग्राम-हस्तिनापुर
प.ह.नं. 11, खसरा नं. 15, रकबा-2.00 हेक्टेयर
तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.)

विषय-

संदर्भ-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत निर्देश।
जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 2530 दिनांक 24/11/2017.

मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति पत्र क्र. 2307, 2308 दिनांक 23/02/2018.
मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण पत्र क्र. 1641 दिनांक 19/02/2019.

इस कार्यालय का पत्र क्र. 1512 दिनांक 13/12/2021.

आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन क्र. 9974602 दिनांक 12/05/2022.

इस कार्यालय का ऑनलाईन पत्र 15/09/2022.

आपका ऑनलाईन जवाब दिनांक 25/09/2022.

मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 9153, दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023.

माननीय एन.जी.टी. द्वारा गठित पदाधिकारियों द्वारा खदान का निरीक्षण दिनांक 26/04/2023.

कार्यालय कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़, जिला-एमसीबी (छ.ग.) का पत्र क्र. 86, दिनांक 25/06/2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। लेख है कि मेसर्स जय अम्बे स्टोन क्रशर, प्रो० श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को ग्राम-हस्तिनापुर, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.) प.ह.नं. 11, खसरा नं. 15, रकबा-2.00 हेक्टेयर में पत्थर क्रशर (डोलोराइट साधारण पत्थर) उत्खनन क्षमता-3450 घनमीटर/वर्ष (8970 टन/वर्ष) हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को पत्र जारी दिनांक से पांच वर्ष की अवधि हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

उल्लेखनीय है कि मेसर्स जय गणेश स्टोन क्रशर (हस्तिनापुर स्टोन माईन), ग्राम-हस्तिनापुर, प.ह.नं. 11, खसरा नं. 15, रकबा-2.00 हेक्टेयर, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.) को मंडल के संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से दिनांक 23/02/2018 को उत्पाद

क्रमशः...../2

/2/

एवं उत्पादन क्षमता माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर-3450 घनमीटर/वर्ष हेतु सशर्त जल एवं वायु सम्मति तथा संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से दिनांक 19/02/2019 को सशर्त जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार :-

9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 24/11/2017 से दिनांक 23/11/2023 तक वैध होगी।

उक्त के संबंध में खदान प्रबंधन को इस कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 1512 दिनांक 13/12/2021 तथा ऑनलाईन पत्र दिनांक 15/09/2022 के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा ऑनलाईन पत्र दिनांक 25/09/2022 के माध्यम से खदान में उत्खनन कार्य स्वतः बंद किया जाना बताया गया है। मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 9153, दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023 के परिपेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा खदान का निरीक्षण दिनांक 26/04/2023 को किया गया निरीक्षण दिवस पर खदान में उत्खनन कार्य बंद पाया गया।

संदर्भित पत्र क्रमांक 5 के माध्यम से आपके द्वारा खदान के जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। खदान के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने तथा आपके द्वारा ऑनलाईन जवाब दिनांक 25/09/2022 के माध्यम से वृक्षारोपण के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण लंबित रहा। मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्र. 9153, दिनांक 31/03/2023 के माध्यम से प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 117/2023 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2023 के परिपेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी द्वारा गठित संयुक्त दल द्वारा खदान का निरीक्षण दिनांक 26/04/2023 को किया गया निरीक्षण दिवस पर खदान में उत्खनन कार्य बंद पाया गया।


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत निहित शक्ति के अधीन आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

1. मण्डल से बिना अनुमति तथा वैध सम्मति/सम्मति नवीनीकरण प्राप्त किये बिना पुनः खदान से उत्खनन/उत्पादन कार्य आरंभ न करें तथा आवेदित जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण अवधि हेतु विस्तारित अवधि (24/11/2023 से आगे की अवधि हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करें।

क्रमशः...../3

/3/

यदि आपके द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो बिना अग्रिम सूचना के खदान बंद करवाने की कार्यवाही के साथ तथा/या जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 41 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के तहत अन्य कार्यवाही के लिये आप उत्तरदायी होंगे।




क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
अंबिकापुर, दिनांक: 26/05/2023

पृ. क्रमांक- 269 / क्षे.का. / छ.ग.प.सं.मं. / 2023
प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) और कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, कार्यालय कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0), मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
4. खनिज अधिकारी (खनिज शाखा) कार्यालय कलेक्टर, मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
5. श्री संजय मुकाती, वैज्ञानिक (ख), सीपीसीबी, भोपाल (म0प्र0) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं अग्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
6. अधिष्ठाता/पट्टेधारी श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, मेसर्स जय अम्बे स्टोन क्रशर (हस्तिनापुर स्टोन माईन), ग्राम-हस्तिनापुर, तह.-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया/एमसीबी (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर

